द्वितीय माला, खण्ड ८—अंक १
११ नवम्बर, १९५७ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

CHAMBER FUMIGATED

2nd Lok Sabha *(Third Session)*

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 18.11.83
Parliament Library

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

223 LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ८, अंक १—१०, ११ से २२ नवम्बर, १९५७)

	पृष्ठ
अंक १, सोमवार, ११ नवम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, २८, ५ से ७, ९ से ११, १३ से १५ और १७ से २४ ।	१–२५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८, १२, १६, २५ से २७, और २९ से ३६	२५–३२
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ३२	३२–४४
श्री सारंगधर दास तथा श्री आर० एस० शर्मा का निधन . .	४५
स्थगन प्रस्ताव—	
१. बड़ानगर में रेल दुर्घटना . . .	४५–४६
२. उत्तर प्रदेश और बिहार आदि में अनेक क्षेत्रों में तथा कथित सूखे की कथित स्थिति तथा भुखमरी . .	४६
३. रामनाथपुरम् जिले में दंगे . . .	४६–४७
४. पुनर्वास मंत्री-सम्मेलन में पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य . .	४८
सदस्य की गिरफ्तारी तथा अपराधी ठहराया जाना . . .	४८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४८–५१
राज्य सभा से सन्देश	५१
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया .	५१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५१–५२
दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	५२
दिल्ली विकास विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	५२
नौसैना विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	५२

	पृष्ठ
विधेयकों सम्बन्धी साक्ष्य—सभा पटल पर रखे गये . .	५२
तारांकित प्रश्न संख्या ११३० के उत्तर की शुद्धि . . .	५२–५३
अपराधी परिवीक्षा विधेयक—पुरःस्थापित .	५३
सभा का कार्य	५३
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	५३–६३
खण्ड २ और १ . .	६२
पारित करने का प्रस्ताव . . .	६२
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६३–८६
कार्य मंत्रणा समिति	८६
दसवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका	८७–९४
अंक २, मंगलवार, १२ नवम्बर, १९५७	
श्री तैयबजी का निधन	९५
दैनिक संक्षेपिका	९६
अंक ३, बुधवार, १३ नवम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ७५ से ९० . . .	९७–१२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७ से ७४, ९१ से ९८ और १०० से १२७	१२१–५०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३३ से ९७, ९९ से १०१, १०३ से १०६ और १०८ से १७७	१५०–२०७
स्थगन प्रस्ताव—	
पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य . .	२०७–०९
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१०–११
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	२१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोसमा में रेल गाड़ियों की टक्कर . . .	२१२
तारांकित प्रश्न संख्या १४५७ के उत्तर की शुद्धि . .	२१३
वित्त मंत्री द्वारा अपने विदेशी दौरे के बारे में वक्तव्य . . .	२१३
भारत का रक्षित बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२१३–१४

भारत का रक्षित बैंक अध्यादेश के सम्बन्ध में वितरण—सभा पटल पर रखा गया २१४

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन २१५

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २१५–२३

खण्ड २ से १५ और १ २१६–२३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव २२३

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २२३–५२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २५२–६०

दैनिक संक्षेपिका २६१–७०

अंक ४, गुरूवार, १४, नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १२८ से १३२, १३४ से १३६, १३८ से १४०, १४२, १४३, १४५, १४७ से १५० और १५२ से १५४ २७१–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १३७, १४१, १४४, १४६, १५१ और १५५ से १६९ २९७–३०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २२५ ३०६–२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२४–२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

विजयवाडा-मद्रास सेक्शन में रेलवे लाइनों का टूट जाना ३२६

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ३२६–४१

खंड १ तथा २ ३४०

पारित करने का प्रस्ताव ३४०

सरकारी नौकरी (निवास विषयक अपेक्षा) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ३४१–६४

पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में ३६३

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ३६४–६५

दैनिक संक्षेपिका ३६६–७०

अंक ५, शुक्रवार, १५ नवम्बर, १९५७ | पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १७० से १८१, १८४ से १८६, १८८, १८९ और १९२ से १९४ . . . ३७१–९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . ३९७–४०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२, १८३, १८७, १९०, १९१ और १९५ से २०६ . . . ४०३–०८

अतारांकित प्रश्न संख्या २२६ से २४०, २४२ से २६५ और २६७ से ३०६ . . . ४०८–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४४७

सभा का कार्य . . . ४४८

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . ४४८–६२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ४६२

पदच्युत सरकारी कर्मचारियों के मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिये एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति संबंधी संकल्प . . . ४६३–८१

फार्मेसिस्ट परिणामों के प्रमाणीकरण संबंधी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षाओं को नियंत्रण करने के लिये एक संविहित निकाय की नियुक्ति संबंधी संकल्प . . . ४८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन . . . ४८२

दैनिक संक्षेपिका . . . ४८३–८७

अंक ६, सोमवार, १८ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या २०७ से २१४, २१७ से २१९, २२१ और २२२ . . . ४८९–५१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१५, २१६, २२०, २२३ से २२७ और २२९ से २३७ . . . ५१३–२०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७ से ३४८, ३५० से ३५६ और ३५८ से ३६७ . . . ५२१–४४

स्थगन प्रस्ताव—

रामनाथपुरम् जिले में उपद्रव . . . ५४४–४६

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४६–४७

कार्य मंत्रणा समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन ५४६

अपराधी परिवीक्षा विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ५४७–८४

संयुक्त समिति को सौंपने के लिये संशोधन स्वीकृत हुआ . . ५८४

नौ-सेना विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार के लिये प्रस्ताव . ५८४–९१

दैनिक संक्षेपिका ५९२–९५

अंक ७, मंगलवार, १९ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या २३८ से २४६, २४८ से २५०, २५२ से २५४ और २५६ से २६० . . . . . ५९७–६२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४७, २५१, २५५, २६१ से २६७, २६९ से २७७ और २७९ से २८१ . . . . . ६२३–३०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६८ से ३९९ . . . ६३०–४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६४४–४६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लक्खी सराय रेलवे स्टेशन पर विस्फोट . . . ६४६–४७

नौसेना विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ६४७–७४

खण्ड २ से ११ . . . . . ६६७–७४

दैनिक संक्षेपिका ६७५–७८

अंक ८, बुधवार, २० नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या २८२ से २८७, २८९, २९१ से २९३, २९५, २९६, २९८ से ३०२ . . . . . ६७९–७०४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ७०४–०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८८, २९४, २९७, ३०३ से ३२३, ३२५ और ३२६ . . . . . ७०७–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४६८ . . ७१७–४४

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७४४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	७४४
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
तीसरा प्रतिवेदन	७४५
नागा पहाड़ियां-तुएनसांग क्षेत्र विधेयक पुरःस्थापित किया गया	७४५
सभा का कार्य	७४५
वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	७४६–८३
दैनिक संक्षेपिका . . .	७८४–८८
अंक ६, गुरुवार, २१ नवम्बर, १६५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ३२७ से ३३७, ३३६ से ३४१ और ३४३	७८६–८१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३८, ३४४ से ३४८ और ३५० से ३६८	८१४–२३
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४७६ और ४७८ से ५३६ .	८२३–५५
कुछ प्रश्नों और संकल्पों इत्यादि के बारे में अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय से सम्बन्धित	८५५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८५५–५६
राज्य-सभा से सन्देश	८५६
छावनी (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . .	८५६
सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बारे में .	८५७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में कुछ कार्मिक संघों का प्रतिनिधित्व न होना .	८५७
अनुपस्थिति की अनुमति	८५७–५८
वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	८५८–६६
नौसेना विधेयक संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	८६६–६००
खंड १२ से १८८ . . .	८६६–६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	८६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन	६०१
कुछ प्रश्नों और संकल्पों इत्यादि के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय	६०१
दैनिक संक्षेपिका	६०२–०६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ३६९, ३७१ से ३७७, ३७९ से ३८७, ३८९ से ३९१, ३९३, ३९४ और ३९६ से ३९९ ९०७--३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३७०, २७८, ३८८, ३९२, ३९५, ४०० से ४०२ और ४०४ से ४१९ ९३५--४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७८ ९३४--५९

स्थगन प्रस्ताव ९५९--६१

१. दियासलाइयों के बनाने में एकाधिपत्य के फलस्वरूप उत्पन्न गम्भीर श्रम स्थिति को समाप्त करने में सरकार की कथित असफलता

२. हिमाचल प्रदेश प्रशासन परिवहन बसों को नियमित रूप में चलाने में हिमाचल प्रदेश प्रशासन की कथित असफलता

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९६१

राज्य-सभा से सन्देश ९६१

भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—सभा-पटल पर रखा गया ९६२

सभा का कार्य ९६२

अफीम विधि (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित किया गया ९६२-६३

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन--

स्वीकृत हुआ ९६३

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) अध्यादेश १९५७ के बारे में संकल्प तथा भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव ९६३—७७

गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

नवां प्रतिवेदन ९७७

मान्यता (देश के प्रति की गई सेवाओं के लिये) विधेयक पुरःस्थापित करने अनुमति देने के लिये प्रस्ताव ९७७--८०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक:—पुरःस्थापित किया गया ९८०

प्रशिक्षण तथा रोजगार विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ९८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधयक—पुरःस्थापित किया गया ९८१

अखिल भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित किया गया ९८२

निर्धारक निरोध (निरसन) विधेयक—— पृष्ठ

पुर:स्थापित करने की अनुमति देने के लिये प्रस्ताव . . ९८२

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था (संशोधन) विधेयक——

पुर:स्थापित किया गया ९८२

संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—

वापस लिया गया ९८३

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव . ९८३

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव . ९८३—९३

दैनिक संक्षेपिका . . . ९९४—९७

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्नों में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्नों को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंनजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को० (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अंचित राम, लाला (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अब्दुर्रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अन्नतशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम, श्री र० स० (श्री विल्लीपुत्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आजाद, मौलाना अबुलकलाम (गुड़गांव)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नगिरि)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फिरोजपुर)
इमाम, श्री मोहम्मद (चितलद्रुग)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

आ

ई

ईयाचरण; श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)है
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्यनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़ उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री मुरती (बस्तर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बानामली (सम्बलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्णे, श्री मं० रं० (करीमनगर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)
कृष्णप्पा, श्री मो० वे० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णय्या, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मुवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज़ (रायबरेली)
गांधी, श्री माकिनलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छेदालाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता-पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड़)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)
गोहेन, श्री चौखामून, (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुघ (तिंडीवनम्)
गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरयिास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (बीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चन्द्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जंग बहादुर सिंह, श्री (अल्मोड़ा)
जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम-रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ज

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मण्डी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री बांगशी (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)
ठाकुर दास, लाला (जम्मू तथा काश्मीर)

ड

डांगे, श्री श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर–मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिरुमल राव, श्री (काकिनाडा)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़–खंडवा)
तिवारी, द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
तैयबजी, श्री सैफ फैज़ (जालना)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगांव)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामधनी (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा)
दासगुप्त, श्री बिभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलजन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देव, श्री शंकर (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मुरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दिप्पल सूरी (पार्वतीपुरम्)
दौलता, चौधरी प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

नजंप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० रा० (कृष्णगिरि)
नलदुर्गकर, श्री वेंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित-लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लुर)
नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहाँपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेकराम नेगी, श्री (महासू—रक्षित—अनूसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़–दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लाभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन, श्री (कुम्बकोणम्)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित —अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसनदास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परमार, श्री यशवंत सिंह (महासू)
परागीलाल, चौ० (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परुलेकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित —अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)
पांडे, श्री सरजू (रसरा)
पाई, श्री नाथ (राजापुर)
पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर---दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादल, श्री कनकपिति वीरन्ता (गोलुगोंडा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास---उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरूनेलवेली)
पुन्नस, श्री (अम्बलपुज़ा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
प्रसाद, श्री महादेव (गोरखपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुलिन बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री संतोष कुमार (कूच बिहार)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गौहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बागड़ी, श्री मगनलाल (होशंगाबाद)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर---दक्षिण)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लाहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री (धनबाद)
ब्रज नारायण 'ब्रजेश', पंडित (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कान्त (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भाई, श्री भोगजी (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)

म

मंजूला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टम्)
मतीन, काज़ी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री (रांची—पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर--मध्य--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मिनीमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजाराम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता--मध्य)
मुत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनाडा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर--उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रखमाजी, श्री (भीर)
रघुनाथ, सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुवीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफ़जुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राजू, श्री द० स०, (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखपटनम)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हज़ारीबाग)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेन्द्रगढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादंवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चेट्टीपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)
राम शंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (बाराबंकी--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता--दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्रीं विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)

राव, श्री रामेश्वर (महबबनगर)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेई, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (मंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय राजे, श्रीमती (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंहजी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

क

श

शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुंतला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम्)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सरवई, श्री बैरावन (तंजोर)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सलाम, श्री अब्दुल (तिरुचिरापल्ली)
सहगल, श्री अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित अनुसूचित—जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालुंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री अवधेश कुमार (कटिहार)

सिंह, श्री अनिरुद्ध (मधुबनी)
सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री कमल (बक्सर)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगुजा)
सिंह, श्री झूलन (सीवन)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री बाबू नाथ (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री ब्रजराज (फिरोजाबाद)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री राजेन्द्र (छपरा)
सिंह, श्री राधामोहन (बलिया)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तेरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर—उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सुब्बरायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिम दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावने, श्री तय्प्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सोनुले श्री हरिहरराव (नांदेढ़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
हासदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोकसभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री फ्रेंक एन्थनी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री पट्टाभिरामन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार— **सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगों राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री अशोक कु० सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री कमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रुंगसुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मूलचन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन

श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पाल चौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवन्त राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन् नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पडित द्वारका नाथ तिवारी
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
चौधरी प्रताप सिंह दौलता
श्री दा० रा० चावन
श्री नाथपाई
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री झूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर

श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रम्थ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री आनन्द चन्द्र जोशी
श्री हरिश्चन्द्र माथुर
श्री रा० मा० हजारनवीस
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री शामराव विष्णु परुलेकर
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्र सिंह
श्री महाबीर त्यागी
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री राघा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह
श्री गोपालराव खेडकर
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री रा० रा० मुरारका
श्री तिरुमल राव
श्री रामेश्वर राव
श्री च० रा० नरसिंहन्
श्री अमजद अली
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री अहमद मुहीउद्दीन
श्रीमती रेणुका राय

श्री उमाचरण पटनायक
श्री रघुबीर सहाय
पंडित द्वारका नाथ तिवारी
पंडित गोविन्द मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्री डोडा तिमैय्या
श्री म० ल० द्विवेदी
श्री बैरो
श्री वें० प० नायर :
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—**सभापति**
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्त्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊ साहब राव साहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्यनारायण सिंह—**सभापति**
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मथुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री टी० जे० एम० विल्सन
श्री सन्तोष कुमार बसु
श्री एम० एन० गोविन्दन् नायर

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री त्रि० ना० सिंह—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
श्री निवारण चन्द्र लाश्कर
श्री रंगा
श्री राधेलाल व्यास
श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री मुहम्मद इमाम
श्री दासप्पा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री विजयराम राजू

राज्य-सभा

श्रीमती पुष्पलता दास
श्री पी० टी० ल्यूवा
श्री श्यामधर मिश्र
श्री आर० एम० देशमुख
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री जसवन्त सिंह
श्री जे० वी० के० वल्लभराव

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम्
श्री राधेलाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सोनावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मसानी
श्री भाऊ राव कृष्णराव .गायकवाड़

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री पट्टाभिरामन्
श्री ब० गो० मेहता
श्री त्रि० ना० सिंह
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्यनारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी

भारत सरकार

मंत्रिमण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविन्द वल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री मुरारजी देसाई

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी

परिवहन तथा संचार मंत्री —श्री लाल बहादुर शास्त्री

इस्पात, खान और इंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—श्री स० का० पाटिल

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री—श्री द० प० करमरकर

सहकार मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली

विधि मंत्री—श्री अशोक कु० सेन

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री हुमायूं कबीर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुखलाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री रघुरामैया

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

लोक-सभा

सोमवार, ११ नवम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** (**श्री म० अ० अय्यंगार**) पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

श्री वैरावन सरवई (तंजोर)

बख्शी अब्दुर्रशीद (जम्मू तथा काश्मीर)

लाला ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)

श्रीमती कृष्णा मेहता (जम्मू तथा काश्मीर)

मौलवी अब्दुर्रहमान (जम्मू तथा काश्मीर)

शेख मुहम्मद अकबर (जम्मू तथा काश्मीर)

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग

†*१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ५ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों के सम्बन्ध में कोई कागजात प्रस्तुत करने का विचार रखता है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री** (**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**) : जी हां ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन कागजात में किन विषयों का उल्लेख है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री** (**श्री जवाहरलाल नेहरू**) : मैं समझता हूं कि वे विषय मेरे ज्ञान तथा माननीय सदस्य के ज्ञान के परे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : मैं जानना चाहता हूं कि अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा के अतिरिक्त क्या इस सम्मेलन में शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये अणशक्ति के नये प्रयोगों के सम्बन्ध में कोई रहस्योद्घाटन किया गया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किस सम्मेलन में ?

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या माननीय सदस्य गत वर्ष के सम्मेलन का निर्देश कर रहे हैं ?

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : हाल में हुए सम्मेलन का ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं कह सकता कि उस सम्मेलन में क्या रहस्योद्घाटन किया गया है जो भविष्य में होने को है । क्या माननीय सदस्य विगत सम्मेलन का निर्देश कर रहे हैं अथवा भविष्य वाले का ?

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : हाल में जो सम्मेलन हुआ था जिस में डा० भाभा ने हमारे देश का जेनेवा में प्रतिनिधित्व किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ऐसे सम्मेलन से सम्बन्धित है जो अभी होने को है ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : मैं उस सम्मेलन का उल्लेख कर रहा हूं जो लगभग एक महीना पूर्व हुआ था ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह हो सकता है । वह एक भिन्न प्रकार का सम्मेलन—एक अभिकरण के स्थापनार्थ—था । वह उस प्रकार का नहीं था जो माननीय सदस्य सोच रहे हैं । वह अगले वर्ष होगा ।

नई दिल्ली के प्रेस क्लब की इमारत

+

†*२. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नई दिल्ली में प्रस्तावित प्रेस क्लब के लिये इमारत के निर्माण के लिये भूमि का निःशुल्क आवण्टन प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय किस प्रकार है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदन में क्या मुख्य बातें कही गई हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ग). नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि क्या किसी अन्य देश न प्रेस को भूमि का ऐसा आवण्टन मंजूर किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? हम अपनी अन्य देशों के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार को दिल्ली के किसी प्रेस के व्यक्ति से भूमि के ऐसे आवंटन के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ?

†**डा० केसकर** : एक प्रेस संगटन ने सरकार से ऐसी भूमि के आवण्टन के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया है ।

†**श्री केशव** : क्या यह सच है कि पत्रकारों के लिये निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर मकानों की जगहों अथवा क्लब के निकट एक पत्रकार बस्ती के लिये एक अनुदान देने का प्रस्ताव है ?

†**डा० केसकर** : मुझे जानकारी नहीं है ।

राष्ट्रीय विकास परिषद्

\+

†*३. श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री नागी रेड्डी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री मणिवंगाडन :
श्री ईश्वर अय्यर :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या योजना मंत्री एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दी गई हों :

(क) वे प्रमुख विषय जिन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति की सितम्बर, १९५७ में हुई बैठक में चर्चा की गई थी ;

(ख) उसके द्वारा दिये गये प्रमुख सुझाव और सिफारिश ; और

(ग) वह सीमा जहां तक उनको राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख) : १४ और १५ सितम्बर को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति की बैठक की कार्य-सूची और बैठक के परिणामस्वरूप निष्कर्षों और सुझावों के संक्षेप की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १**]

(ग) निष्कर्षों और सुझावों की प्रतियां राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को समुचित कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं । योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् कालान्तर में बैठक के निष्कर्षों और सुझावों पर राज्य सरकारों द्वारा तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : योजना को कार्यान्वित करने के लिये देश के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस विषय की चर्चा की थी कि लगाये जाने वाले शुल्क को विभिन्न राज्यों में प्रसृत करने के बजाय उत्पादन केन्द्र पर ही सीमित रखा जाय ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उनकी सूची लोक-सभा पटल पर रख दी गई है। मैं नहीं समझता कि बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई थी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : हमें बताया गया है कि इस सम्मेलन में जो निष्कर्ष और निर्णय किये गय थे वे विभिन्न राज्य-सरकारों को भेज दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारों ने अपनी निर्दिष्ट योजनायें मंजूर किये जाने के हेतु योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : हाल में योजना आयोग द्वारा राज्य-सरकारों के पास एक परिपत्र भेजा गया है और हम २५ नवम्बर तक उनके उत्तर प्राप्त होने की आशा करते हैं और उसके पश्चात् हम सम्बन्धित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ निर्दिष्ट परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। मंजूरी का प्रश्न उसके पश्चात् ही उत्पन्न होगा ।

†**श्री विभूति मिश्र** : इस स्टेटमेंट (विवरण) में लिखा है :

†"उन राज्यों में, जिनमें ऐसी कार्यवाही पहले नहीं की गई हो, भविष्य में किये जाने वाले भूमि-अर्जनों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये ।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनका फ्यूचर एक्वीजीशन (भविष्य अर्जन) नहीं होगा और जिन के पास पहले से जमीन होगी क्या उन पर भी सीलिंग (अधिकतम सीमा) लगाया जायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : सीलिंग दोनों पर होगा। किसी किसी स्टेट (राज्य) में दोनों पर लगाया गया है, किसी किसी में फ्यूचर एक्वीजीशन (भावी अर्जन) पर लगाया गया है। पर ध्येय यह है कि दोनों पर लगाया जाये ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : भूमि संसाधनों के सम्बन्ध में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी राज्य सरकार अथवा विशेषकर केरल की राज्य सरकार से बागानों के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई सुझाव आया था ताकि आयोजन व्ययों के लिये पर्याप्त संसाधन प्राप्त हो सकें ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : केरल द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में ऐसा कोई सुझाव नहीं रखा गया था ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : अथवा किसी अन्य राज्य द्वारा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : नहीं, मैं नहीं समझता ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में हम देखते हैं कि कुछ पद भूमि सुधार सम्बन्धी हैं, उदाहरणार्थ, बेदखली से सुरक्षा और अधिकतम सीमा का निर्धारण। माननीय मंत्री ने कहा था कि ये सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। क्या इन दो पदों के लिये विधान प्रस्तुत करने के लिये कोई समयावधि निश्चित की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : अधिकतम सीमा के मामले में जहां कहीं विधायिनी कार्यवाही की गई है, संबंधित राज्य सरकारों को यह सुझाया गया है कि वे प्रशासकीय व्यवस्था पूर्ण कर लें ताकि उन्हें तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जा सके। उन राज्य सरकारों के मामले में जिनमें विधायिनी कार्यवाही नहीं की गई है, उनको यह सुझाव दिया गया है कि १९५८-५९ के अन्त तक विधायिनी कार्यवाही की जाय ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उस राज्य को निधियों के आवंटन के सम्बन्ध में कोई विरोध प्रकट किया ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इसकी राष्ट्रीय विकास परिषद में चर्चा नहीं की गई थी और यह उस बैठक के पर्यालोकन में नहीं आता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री नवल प्रभाकर ।

श्री नवल प्रभाकर : इस प्रश्न के साथ २८ नम्बर का प्रश्न भी ले लिया जाये तो अच्छा हो क्योंकि वह भी इसी से सम्बन्धित है ।

कीर्तिनगर बस्ती, दिल्ली

*४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिहैबिलीटेशन हाउसिंग कारपोरेशन ने कीर्तिनगर के ज़मीन के सब टुकड़े बेच दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस मूल्य पर;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को उन के दावों के बदले में कीर्तिनगर बस्ती में ज़मीन के टुकड़े देने का आश्वासन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस आश्वासन को कहां तक पूरा किया है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर): (क) जी हां ।

(ख) औसतन १३.७० रुपये प्रतिवर्ग गज की दर से ।

(ग) सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

कीर्तिनगर बस्ती के निर्माण की आयोजना

*२८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार ने जिन शर्तों पर कीर्तिनगर बस्ती के निर्माण की आयोजना पास की थी उनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं की गई जिसके कारण लोगों के मकान के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जब ले आउट (नक्शा) मंजूर किया जाता है तो उसमें जो शर्तें होती हैं उनको पूरा करना कालोनाइज़र (उपनिवेशक) का काम होता है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : जहां तक बस्ती के नक्शे का सम्बन्ध है, कुछ थोड़ी ही बातों पर दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ने आपत्ति की थी, और हमने उनका निराकरण कर दिया है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जब प्लाट होल्डर्स (भूखंड-धारियों) से तमाम रुपया ले लिया गया है तब डेवेलपमेंट (विकास) न होने का क्या कारण है ?

†श्री पू० शे० नास्कर : जहां तक नक्शे का सम्बन्ध है, कोई भी कठिनाई नहीं रही है । जहां तक विकास का सम्बन्ध है, दो चीजें पूर्ण नहीं थीं परन्तु उनको व्यवस्था कर दी गई है । यह जल संभरण और स्वच्छता के सम्बन्ध में है । दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार को यह सूचित कर दिया गया है कि हमने आवश्यक व्यवस्था कर दी है और पृथक पृथक इमारतों के लिये योजनाओं को मंजूरी के लिये लिया जाय ।

नागा पहाड़ियां

+

†*५. डा० राम सुभग सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रूप नारायण :
श्री महन्ती :
श्री संगण्णा :
श्री हेडा :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री ब० स० मूर्ति :
श्री तंगामणि :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार अ० सिं० सहगल :
श्री आसर :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वोडयार :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नागा पहाड़ियों के राजनैतिक भविष्य के सम्बन्ध में नौ सदस्यों के नागा-प्रतिनिधिमंडल और आसाम के राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री के साथ चर्चा की थी;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस चर्चा का क्या परिणाम निकला; और

(ग) कोहीमा सम्मेलन के संकल्पों के आधार पर नागा प्रतिनिधि मंडल के साथ हुए करार के पश्चात् और क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) मैंने दिल्ली में २५ और २६ सितम्बर को ९ नागा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की थी। इस प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई मेरी चर्चा के परिणाम एक विवरण में सन्निहित हैं जो २५ सितम्बर को प्रेस को जारी किया गया था। इस विवरण की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]**

(ग) उस समय के पश्चात् कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। नागा जन सम्मेलन[1] की प्रवर समिति की २३ से २६ अक्तूबर तक मोकोकचुंग में बैठक हुई थी जिसमें उन निर्णयों का सामान्यतः अनुमोदन कर दिया गया था जो नागा प्रतिनिधिमंडल के साथ मेरी वार्ता के दौरान में किये गये थे। हमें ज्ञात हुआ है कि ये नेता अब उपद्रवी तत्वों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वे लोग जो राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिये दंडित किये जा चुके थे अथवा जिन पर अभियोग चलाये जा रहे थे, रिहा कर दिये गये हैं।

नई इकाई सम्बन्धी निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या उस राज्य में उपद्रव पूर्णतः समाप्त हो गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं, मैं इनके पूर्णतःसमाप्त होने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं, परन्तु हाल के महीनों में बहुत थोड़ी घटनायें, और जो छोटी ही हैं, हुई हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इस नागा पहाड़ी क्षेत्र को भी गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित कराने का कोई प्रस्ताव है, अथवा उसका प्रशासन वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जायगा जैसी कि पहले घोषणा की गई थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि इस समय तो वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ही इस मामले में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, परन्तु स्वभावतः ये सब चीजें सहयोग से की जाती हैं और गृह-मंत्रालय से बहुत निकटतया सम्बन्धित हैं।

श्री ब० स० मूर्ति : क्या उन क्षेत्रों में ग्रामों का वि-समूहन[2] प्रारम्भ कर दिया गया है जिनमें शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक समूहित ग्रामों का वि-समूहन नहीं किया गया है। हमने यह कहा है कि इन ग्रामों का धीरे धीरे वि-समूहन किया जायेगा जैसे-जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति में सुधार होगा। यह हो सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष में यह कार्य किसी हद तक किया भी गया हो, परन्तु अभी तक अधिक नहीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि जो नेता माननीय प्रधान मंत्री से मिले थे उन्होंने कहा है कि उनके लिये उपद्रवियों से सम्पर्क स्थापित करना इसलिये कठिन रहा है कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। क्या वे उपद्रवियों से सम्पर्क स्थापित कर सके हैं, और उनकी प्रतिक्रिया के संबंध में नवीनतम समाचार क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Naga Peoples Convention

[2]De-grouping.

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि उनमें से एक ने अवश्य ऐसा वक्तव्य दिया था जैसा माननीय सदस्या ने निर्देश किया है—मैंने स्वयं विवरण तो नहीं देखा है—और जैसे ही हमें उसके संबंध में ज्ञात हुआ हमने ऐसी हिदायतें जारी कीं कि उन्हें उन लोगों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये प्रत्यक सुविधा दी जानी चाहिये। हमें उन लोगों से अन्य लोगों की प्रतिक्रिया के संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या नागा प्रतिनिधि मंडल ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि एक पृथक इकाई का निर्माण एक अन्तःकालीन उपाय है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि वे क्या स्पष्ट करने जा रहे हैं। स्पष्ट करना तो हमारा कार्य है कि हम उनके लिये क्या करने जा रहे हैं। अन्तःकालीन उपाय के संबंध में कुछ बात हुई थी। वह अन्तःकालीन उपाय मूल स्थिति पर लागू नहीं होता है और न हो सकता है। उसका अन्तः-कालीन स्वरूप आन्तरिक संगठन हो सकता है, स्वायत्तशासी व्यवस्था का आन्तरिक उपाय। निस्सन्देह, इस की चर्चा की जा सकती है, परन्तु इस मूलभूत तथ्य की नहीं कि उस क्षेत्र को भारतीय संघ में ही रहना है ।

†**श्री ले० अचौ सिंह** : क्या यह सच है कि नागाओं ने स्वतन्त्रता की अपनी मांग अब भी नहीं छोड़ी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोहिमा में जो सम्मेलन हुआ था उसने निश्चय ही इस मांग को छोड़ दिया था ।

†**श्री अ० चं० गुह** : इस प्रशासनिक व्यवस्था को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिये क्या कोई विधान बनाया जायेगा और क्या अन्तिम रूप से कुछ व्यवस्था करने से पहले सभा को इस मामले पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां। इसके लिये संविधान में परिवर्तन की तो नहीं लेकिन संसद् को विधान बनाने की आवश्यकता पडेगी और निस्सन्देह जल्दी ही, इसी महीने में किसी समय, यह मसला लोक-सभा के समक्ष आयेगा ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थिति अब भी कुछ जटिल बनी हुई है, क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि किसी की, विशेष रूप से आसाम सरकार की ओर से, कुछ गड़बड़ी न जाये, क्योंकि इस समस्या के संबंध में उसने अब तक जो कुछ भी किया है वह कुछ शोभनीय नहीं है, और क्या केन्द्रीय सरकार स्वयं अपनी देख रेख में समस्या को सुलझाने की व्यवस्था करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले में हमने जो कुछ भी कार्यवाही की है वह आसाम सरकार से पूरी तरह परामर्श कर के और उस के अनुमोदन से ही की है, और मैं नहीं समझता कि उसके बारे में किसी का, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह कहना सही या उचित होगा कि उसने गड़बड़ की है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या सामान्य-क्षमा की बात श्री फिजो समेत सभी नागाओं पर लागू होती है, चाहे उनके अपराध कैसे भी क्यों न हों ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने कहा है कि सामान्य क्षमा की बात सभी पिछले अपराधों पर लागू होती है, उस तिथि से या उसके बाद किये गये अपराधों पर नहीं। हमने प्रत्येक मामले पर अलग अलग विचार नहीं किया था। और मुझे इस में संदेह नहीं कि इसका अर्थ अत्यन्त उदारतापूर्ण ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा।

कलकत्ते के बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

\+

†*६. **श्री हेडा :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री बोस :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कलकत्ते में बैंक कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई थी उसमें कितने बैंकों के कितने कर्मचारी शामिल थे;

(ख) वह कितने दिन चली;

(ग) कर्मचारियों की मांगें क्या थीं और मालिकों को इन माँगों को पूरा करने में क्या आपत्ति थी; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ३० बैंक और ७६२९ कर्मचारी।

(ख) ३१।

(ग) कर्मचारियों की मांग यह थी कि उन्हें न्यूनतम २० रुपय और मूल वेतन के २५ प्रतिशत की दर से प्रतिकरात्मक भता दिया जाये। मालिकों का कहना था कि कर्मचारियों की यह मांग बैंक पंचाट से पूरी हो जाती है।

(घ) दोनों पक्षों में समझौता न हो सकने के कारण सरकार ने इस बात का निर्णय करने के लिये यह मामला श्री सलीम एम० मर्चेन्ट के सुपुर्द कर दिया कि क्या कर्मचारियों की यह मांग पंचाट से पूरी हो जाती है। बाद में न्याय-निर्णयन के लिये यह विवाद भी श्री मर्चेन्ट को सौंप दिया गया है।

†**श्री हेडा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह हड़ताल इतने लम्बे समय तक चलती रही और जनता को हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने अन्त में जो कार्यवाही की है वह पहले ही क्यों नहीं की गयी ?

†**श्री आबिद अली** : संबंधित अधिनियम की धारा ६ के अधीन यह मामला हड़ताल शुरू होने के पहले ही श्री मर्चेन्ट के सुपुर्द कर दिया गया था।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने ९ सितम्बर, १९५७ को मुख्य श्रम आयुक्त से भेंट की थी, और यदि हां, तो कर्मचारियों की इस अशान्ति को रोकने के लिये मुख्य श्रम आयुक्त ने क्या कार्यवाही की ?

†**श्री आबिद अली** : इस मामले में, विशेष रूप से, कर्मचारियों के प्रतिनिधि सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। वे अपने आप मामले का निबटारा कर लेना चाहते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या हड़ताल के दौरान में श्रम उपमंत्री महोदय कलकत्ता गये थे और यदि, हां, तो क्या उन्होंने अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री आबिद अली** : मैं उनसे नहीं मिला था ।

†**श्री बोस** : क्या अवैध हड़ताल में भाग लेने के कारण कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे चलायेग ये थे और यदि हां तो इन कर्मचारियों का क्या हुआ ?

†**श्री आबिद अली** : वे मुकदमे वापस लिये जा चुके हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या श्री मर्चेन्ट को सुपुर्द किये गये न्याय निर्णयन के निर्देश-पद बिल्कुल विशिष्ट रखे गये हैं ताकि आगे चलकर उन का गलत अर्थ न निकाला जा सके ?

†**श्री आबिद अली** : मैं प्रश्न समझ नहीं पाया ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : श्री मर्चेन्ट को सुपुर्द किये गये न्याय-निर्णयन के निर्देश-पद क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली** : यह कि क्या यह मांग-विशेष पंचाट से पूरी हो जाती है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : निर्देश पदों में परिवर्तन करने की पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने जो सिफारिश की है क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है या करने वाली है ?

†**श्री आबिद अली** : अभी तक तो हमारे पास इस आशय का कोई अनुरोध नहीं आया है ।

†**श्री तंगामणि** : बात यह है । यह मामला किसी के सुपुर्द किया गया था लेकिन उस के बाद हड़-ताल हो गयी । जब हड़ताल चल रही थी, उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया, समझौते के लिये कुछ निबंधन रखे गये और एक निबन्धन यह था कि निर्देश पद बैंक कर्मचारी संघ तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार को भेज देगा । क्या यह पद भेजे गये हैं और क्या निर्देश पदों में उपयुक्त सुधार कर दिया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : मैं बता चुका हूं कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई अनुरोध नहीं आया है ।

चाय का निर्यात

†*७. { **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री मोहम्मद इलियास : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते और लन्दन में नीलामों में खरीदी गयी भारतीय चाय के योरोप महाद्वीप स्थित देशों को पुनर्निर्यात पर कमाये जाने वाले असामान्य रूप से अधिक लाभ के आंकड़े सरकार के पास हैं; और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम को इस आशय का निदेश देने का कोई विचार है कि महाद्वीप स्थित देशों को निर्यात सीधे भारत से स्वयं उसी के तत्वाधान में किया जाय ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) जी नहीं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : बताया जाता है कि कलकत्ते की विदेशी सहायक कम्पनियां जर्मनी आदि देशों को निर्यात की गयी चाय का जो मूल्य अपने खातों में दिखाती हैं वह लन्दन स्थित उनकी मुख्य फर्मों द्वारा वास्तव में वसूल की गयी कीमत से काफी कम होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत को विदेशी मुद्रा और आय-कर दोनों खानो से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री कानूनगो** : यह धारणायें पूरी तरह सच नहीं हैं। कलकत्ते और लन्दन के नीलामों में मूल्य का अन्तर बहुत ही कम होता है । फिर यह भी तो है कि जहां तक पुनर्निर्यात का संबंध है, ब्रिटेन से जितनी भारतीय चाय का पुनर्निर्यात किया जाता है वह कुल निर्यात के मुश्किल बीसवें भाग के बराबर होती है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार का ध्यान चाय उद्योग में लगे विदेशी हितों द्वारा उपस्थित किये गये इस खतरे की ओर आकृष्ट हुआ है जिसने उन्होंने यह धमकी दी है कि जब वे चाहेंगे भारतीय चाय के बदले पूर्वी अफ्रीका की चाय को प्राथमिकता देकर भारतीय चाय की बिक्री खतम कर देंगे ?

†**श्री कानूनगो** : यह बात हमारी जानकारी में नहीं आयी है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार को पता है कि योरोप के बाजारों में भारतीय चाय बहुत ऊंचे दामों पर बिक रही है, और यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि इन ऊंची कीमतों के फलस्वरूप विदेशों में स्थित कम्पनियों के लाभ के बजाय भारत की विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ जाय ?

†**श्री कानूनगो** : महाद्वीप के कुछ देशों में ऊंचे भाव होने का मुख्य कारण यह है कि उन देशों में आयात-शुल्क बहुत अधिक, १०० से १५० प्रतिशत तक है ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : प्रश्न के भाग (क) और (ख) का उत्तर नकरात्मक है। यह प्रश्न आंकड़ों के बारे में था । क्या वास्तव में योरोप में चाय के भावों के आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं ?

†**श्री कानूनगो** : भारत से निर्यात और ब्रिटेन से भारतीय चाय के पुनर्निर्यात के आंकड़े हमारे पास हैं। लेकिन यह प्रश्न भावों के बारे में था ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : हमने आंकड़ों के बारे में पूछा था। हम ने पूछा था कि क्या वहां के असामान्य रूप से अधिक भावों के आंकड़े सरकार के पास हैं। इस का उत्तर नकारात्मक था। क्या इस का यह अर्थ है कि सरकार के पास आंकडे नहीं हैं ?

†**श्री कानूनगो** : वह आंकड़े हमारे पास नहीं हो सकते। ये आंकड़े केवल ब्रिटेन में उपलब्ध हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार हमें यह बता सकती है कि योरोप के देशों में चाय का क्या भाव प्रचलित है और कलकते में नीलाम में चाय किस भाव से बेची जाती है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं योरोप के विभिन्न देशों में प्रचलित भाव तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको तुलनात्मक रूप से यह अवश्य बता सकता हूं कलकत्ते और लन्दन के भावों में क्या अन्तर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम वह नहीं जानना चाहते ।

†श्री कानूनगो : स्पष्ट है कि आयात शुल्क १०० से १५० प्रतिशत अधिक है । इसलिये वह आंकड़े यहां हमारे पास नहीं हैं ।

नारियल जटा गवेषणा संस्था

†*६ { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हासदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित नारियल जटा गवेषणा संस्था, जिसके साथ एक आदर्श कारखाना संलग्न हो, पश्चिम बंगाल में शुरू कर दी गयी है;

(ख) क्या इस उद्योग के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रबन्ध भी किया जायेगा;

(ग) नारियल जटा उद्योग का प्रस्तावित प्रदर्शन-कक्ष और बिक्री डिपो कलकत्ते में कब तक खुल जायेगा; और

(घ) नारियल-जटा बोर्ड ने अपने जन्म के बाद से पश्चिम बंगाल राज्य में कुल कितनी राशि व्यय की है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं । यह योजना अभी ही मंजूर हुई है ।

(ख) जी हां । राज्य सरकार जो प्रशिक्षण-व-उत्पादन केन्द्र खोलने वाली है उसी में पृथक रूप से ।

(ग) इस वर्ष के अन्त में ।

(घ) राज्य सरकार ने नारियल-जटा के विकास में दिलचस्पी लेना अभी शुरू ही किया है और वह नारियल-जटा बोर्ड द्वारा विचार के लिये जल्द ही योजना बनाने वाली है ।

श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं यह भी बता दूं कि पश्चिमी बंगाल में नारियल जटा का विकास करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है ।

†श्री स० चं० सामन्त : पश्चिम बंगाल में नारियल-जटा गवेषणा संस्था खोलने का निश्चय कब किया गया था और इतना विलम्ब क्यों हुआ है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह योजना वर्ष के आरम्भ में बनायी गयी थी और मंजूरी पिछले ही माह मिली थी ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या केरल या मद्रास में कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की कोई अन्तरिम व्यवस्था की गयी है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां । हम चारों राज्यों के उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्रों में इस संस्था के लड़कों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नारियल जटा उद्योग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर एक और गवेशषणा संस्था की स्थापना के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इन दोनों संस्थाओं से प्राप्त होने वाले अनुभव पर विचार करने के पश्चात् यदि आवश्यकता हुई तो निश्चय ही सरकार अन्य स्थानों पर ऐसी संस्थाओं का विकास करने के प्रश्नपर विचार करेगी ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार को पता है कि नारियल जटा बोर्ड विभिन्न स्थानों पर जो प्रदर्शन कक्ष चलाता है, उनमें नारियल जटा की चटाइयों की कीमत सामान्य बाजार भावों से २५ प्रतिशत अधिक होती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच नहीं है । लेकिन अलग अलग किस्म की अलग अलग कीमत होती है । कुछ अच्छी किस्मों की, जिनकी अधिक मांग होती है, कीमत निश्चय ही घटिया किस्म की कीमत से अधिक होगी ।

बर्मा में भारतीय

*१०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** १ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १८३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत महायुद्ध में बर्मा में भारतीयों को जो हानि उठानी पड़ी थी उसकी क्षतिपूर्ति कराने की दिशा में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : इस मामले में तब से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है ।

श्री भक्त दर्शन : सरकार की ओर से जो उत्तर दिया गया है उसका क्या यह अर्थ है कि अब इस सम्बन्ध में कोई आशा न की जाये यानी बर्मा से जिन भारतीयों को आना पड़ा है उनको कोई भी मुआवजा नहीं मिलने वाला है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : बहुत ज्यादा आशा करना शायद कारामद न हो ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि हजारों भारतीयों को लाखों और करोड़ों रुपये का नुक्सान उठा कर भारत में आना पड़ा और आज वे दरबदर घूम रहे हैं ? क्या उनके पुनर्वास के बारे में कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आपका जो सवाल था वह युद्ध के जमाने से ताल्लुक रखता था । और जो बातें हुई हैं वे तो हुई ही हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : ऐसे भारतीय राष्ट्रजनों को जो भूस्वामी थे और भूमि राष्ट्रीयकरण अधिनियम के द्वारा जिनकी जमीन छिन गयी थी उन्हें बर्मा सरकार ने कुल कितना प्रतिकर दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है । यह प्रश्न तो युद्ध के दौरान में हुई हानियों के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : डेढ़ वर्ष पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय संसदीय सचिव ने फरमाया था कि जापान ने बर्मा को युद्ध के जमाने में हुई क्षति के लिये २५० मिलियन डालर देने का वायदा किया है। क्या उस क्षतिपूर्ति में से भारत के जिन लोगों को नुक्सान उठाना पड़ा है कुछ रुपया दिलाने की कोशिश की जा रही है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जापान सरकार ने सामान और सेवाओं के रूप में क्षतिपूर्ति की है।

आणविक परीक्षण

\+

*११. { श्री रूप नारायण :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के वर्तमान सत्र में आणविक परीक्षणों पर तत्काल रोक लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां। इस प्रस्ताव की एक प्रति हम लोक-सभा की मेज पर रख रहे हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]।**

(ख) भारतीय प्रस्ताव राजनीतिक समिति (पोलिटिकल कमेटी) में गिर गये थे। जनरल असेम्बली के पूर्ण अधिवेशन के सामने यह विषय अभी आना है।

श्री रूप नारायण : क्या भारत सरकार ने यह जानने की कभी कोशिश की है कि किस किस राष्ट्र ने हमारे प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, यह बात तो छप जाती है और सबको मालूम है। यह चीज कभी छिपी नहीं रहती है।

श्री रूप नारायण : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रस्ताव के विषय में रूस, अमरीका और ब्रिटेन, इन तीन देशों की क्या राय है और इनमें से कौन सा राष्ट्र या कौन सा देश इसके पक्ष में है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस वक्त मेरे पास कोई फेहरिस्त नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको भिजवा दूंगा या मेज पर रख दूंगा। अखबारों में भी यह सब चीज छप चुकी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये सब बातें समाचारपत्रों में छप चुकी हैं।

भारत का राज्य व्यापार निगम

\+

†*१३. { श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड को किन किन वस्तुओं में घाटा पड़ा; और

(ख) घाटे के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम को ३० जून, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यापारिक लेखे पर शीघ्र ही सामान्य निकाय द्वारा विचार किया जायेगा और उसके पश्चात् निगम की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जायेगी । उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

†श्री मुरारका : वर्ष को समाप्त हुए काफी समय हो गया है । कम से कम हमें उन वस्तुओं के नाम तो पता लगने चाहियें जिनमें राज्य व्यापार निगम को घाटा हो रहा है ।

†श्री कानूनगो : जब रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जायेगी उस समय इस विषय पर चर्चा की जा सकती है ।

†श्री मुरारका : क्या हम अनुमानत: यह जान सकते हैं कि कुछ वस्तुओं में राज्य व्यापार को कितना घाटा पड़ेगा ?

†श्री कानूनगो : जब लेखा प्रकाशित किया जायेगा और सभा के समक्ष रखा जायेगा तब यह जानकारी उपलब्ध हो जायेगी ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि लौह अयस्क के नौवहन का प्रबन्ध ठीक न होने के कारण राज्य व्यापार निगम को हरजाने के रूप में काफी भारी रकम देनी पड़ रही है ?

†श्री कानूनगो : मेरे विचार से यह ठीक नहीं है ।

†श्री विमल घोष : क्या प्रत्येक सौदे का अलग अलग हिसाब दिया जायेगा या कि एक संचित रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी ?

†श्री कानूनगो : साधारणत: अंशधारियों के समक्ष जो लेखा रखा जाता है उसमें वही होगा । इसे प्रकाशित कर के सभा के समक्ष रखा जायेगा ।

†श्री विमल घोष : परन्तु उससे प्रत्येक वस्तु पर हुई लाभ अथवा हानि का पता नहीं चलेगा । वह तो एक संचित प्रतिवेदन होगा ।

†श्री कानूनगो : जब लेखा सभा के सामने रखा जायेगा उस समय माननीय सदस्य लेखा तैयार करने के किसी दूसरे तरीके का सुझाव दे सकते हैं ।

†श्री त्यागी : क्या वास्तव में कोई घाटा हो रहा है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अलग लेखा रखा जाता है जिससे कि किसी वस्तु विशेष में लाभ अथवा हानि का पता लग सके ? यदि माननीय मंत्री के पास यह जानकारी है तो वह हां कहें; अन्यथा वह बता दें कि उन्हें समय लगेगा ।

†श्री कानूनगो : मुझे इस बारे में निश्चित रूप से मालूम नहीं क्योंकि निगम का व्यापार सम्बन्धी लेखा वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद उपलब्ध होता है ।

†श्री त्यागी : मैं यह जानना चाहता था कि जो लाभ अथवा हानि होती है क्या उसके बारे में सरकार को सूचित किया जाता है ? क्या हम यह समझें कि कोई हानि नहीं हुई है या कि किसी हानि की सूचना प्राप्त हुई है ?

†श्री कानूनगो : इस समय मैं यह बताने में असमर्थ हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : प्रश्न उन्हीं वस्तुओं के बारे में है जिनके बारे में यह आशंका है कि उनमें राज्य व्यापार निगम को हानि हुई है। इसका क्या उत्तर है ? क्या सभा को अवगत किया जा सकता है कि गत वर्ष में उन विशेष वस्तुओं में राज्य व्यापार निगम को हानि हुई और यदि हां, तो जानकारी कब उपलब्ध होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि लेखा सभा-पटल पर रखा जायेगा।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार को दिन प्रति दिन होने वाले सौदे के बारे में जानकारी नहीं भेजी जाती थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न एक एक करके पूछे जायें।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ शब्द कहूं ? केवल लाभ और हानि के लेखे से ही कुल लाभ अथवा हानि का पता चलेगा। परन्तु यह स्वाभाविक है कि खाते में उन्होंने प्रत्येक सौदे का लेखा रखा होगा। इस लेखे से पता चल जायेगा कि प्रत्येक वस्तु में लाभ हुआ है अथवा हानि। रिपोर्ट से मोटे तौर पर पता चल जायेगा कि किस प्रकार के सौदे किये गये थे। यदि आगे और ब्यौरे की आवश्यकता होगी तो मंत्री महोदय अवश्य वह ब्यौरा बतायेंगे।

†**श्री विमल घोष** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रकाशित रिपोर्टों से यह पता लगाया जा सकेगा कि किन वस्तुओं में हानि हुई है और किन में लाभ ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : किसी भी व्यापार करने वाले समवाय से यह ब्यौरा, किन किन वस्तुओं में हानि हुई है, केवल तभी पूछा जाता है जब कि वह समवाय घाटे में ही चल रहा हो। यही साधारण प्रक्रिया है और आशा है कि इस मामले में भी उसका अनुसरण किया जायेगा। यदि राज्य व्यापार निगम को हानि पहुंचती है तो स्वाभाविक है कि सभा यह जानने का प्रयत्न करेगी कि कौन से सौदे हानिकारक सिद्ध हुए हैं। यदि कोई साधारण समवाय लाभ पर चल रहा होता है तो अंशधारी ब्यौरा नहीं मांगते। परन्तु यदि सभा किसी विशेष सौदे का ब्यौरा जानना चाहे तो वह जानकारी दी जानी चाहिये क्योंकि प्रपंजी लेखे में जानकारी अवश्य उपलब्ध होगी।

कपड़े की मिलें

†*१४. + श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री तंगामणि :
श्री जाधव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़े की मिलों के पास इस समय जो स्टाक पड़ा हुआ है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस स्टाक को बेचने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इस समय वस्त्रोद्योग में अनुमानतः लगभग ६·०६ लाख गट्ठे पड़े हुए हैं जिनमें से ३·९१ लाख गट्ठे ऐसे हैं जो अभी बिके नहीं और २·१५ लाख गट्ठे ऐसे हैं जो बिक चुके हैं परन्तु व्यापारियों ने अभी उठाये नहीं।

उत्पादन की वर्तमान गति के अनुसार यह स्टाक केवल ८ सप्ताह का उत्पादन है। इतना स्टाक किसी उद्योग के पास रहे, इसमें कोई असाधारण बात नहीं है।

(ख) उत्पादन के खर्च को घटाने और उसके विक्रय को बढ़ाने के हेतु कुछ कपड़े की मिलों को पुनः चालू करने के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से ऋण के रूप में कुछ वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। सूती वस्त्रोद्योग की स्थिति पर भी सरकार गौर कर रही है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : यह देखते हुए कि देश के अधिकतर भाग को दुर्भिक्ष का सामना करना पड रहा है और लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है क्या सरकार उत्पादन शुल्क घटाने, विशेषकर मोटे और दरम्याने दर्जे के कपड़े पर, के प्रश्न पर विचार कर रही है।

†**श्री कानूनगो** : ये धारणायें तो शायद ठीक नहीं परन्तु जब से उत्पादन शुल्क लगाया गया है तभी से इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

†**श्री दामानी** : गत वर्ष की इसी अवधि में कपड़े का स्टाक कितना था ?

†**श्री कानूनगो** : गत वर्ष तो अजीब हालत थी क्योंकि मांग अधिक थी और माल शीघ्र ही उठा लिया जाता था। तब भी स्टाक तीन सप्ताह के उत्पादन से कम नहीं था।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या जापान की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सरकार कपड़े के निर्यात राज सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : यह आवश्यक नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : १४ अगस्त के तारांकित प्रश्न संख्या ८८९ के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि केवल एक मास का स्टाक पड़ा हुआ था। अब वह आठ सप्ताह का बता रहे हैं। यह भी कहा गया था कि स्टाक ३·१९ लाख है और अब वह ६·४६ लाख है। क्या इस स्टाक को बेचने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ? अन्यथा स्टाक जमा हो जाने से छटनी का खतरा रहेगा। स्टाक को बेचने के लिये सरकार का कौन सी नवीन कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री कानूनगो** : किसी उद्योग में दो मास का उत्पादन स्टाक में रहना कोई असाधारण बात नहीं है; इसमें डरने की कोई बात नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : यह देखते हुए कि १९५५ और १९५४ की इन्हीं अवधियों में स्टाक बहुत कम था, क्या वर्तमान स्टाक अधिक ज्यादा नहीं है ?

†**श्री कानूनगो** : उस समय उत्पादन कम था और मांग अधिक थी क्योंकि लोग नियंत्रण के समय की रुकी हुई आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे।

†**श्री मुरारका** : क्या सरकार को यह विदित है कि स्टाक के मंदगति से बिकने का एक यह भी कारण है कि लोगों को यह आशा है कि उत्पादन शुल्क घटा दिया जायेगा। क्या सरकार निश्चित रूप से यह बता देगी कि निकट भविष्य में उत्पादन शुल्क घटाया जाने वाला है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : इस प्रश्न से भी दुविधा बढ़ती है। हम कई बार कह चुके हैं कि इसे कम नहीं किया जायेगा ।

†**श्री दामानी** : क्या अधिक स्टाक होने के कारण कपड़े की मिलों ने काम बन्द कर दिया है ?

†**श्री कानूनगो** : केवल एक मिल ने कहा है कि स्टाक के कारण काम बन्द किया जा रहा है ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : गत बार माननीय मंत्री ने स्टाक सम्बन्धी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि स्टाक जमा होने का कारण यह था कि पूजा और दीवाली के त्योहार निकट थे और स्टाक शीघ्र ही बिक जायेगा । परन्तु हम ने देखा है कि पूजा और दीवाली होने पर भी स्टाक काफ़ी बढ़ गया है। इसका ठीक ठीक कारण क्या है और क्या यह सच नहीं कि वस्त्रों के मूल्य बढ़ जाने के कारण लोग कपड़ा कम खरीद रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जैसे कि मैं मूल प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, स्टाक असाधारणतया अधिक नहीं है । दीवाली के बाद के ठीक ठीक आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। एक प्रश्न से पता चलता है कि कुछ अनिश्चिय और दुविधा रही है। आशा है कि व्यापार आरम्भ होने पर स्टाक समाप्त होने लगेगा ।

†**श्री जाधव** : क्या यह सच है कि मिलें उत्पादन घटाने के बारे में विचार कर रही हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे विचार से यह ठीक नहीं है ।

†**श्री जाधव** : मिलें बन्द करके ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं ।

परम्परागत दस्तकारियां[3]

†*१५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों की परम्परागत दस्तकारियों के विकास की योजनाओं में सरकार क्या सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने २९,६९,४८८ रुपये के अनुदान और १९,२३,२४५ रुपये ऋण राज्य सरकारों को उनकी भारत की परम्परागत दस्तकारियों के विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिये स्वीकृत किये हैं। आशा है कि शेष वर्ष के दौरान में इसी प्रयोजन के लिये और योजनायें भी स्वीकृत की जायेंगी। अगले वर्ष भी राज्य सरकारों को ऐसी ही सहायता देने की व्यवस्था की जायेगी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि इसमें उत्तरप्रदेश सरकार को खास करके आइवरी और सिल्क के वास्ते क्या सहायता दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : उत्तरप्रदेश गवर्नमेंट को मौजूदा साल में ५ लाख रुपये की ग्रांट दी गई है और साढ़े ६ लाख रुपये का लोन दिया गया है । अब आइवरी और सिल्क के लिए प्राविंशयल स्कीम्स होती हैं और उनका अलग अलग ब्रेक अप होता है और उनकी बाबत हमारे पास कोई तफ़सील नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[3]Traditional Handicrafts.

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या ये योजनायें प्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा चलाई जायेंगी या कि वे सहकारी संस्थाओं और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जायेंगी और क्या यह आवश्यक् है कि राज्य सरकार उनका अनुमोदन करके उन्हें केन्द्रीय सरकार के पास भेजे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सामान्यत: ये सब योजनायें राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं और छानबीन करने के बाद वे अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड को भेज दी जाती हैं। विभिन्न राज्यों को इन सहकारी संस्थाओं और अन्य संस्थाओं को चलाने के लिये अलग अलग प्रकार की सहायता दी गई है। कुछ एक में उन्हें सहकारी संगठन चलाते हैं, कई राज्यों में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड और कुछ एक में स्वयं राज्य सरकार।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अधिकतर राज्य सरकारों ने अपनी योजनायें भेज दी हैं। केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद क्या अन्तिम प्राधिकार अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड का होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कुछ हद तक; हम इस बोर्ड को स्वायत्तशासी बोर्ड समझते हैं।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** क्या यह सच है कि दस्तकारी बोर्ड द्वारा छानबीन और सिफारिश करने के बाद प्रस्थापनाओं अथवा नई योजनाओं पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने में ४ से ६ मास तक लग जाते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** नहीं, श्रीमान्। जहां तक मुझे स्मरण है इस वित्तीय वर्ष के पहले ६ सप्ताहों में लगभग ७५० योजनायें अनुमोदित की गईं।

लौह अयस्क

†*१७. **श्री अ० सि० सहगल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रूस सरकार का विचार निकट भविष्य में भारत से लौह अयस्क खरीदन का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** नहीं श्रीमान्।

अम्बरनाथ वूलन मिल्स

†*१८. **श्री आसर :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बरनाथ वूलन मिल्स के श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमंडल उन से यह प्रार्थना करने के लिये आया था कि मिल उन्हें सौंप दी जाये और वे सहकारिता के आधार पर उसे चलायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) जी हां, जब १९५६ समाप्त होने को था एक प्रतिनिधिमंडल पुनर्वास उपमंत्री से मिलने आया था।

(ख) श्रमिकों का सुझाव नहीं माना गया था क्योंकि यह न तो लाभप्रद था और न ही दूसरी मिलों के लिये हितकर। वे धागे के उत्पादन के लिये केवल कताई सैक्शन को ही चलाना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहते थे। इस प्रार्थना को स्वीकार करने से मिल के अन्य सैक्शन बेकार हो जाते। मिलें विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित की गई थीं और उनका निबटारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा। किसी ऐसे विक्रय अथवा हस्तान्तरण पर, जो प्रतिकर समूह के हितों के प्रतिकूल हो, घोर आपत्ति की जा सकती है।

†**श्री आसर** : क्या सरकार ने मिल से निकाले गये श्रमिकों के लिये वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मिल एक समवाय को बेच दी गई है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह देखते हुए कि भारत सरकार शरणार्थियों के पुनर्वास पर इतना अधिक रुपया खर्च करती है, क्या यह सम्भव नहीं था कि सरकार प्रतिकर अनुदान और ऋण निधि में से प्रतिकर समूह में रुपया जमा करके मिल को अपने कब्जे में कर लेती जिस से कि विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी में ही रखा जा सकता बजाये इसके कि पहले उन्हें बेरोजगार करके फिर रोजगार दिलाया जाये ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : विभागीय तौर पर इस मिल को चलाना सम्भव नहीं था।

त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य

†*१९. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सरकार की सहायता तथा पुनर्वास कार्य में सहायता की जाने के लिए एक प्रदेश वार मंत्रणा समिति की स्थापना के सम्बन्ध में क्या त्रिपुरा प्रशासन द्वारा कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का स्वरूप क्या है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) तथा (ख). त्रिपुरा प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके विचार में मंत्रणा समिति स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री दशरथ देब** : पिछले सत्र में मंत्रालय ने हमें बताया था कि वे किसी प्रकार की समिति स्थापित करने के मामले पर विचार कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि अब यह विचार क्यों त्याग दिया गया है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : पिछले सत्र में इस प्रश्न का यह उत्तर दिया गया था कि यह मामला त्रिपुरा प्रशासन के विचाराधीन है। उसके बाद त्रिपुरा प्रशासन, अर्थात्, मुख्यायुक्त ने हमें सूचित किया है कि वह इस प्रक्रम पर मंत्रणा समिति गठित करना उचित नहीं समझते हैं।

†**श्री दशरथ देब** : क्या मैं कारण जान सकता हूं ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : उन्हों ने इतना ही कहा है कि यह उचित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात को देखते हुए कि ऐसे ब्यान दिये गए हैं कि सरकार का यह विश्वास है कि मंत्रणा समितियों के रूप में जन सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये और पश्चिमी बंगाल सरकार जैसी धीमे चलने वाली सरकार ने भी मंत्रणा समिति स्थापित की है, क्या कारण है कि त्रिपुरा के मुख्यायुक्त ने, जहां कि शरणार्थियों की अत्याधिक जनसंख्या है, यह स्पष्ट रूप से कहा है कि मंत्रणा समिति की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है । क्या केन्द्रीय सरकार ने कारण पूछे हैं ?

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** श्रीमान, एक उचित प्रश्न है.....

†**एक माननीय सदस्य :** प्रश्न के सम्बन्ध में कोई उचित प्रश्न नहीं हो सकता ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** क्या प्रश्नकाल के दौरान में कोई भी सदस्य राज्य सरकारों के विरुद्ध अयोग्यता––धीमे चलने आदि का आरोप लगा सकता है ? क्या हम ऐसा कह सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** किसी भी राज्य सरकार अथवा किसी पदेन हैसियत में कृत्यकारी किसी मंत्री पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसा होने देना चाहिये । यदि कोई ग़लती हुई है तो मुझे विश्वास है कि अब वह फिर कभी न होगी ।

†**श्री विमल घोष :** धीमे चलना––क्या यह आक्षेप है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में यह आक्षेप नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त :** यह तो समादर है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कुछ सीमा तक प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

†***२०. श्री राम शंकर लाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि डर्बन में वर्ग क्षेत्र अधिनियम लागू किया गया तो उसका कितने मकानों पर प्रभाव होगा और उनकी कीमत कितनी होगी; और

(ख) इस विधान से कितने भारतीय विस्थापित हो जायेंगे और कितने भारतीय कारखानों, स्कूलों, मन्दिरों और मस्जिदों पर इस अधिनियम का प्रभाव पड़ेगा ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) तथा (ख). अंदाज़ा है कि जब कभी भी डर्बन में वर्ग क्षेत्र अधिनियम के अधीन वर्ग क्षेत्र उद्घोषित किये जायेंगे तब लगभग १४६,००० भारतीय अपने मकानों, व्यापार तथा धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को, जिनमें मस्जिदों और मन्दिरों की पर्याप्त संख्या भी है, छोड़ने पर मजबूर हो जायेंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोई भारतीय मिशन नहीं है इसलिए अधिक विस्तार में जानकारी प्रदान करना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, वाशरमेनपेट

†*२१. **श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वाशरमेनपेट, मद्रास के टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट को अपने अधिकार में लेने और इसे सैलम में स्थापित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** तब से भारत सरकार ने अब मद्रास वस्त्र गवेषणा संस्था (मद्रास टैक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट) को सैलम में स्थापित करने के लिए "मेनर हाऊस" नामक स्थान खरीदने की मंजूरी दी है। आशा है कि इस महीने के अन्त तक अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड इस स्थान का कब्ज़ा अपने हाथ में ले लेगा।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संस्था को मद्रास सरकार से अपने अधिकार में लिया है ?

†**श्री कानूनगो:** मूल्यांकन किया जा चुका है। जब इमारत की मरम्मत हो जायेगी तब इसे सैलम में ले जाया जायेगा ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मूल्यांकन की राशि क्या है ? संस्था को कब ले जाया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो:** मूल्यांकन की राशि लगभग ८१,००० रुपये है जिसमें सभी 'फिटिंग' तथा आस्तियों के दाम हैं। मरम्मत के बाद मकान के तैयार होते ही 'फिटिंग' उखाड़ ली जायेगी।

†**श्री तंगामणि :** क्या सैलम में इस नई संस्था के कारण वाशरमेनपेट की वर्तमान वस्त्र संस्था बन्द कर दी जायेगी ?

†**श्री कानूनगो:** इस बात का निर्णय मद्रास सरकार को करना होगा। सैलम में स्थापित की जा रही संस्था से यह कहीं बड़ी संस्था है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वर्तमान वस्त्र संस्था का ठीक कार्यक्षेत्र कितना है ? क्या सैलम में इस संस्था की स्थापना के बाद इस का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** जी, हां। यह एक मुख्य गवेषणा संस्था होगी और इसमें पर्याप्त कर्मचारी तथा पर्याप्त कार्यक्रम होंगे ।

राज्य की योजनाओं का पुनः प्रावस्थाभाजन

†*२२. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राज्य सरकारों को हिदायतें दी गई हैं कि वे अपनी योजनाओं में इस प्रकार के परिवर्तन करें और उनका पुनः प्रावस्थाभाजन करें कि योजना के तृतीय वर्ष में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता में कमी हो सके;

(ख) इन हिदायतों के फलस्वरूप जिन योजनाओं पर इनका प्रभाव होने की आशा है क्या उनके स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) १९५८–५९ के लिए विकास योजना तैयार करने के सम्बन्ध में हाल ही में हिदायतें जारी की गई हैं। इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि १९५८–५९ के लिये योजना में ऐसी किसी योजना को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये जिसमें विदेशी मुद्रा सन्निहित हो और जिसे पहिले ही से सारवान् रूप से प्रारम्भ न किया जा चुका हो। जिन योजनाओं के सम्बन्ध मे पहिले ही से पर्याप्त कार्यवाही की जा चुकी है उनके सम्बन्ध में राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की गई है कि विदेशी मुद्रा के खर्च को न्यूनतम सीमा तक कम करने के लिए वे यथासम्भव कठोरता से विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का पुनरीक्षण करें।

(ख) तथा (ग). दिसम्बर के प्रारम्भ में राज्यों से बातचीत शुरू होगी और वादविवाद के दौरान में योजना आयोग द्वारा जारी की गई हिदायतों से जिन योजनाओं पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है उन का उस समय निर्णय किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी: इन हिदायतों को जारी करते समय क्या सरकार ने इस बात पर भी विचार किया था कि इस परित्याग का राज्यों के नियोजन संभाव्य संसाधनों पर अन्ततः क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** राज्य सरकारों को जो हिदायतें जारी की गई हैं उन में यह प्रश्न सम्मिलित नहीं किया गया है; परन्तु योजना आयोग द्वारा योजना में समायोजन की नियोजन सम्बन्धी उपलक्षणाओं पर विचार किया जा रहा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** प्रत्येक वर्ष में योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा जो वार्षिक लक्ष्य नियत किये गये थे क्या उन्हें प्राप्त करके सभा पटल पर रखना सम्भव है ? क्या वे लक्ष्य हमें अब प्राप्त हो सकते हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** १९५६–५७ तथा १९५७–५८ के लिए हम उन्हें सभा पटल पर रखने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री विमल घोष :** क्या योजना आयोग ने इस बात का संकेत भी किया है कि 'पर्याप्त प्रारम्भ' की राशि कितनी होगी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह बताना कठिन है। इसका अर्थ यह है कि थोड़े ही समय में इन परियोजनाओं के पूरा होने की आशा है ता कि जल्दी ही हम उन से कुछ कमा सकें।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या उड़ीसा में डेल्टा सिंचाई योजना और प्रदीप पत्तन को द्वितीय योजना को पुनः क्रमबद्ध करते समय शामिल किया जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से योजना आयोग में दिसम्बर के शरू में नई योजनाओं और उनकी प्रगति के सम्बन्ध में बातचीत की जायेगी। उसके बाद हम विशिष्ट परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ कह सकेंगे।

†**श्री फ़ीरोज गांधी :** क्या मंत्रालय का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द के उस ब्यान की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि की कमी के कारण और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भी उत्तर प्रदेश सरकार को सम्भवतः रिहंड बांध योजना को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि विदेशी मुद्रा के लिए उत्तर प्रदेश को १२ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं और वे भी एक ग़ैर सरकारी सार्थ को दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : विशिष्ट क्षेत्रों के विकास से संबंधित इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं पर योजना आयोग द्वारा दिसम्बर में विचार किया जायेगा और इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । कुछ बार विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां भी बाधा उत्पन्न करती हैं, परन्तु योजना आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील है कि यथासम्भव शीघ्र ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का काम पूरा हो जाये ।

†**श्री फीरोज गांधी** : मुख्य मंत्री का यह ब्यान सत्य है कि नहीं कि उत्तर प्रदेश को १२ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है और वह भी सरकारी क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि एक गैर सरकारी सार्थ को दी गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : उत्तर दिये जाने से पहिले हमें जांच करनी होगी । हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि क्या हम ने विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में राज्यवार आवंटन किये थे । आवंटन परियोजनाओं के सम्बन्ध में किये जाते हैं । मैं इस मामले की जांच करूंगा ।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं किया गया है ।

†**श्री फीरोज गांधी** : आप तो बाहिर थे ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : प्राप्य विदेशी मुद्रा के साम्यिक वितरण के लिए क्या सरकार ने राज्यवार अथवा परियोजनावार किसी प्रकार की प्राथमिकता पर विचार किया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस सम्बन्ध में राज्यवार नहीं बल्कि मुख्यत: परियोजनावार विचार किया जायेगा ।

भारत तथा पाकिस्तान के पावन स्थान

†*२३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **प्रधान मंत्री** २३ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दुओं तथा सिखों के धार्मिक पावन स्थानों की सूची तैयार करने और उन से सम्बद्ध सम्पत्तियों का संरक्षण करने और उनकी धार्मिक पवित्रता का परिरक्षण करने के लिए जो संयुक्त समिति स्थापित की गई है उसकी बैठक बुलाने के सम्बन्ध में क्या पाकिस्तान सरकार से कोई पत्र व्यवहार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो परिणाम क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) तथा (ख). जी, हां । अक्तूबर, १९५७ के चतुर्थ सप्ताह में नई दिल्ली में संयुक्त समिति की एक बैठक बुलाने के लिए पाकिस्तान सरकार को अपने प्रतिनिधि भेजने का निमन्त्रण दिया गया था । परन्तु इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अब नवम्बर, १९५७ के चतुर्थ सप्ताह में बैठक के लिए पुन: निमन्त्रण दिया गया है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : पाकिस्तान सरकार के टालमटोल के रवैये को देखते हुए क्या भारत सरकार ने उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये कोई और उपाय सोचा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात की गई उपभोक्ता वस्तुयें

+

†*२४. { **श्री वोडयार :**
श्री परुलेकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नई आयात नीति की घोषणा से औषधियां, लेखन सामग्री आदि जैसी आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) कुछ आयात वस्तुओं के दामों में प्रारम्भ में बढ़ने की प्रवृति देखने में आई थी, इनमें औषधियां तथा लेखन सामग्री की वस्तुयें भी थीं, परन्तु अब उनके दाम लगभग टिक गये हैं ।

(ख) यह देखने के लिये कि वस्तुओं के कम सम्भरण के कारण दामों में असाधारण वृद्धि न होने पाये आयात वस्तुओं के दामों की प्रवृत्ति की ओर सदैव ध्यान रखा जाता है । अगले अर्द्धवर्ष के लिये आयात नीति निर्धारित करते समय मूल्य प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा जायेगा और जहां कहीं आवश्यक समझा जायेगा वहां दामों को उचित स्तर तक रखने के लिये नीति को उदार बनाया जायेगा तथापि विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को देखते हुये आयात के उदारीकरण का क्षेत्र सीमित है ।

†**श्री वोडयार :** क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि नई आयात नीति के कारण अत्यावश्यक औषधियों के सम्बन्ध में अभ्यंश में कमी की गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** औषधियों के आयात के लिये अभ्यंश में उग्र रूप से कमी नहीं की गई है । कुछ कमी की गई है परन्तु नीति यह है कि औषधियों का प्रचुर मात्रा में आयात किया जाये और उन्हें यहां विधायित किया जाये और उनका संवेष्टन किया जाये ताकि विदेशी मद्रा की उसी राशि से हम वस्तुओं की अधिक मात्रा प्राप्त कर सकें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेयन कारखानों में श्रमिक

†*८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री १० सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेयन कारखानों के श्रमिकों के स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभाव का अध्ययन करने के लिये जो सर्वेक्षण किया गया था क्या अब उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की खास खास बातें क्या हैं ;

(ग) प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इस का कारण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) अभी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) क्षेत्र अध्ययनों में एकत्रित की गई सामग्री को सारणीबद्ध किया जा रहा है और उसकी जांच की जा रही है।

स्वचालित करघे

†*१२. **श्री स० र० अरुणाचलम्:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक मद्रास राज्य को कितने स्वचालित करघे आवंटित किये गये हैं; और

(ख) क्या ये करघे केवल सूत कातने वाले कारखानों को ही आवंटित किये गये हैं या इन्हें उन कपड़ा मिलों को भी आवंटित किया गया है जिन में कपड़ा बुनने की मशीनें हैं?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) २७८४.

(ख) मिश्रित तथा सूत कातने वाले कारखाने, दोनों को ही स्वचालित करघे आवंटित किये गये हैं।

अभ्रक श्रमिक

†*१६. **श्री नागी रेड्डी:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश अभ्रक श्रमिक संघ से श्रमिकों में प्रवर्तमान रोग "सिल्कास" के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) अभ्रक क्षेत्रों में "सिलिकोसिस" रोग के होने के सम्बन्ध में विभिन्न संस्थाओं द्वारा सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई हैं।

(ख) राज्य सरकार को प्रतिकर मामलों को शीघ्रता से निबटाने के लिये उचित कार्यवाहियां करने का सुझाव दिया गया है। बी० सी० जी० का टीका लगाने, एक्सरे के द्वारा परीक्षा करने, हस्पताल में दाखिल करने आदि के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

सीमावर्ती घटना

†*२५. **श्री ब० स० मूर्ति:**
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री अनिरुद्ध सिंह:
श्री मोहन स्वरूप:
श्री शिवनंजप्पा:
डा० राम सुभग सिंह:
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री आसर:
श्री पाणिग्रही:
पंडित द्वा० ना० तिवारी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १६ अक्तूबर, १९५७ को पाकिस्तान के कुछ रज़ाकारों ने पंजाब सशस्त्र पुलिस के गश्त लगा रहे कुछ सैनिकों की हत्या की थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां, दो पुलिस कर्मचारी मारे गये थे ।

(ख) गुरदासपुर ज़िले में डेराबाबा नानक के लगभग पांच मील उत्तर म मेतली की पजाब (भारत) सशस्त्र पुलिस चौकी के तीन व्यक्ति १७ अक्तूबर, १९५७ को सवेरे लगभग ६ बजे चौकी से कुछ दूरी पर स्थित एक अवलोकन चौकी, के लिये रवाना हुये । जब ये व्यक्ति घने सरकण्डों के बीच में से हो कर एक तंग मार्ग पर से गुज़र रहे थे तब पाकिस्तानियों के एक दल ने अचानक छुरों से उन पर आक्रमण किया । बाद में पता चला कि वे अल्लामा मशरीकी के अनुयायी थे । दो पुलिस कर्मचारी घायल हुये और उनके घाव घातक सिद्ध हुये । तीसरे व्यक्ति पर जो निशाना साधा गया था उसने उसे बचा लिया और वह बच निकला । रज़ाकारों ने मृतकों की दोनों राइफलें उठा लीं और वे झाड़ियों में भाग गये । पंजाब सशस्त्र पुलिस बल का एक गश्ती दस्ता तुरन्त ही घटनास्थल की ओर गया और उसने आक्रमणकारियों के लिये इर्द-गिर्द का क्षेत्र छान डाला । खोज के दौरान भारतीय दस्ते और दूसरी ओर से एक अज्ञात दस्ते में गोलियां चलीं । पुलिस दस्ते के साथ गये एक असैनिक व्यक्ति को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई । अन्ततः भारतीय दस्ते ने एक आक्रमणकारी को पकड़ लिया । शेष पाकिस्तान क्षेत्र में बच कर निकल गये । पाकिस्तान सीमा पुलिस अधिकारियों से सूचना मिली थी कि उन्होंने उन चार रज़ाकारों को गिरफ्तार कर लिया है जो नदी के पार पहुंच गये थे और उन से एक राइफल मिली है । दूसरी राइफ़ल पंजाब पुलिस ने प्राप्त की थी ।

(ग) पाकिस्तान सरकार के पास विरोध प्रकट किया गया है ।

रेडियो सक्रिय पदार्थों से बचाव

†*२६. **श्री नरसिंहन्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंगलैण्ड में विंड्सकेट प्लूटोनियम प्लांट से रेडियो सक्रिय तत्वों के निर्बंध होने की रिपोर्ट देखी हैं ; और

(ख) हमारे अणुशक्ति प्रतिष्ठान में की गई रक्षात्मक कार्यवाही की विशद रूपरेखा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) 'अप्सरा' पूर्णतः सुरक्षित है और उसमें इस प्रकार की दुर्घटना सम्भव नहीं है ।

कनाडा-भारत रीएक्टर में उस प्रकार की आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिये पूर्ण सावधानी बरती गई है और दुर्घटना के अवसर नगण्य हैं । फिर, सम्पूर्ण रीएक्टर पिघले हुये कांच एवं इस्पात से युक्त पूर्णतः सुरक्षित स्थान में है और रीएक्टर में किसी प्रकार की दुर्घटना की दूरस्थ संभावना की स्थिति में भी रेडियो सक्रिय तत्व नहीं फैलेंगे ।

रीएक्टर 'ज़रलीना' शून्य शक्ति सम्पन्न है और उससे किसी प्रकार के भय की सम्भावना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगला बांध

†*२७. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री विभूति मिश्र :
श्री र० ल० रेड्डी :
श्री हरिश चन्द्र माथुर :
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :
श्री संगण्णा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेडा :

क्या **प्रधानमंत्री** २६ अगस्त, १९५७ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में मंगला बांध के निर्माण के बारे में भारत सरकार द्वारा भेजे गये पत्र का सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष से उत्तर मिल गया है; और

(ख) क्या इस पत्र-व्यवहार के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् मे किसी प्रकार गतिविधि उत्पन्न हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, नहीं । इन मामलों में सुरक्षा परिषद् की सामान्य प्रथा यह है कि अध्यक्ष पत्र की प्रतियां परिचारित कर देता है किन्तु उत्तर नहीं देता है। हमारा २१ अगस्त, १९५७ का पत्र सुरक्षा परिषद् के प्रपत्र के रूप में २२ अगस्त, २९५७ को सुरक्षा परिषद् के सब सदस्यों में वितरित कर दिया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(१) ३ अक्टूबर, १९५७ को पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को पत्र भेजा था । पाकिस्तानी पत्र की प्रतियां सुरक्षा परिषद् के सदस्यों में बांट दी गई हैं ।

(२) हमारे प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् में ९ अक्टूबर, १९५७ को पाकिस्तानी पत्र की चर्चा की थी । पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को संप्रेषित पत्र और सुरक्षा परिषद् में हमारे प्रतिनिधि ने उस पर जो टिप्पण किये हैं उनकी प्रतियां लोक-सभा के पटल पर रखी जाती हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

श्रीलंका में भारतीय

†*२९. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेडा :
श्री अ० सि० सहगल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार की भारतीयों को प्रत्यावर्तित करने की योजना में ५०,००० रुपये तक की पूंजी के प्रतिष्ठापन भी सम्मिलित कर लिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना से भारतीय उद्भव के व्यक्तियों द्वारा संचालित कितने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रभावित होने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय उद्भव के व्यक्तियों द्वारा संचालित कितनी व्यावसायिक फर्मों पर इस योजना का प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि श्रीलंका में भारतीय पूंजी के बारे में कभी भी सांख्यकी तैयार नहीं की गई है ।

(ग) सरकार इस विषय का परीक्षण कर रही है ।

समाचार पत्रों के लिये पृष्ठ-मूल्य निर्धारण

३०. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मूल्यानुसार पृष्ठ-सूची को लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो देरी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). मूल्यानुसार पृष्ठ-सूची जिस के अन्तर्गत विभिन्न परिस्थितियों में प्रकाशित होने वाले विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र आयेंगे, तैयार करने के लिये सावधानी से सोच-विचार करना आवश्यक है ताकि सूची के लागू किये जाने से जो परिणाम निकलें वे उसके उद्देश्य के प्रतिकूल न हों ।

विषय विचाराधीन है । यद्यपि सूची के प्रकाशन की तिथि निश्चित करना मुश्किल होगा मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि प्रकाशन जल्द ही होगा ।

पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन

†*३१. **श्री राधा रमण :**
श्री रघुनाथ सिंह :
सरदार अ० सिं० सहगल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में ४ अक्टूबर, १९५७ को प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है कि पाकिस्तान सरकार के भारत विरोधी ताजा प्रोपैगैण्डा

---

†मूल अंग्रेजी में

के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में २ लाख हिन्दू भारत प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने यह रिपोर्ट देखी है ।

कदाचित इस रिपोर्ट का सम्बन्ध प्रव्रजन प्रमाण पत्रों के उन उम्मीदवारों से है जो ढाका स्थित भारतीय उप उच्चायुक्त के कार्यालय में आवेदन-पत्रों के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन आवेदन-पत्रों के निबटारे में शीघ्रता करने के लिये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ।

ग्वार की गोंद[४]

†*३२. **श्री मुरारका** :
श्री नथवानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३, १९५४, १९५५ और १९५६ के पत्री वर्षों में भारत से बाहर भेजी गई 'ग्वार की गोंद' की कुल मात्रा कितनी है ;

(ख) उक्त वर्षों में इसका निर्यात किस कीमत पर हुआ है ; और

(ग) किन-किन देशों को इसका निर्यात किया गया है; और

(ग) इस वस्तु के लिये निर्यात लाइसेंस देने में सरकार की क्या नीति है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). भारत के विदेशी व्यापार की सांख्यकी में 'ग्वार की गोंद' का पृथक रूप से उल्लेख न होने के कारण यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) २६ जुलाई, १९५६ तक "ग्वार" की गोंद के निर्यात पर प्रतिबन्ध था । २७ जून, १९५६ से १३ फरवरी, १९५७ की अवधि में निर्यात पर प्रतिबन्ध था। १३ फरवरी, १९५७ के पश्चात्, निर्यात पर पुनः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। भविष्य के सम्बन्ध में नीति विचाराधीन है।

गूदा बनाने का कारखाना[५]

†*३३. **श्री राम शंकर लाल :**
श्री वोडयार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा प्रतिवर्ष कितना गूदा बाहर भेजा जाता है ;

(ख) क्या जापानी और भारतीय औद्योगिकों के सहयोग से गूदा बनाने के कारखाने स्थापित करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)**: (क) औसत रूप में वार्षिक आयात २२,५०० टन है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[४]Gam Guar.

[५]Pulp Plant.

आणविक विकिरण[1]

†*३४. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** २ सितम्बर, १९५७ को तारांकित प्रश्न संख्या ११०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आणविक विकिरण के प्रभाव के बारे में संयुक्त राष्ट्र समिति राष्ट्र-संघ की महासभा के समक्ष अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : आणविक विकिरण के प्रभाव के बारे में संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के समक्ष १ जुलाई, १९५८ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सम्भावना है ।

भारत-गोआ सीमा पर बम विस्फोट

†*३५. { श्री राधा रमण :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्तगाली सीमा के समीपवर्ती भारतीय राज-क्षेत्र में हाल ही में कुछ बम विस्फोट हुये हैं तथा ये बम पुर्तगाली उद्भव के मालूम हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनसे कितनी क्षति हुई है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). हमारी जानकारी के अनुसार पुर्तगालियों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थों से युक्त एक बोतल गाढ़ दी गई थी । २ अक्टूबर, १९५७ को यह बोतल फट गई जिसके परिणाम स्वरूप तीन व्यक्ति घायल हुये ।

जापान से पूंजीगत वस्तुएं

†*३६. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री राम शंकर लाल :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री वोडयार :
श्री तिम्मय्या :
श्री वाजपेयी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री शिवनंजप्पा :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने भारत को पूंजीगत वस्तुयें संभरित करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें तथा निबंधन क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Atomic Radiation.

(ग) जापान के उक्त प्रस्ताव में अन्तर्ग्रस्त वस्तुओं का अनुमानित मूल्य कितना है ;

(घ) जापान किन-किन वस्तुओं को संभारित करने का विचार रखता है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में एक मिशन जापान जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). अभी तक विस्तृत रूप रेखा तैयार नहीं की गई है । इस मामले की प्राथमिक गवेषणा हो रही है ।

(ङ) इस अवस्था में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सीमेंट का आयात

†१. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री नरसिंहन् :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य व्यापार निगम द्वारा १९५७ में सीमेंट के आयात के लिये किन किन देशों से करार सम्पन्न हुये हैं ;

(ख) उपरोक्त करारों के अन्तर्गत कितना सीमट लगाया जायेगा और सितम्बर, १९५७ के अन्त तक कितनी मात्रा में सीमेंट मंगाया जा चुका है ;

(ग) क्या इन देशों से सीमेंट मंगाने के बदले में किन्हीं अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा; और

(घ) वर्तमान विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति में सीमेंट आयात के लिये नये करारों की क्या सम्भावनायें हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क)

(१) पश्चिमी पाकिस्तान ।

(२) यूगोस्लेविया

(३) सोवियत रूस ।

(४) उत्तरी वियतनाम ।

(ख) उपरोक्त करारों के अन्तर्गत १,४७,००० टन सीमेंट आयात करने की सम्भावना है । इसमें से सितम्बर, १९५७ के अन्त तक लगभग ५१,००० टन सीमेंट मंगाया जा चुका है ।

(ग) पश्चिमी पाकिस्तान से सीमेंट मंगाने के बदले में उतनी हो मात्रा में पूर्वी पाकिस्तान को सीमेंट भेजा जायेगा । उत्तरी वियतनाम के सम्बन्ध में, सीमेंट के बदले चीनी भेजी जायेगी । अन्य देशों का जहां तक सम्बन्ध है सीमेंट के बदले में अन्य वस्तु भेजने का कोई उपबन्ध नहीं है ।

(घ) आयात के बदले रुपयों में भुगतान करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गवेषणा कार्यक्रम समिति की स्थायी समिति

†२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विविध सुधारों की प्रगति और प्रभाव की जांच के लिये उपयुक्त प्रणाली खोजने और समान विधि ढूंढने के लिये योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति की स्थायी समिति द्वारा नियुक्त की गई निदेशन की विचित्र विभिन्न समितियां तथा उप समितियां क्या क्या हैं ;

(ख) क्या भूमिसुधार के प्रश्न के अध्ययन के लिये किसी निकाय की स्थापना की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निर्देश पद क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) योजना आयोग की गवेषणा कार्यक्रम समिति की अध्ययन के निदेशनहेतु चार समितियां हैं : (१) खेती के प्रबन्ध को अर्थ-व्यवस्था, (२) भिलाई प्रदेश का सामाजार्थिक सर्वेक्षण, (३) राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन और (४) भूमि सुधार के प्रभाव। इन समितियों का कार्य भावी अध्ययन की सामान्य रूप रेखा निर्धारित करना और इस अध्ययन के निष्पादन के बारे में परामर्श देना है ।

(ख) भूमि सुधार में गवेषणा संवृद्धि के लिये भूमि सुधारों के निदेशन को एक समिति स्थापित की गई है ।

(ग) कोई निर्देश पद निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

कीनिया में भारतीय

†३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीनिया (ब्रिटिश अफ़्रीका) की भारतीय आबादी के साथ विभेदात्मक व्यवहार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वहां पर रहने वाले भारतीयों के हितों की देखभाल के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) कीनिया में कितने भारतीय हैं और उनकी आर्थिक अवस्था कैसी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) भारत-सरकार को जहां तक विदित है कीनिया में भारतीयों को केवल एक ही संविधि सम्मत ,असमथता है कि वे खेती सम्बन्धी तथा औद्योगिक प्रयोजन के लिये हाईलैण्ड में भूमि का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकते हैं और न वहां भूमि पट्टे पर ले सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक आदेशों तथा परिपाटी के अनुसार कीनियावासी भारतीयों के साथ अन्य भेद-भाव भी किया जाता है । यह उच्च पदों पर नियुक्तियां, शिक्षा, प्रव्रजन आदि के बारे में है ।

(ख) हाईलैण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार ने केवल यूरोपीयों के लिये संरक्षण के विरुद्ध अभ्यावेदन किया था किन्तु कोई परिणाम नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९४८ की जनगणना के अनुसार कीनिया में ९०५२८ भारतीय थे। आर्थिक दृष्टि से कीनिया के भारतीय समृद्ध हैं। वे अधिकांश में व्यापार करते हैं। अनेक भारतीय डाक्टर, वकील, कारीगर, रेलवे मजदूर और सरकारी कर्मचारी हैं।

फिजी में भारतीय

†८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिजी द्वीप में कितने भारतीय नियोजित हैं ;

(ख) उनके व्यवसाय-धन्दे क्या हैं ; और

(ग) हाल के वर्षों में फिजी द्वीप में जा बसने वाले भारतीयों को यदि किन्हीं हानियों का सामना करना पड़ता है तो वे क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अधिकांश भारतीयों का मुख्य धन्दा गन्ने उगाना है। इनमें कृषक, कृषि श्रमिक, स्टोरकीपर, दर्जी, धुलाई करने वाले, बस और टैक्सी के मालिक तथा ड्राइवर, अध्यापक, क्लर्क, डाक्टर और वकील इत्यादि हैं। हाल के वर्षों में फिजी में आ बसने वाले थोड़े से भारतीय प्रायः अध्यापक तथा टैक्नीकल कार्यकर्ता हैं।

(ग) हमें यह ज्ञात नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का अतिक्रमण

†९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री १० सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू स्थित संयुक्त राष्ट्र सैनिक पर्यवेक्षक दल से किये गये उस विरोध का उत्तर प्राप्त हुआ है जो जम्मू क्षेत्र में २२ अगस्त, १९५७ के प्रातः काल एक जेट विमान जिस पर पाकिस्तान वायु बल के चिह्न होने का विश्वास किया जाता है— द्वारा वायुसीमा के अतिक्रमण से सम्बन्धित था ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर का क्या स्वरूप है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक ने "अतिक्रमण नहीं" का निर्णय इस आधार पर दिया कि निश्चित रूप से यह तय नहीं कर सके कि विमान कहां से उड़ा था तथा किस देश से सम्बन्धित था।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण कार्यों में लोहे तथा इस्पात की बचत

†६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण कार्यों में लोहे तथा इस्पात के प्रयोग में बचत सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिशें और सुझाव हैं ?

†**निर्माण, आवास तथा संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने विभिन्न टेक्नीकल और प्रशासनिक उपायों की सिफारिश की है । इसके उद्देश्य निम्न हैं :

(१) भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित नमूनों और सुधरे हुए सक्शनों के सानुरूप उत्पादन का वैज्ञानिकन ;

(२) डिजाइन की परिपाटी में वैज्ञानिकन जिसकी सिफारिश भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रकाशित परिपाटी की विभिन्न संहिताओं में है;

(३) निर्माणगत इस्पात के स्थान पर इमारती लकड़ी तथा दृढ़ सीमेंट कंकरीट का प्रयोग ;

(४) दृढ़ सीमेंट कंकरीट में डिजाइन के सुधार तथा दृढ़ कंकरीट का अधिक प्रयोग कर इस्पात में कमी करना ;

(५) प्रशिक्षण तथा विशिष्ट ज्ञान द्वारा डिजाइनों के प्रमाप में सुधार; और

(६) यथार्थ में सीमेंट की बचत को प्रभावी बनाने के लिये विभागीय तथा गैर विभागीय रोकथाम करना ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती

७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जमुना नदी के पार झील कुरंजा के निकट विस्थापित व्यक्तियों की जो बस्ती है वह वर्षा ऋतु में जलप्लावित हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, हां । केवल भारी वर्षा के कारण ।

(ख) हर साल मानसून के शुरू होने से पूर्व पानी को निकालने के लिये ट्रेलर पम्प लगाये जाते हैं । स्थायी तौर पर हैवी ड्यूटी पंपिंग सैट्स लगाये जायेंगे, जिन के खरीदने की व्यवस्था की जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थायी श्रम समिति[१]

†८. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री ब० स० मूर्त्ति :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थायी श्रम समिति की अक्तूबर, १९५७ में जो बैठक हुई थी, उसमें मुख्य रूप से क्या क्या निर्णय अथवा सिफ़ारिशें की गयीं थीं ;

(ख) क्या उनमें से किसी के बारे में कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) स्थायी श्रम समिति के १६वें सत्र में जो कि १७ और १८ अक्तूबर १९५७ को नयी दिल्ली में हुआ था, किये गये मुख्य मुख्य निर्णय । सिफ़ारिशें लोक-सभा पटल पर रखी जाती हैं । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५**]

(ख) जी, हां ।

(ग) उद्योग में अनुशासन संहिता सम्बन्धी निर्णय आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों, और स्वामियों तथा कर्मचारियों के संघों को भेज दिये गये हैं । अन्य निर्णयों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

सूचना मंत्रियों का सम्मेलन

९. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९५७ के अन्तिम सप्ताह में राज्यों के सूचना मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(ख) इन निर्णयों को किस हद तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). ३० अगस्त, १९५७ को हुए सम्मेलन की भांति राज्यों के सूचना मंत्रियों का सम्मेलन समय समय पर बुलाया जाता है ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी प्रचार कार्य का समन्वय हो सके । हाल के सम्मेलन में कोई नये निर्णय नहीं किये गये । इन सम्मेलनों का उद्देश्य रोज मर्राह के काम में पेश आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है ताकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रचार संगठन एक दूसरे से ज्यादा से ज्यादा मिल जुल कर काम कर सकें ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये इस समय दिल्ली और नई दिल्ली में कुछ क्वार्टर बनवाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने क्वार्टर बनवाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Standing Labour Committee.

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग सात हजार ।

दफ्तरियों के क्वार्टर

†११. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १५ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में अलीगंज (लोदी कोलोनी) में दफ्तरियों के २५ और चपरासियों के २२ क्वार्टर कब बनाये गये थे ;

(ख) उनकी इतने दिनों तक मरम्मत न कराने और बिजली न लगवाने के क्या कारण है; और

(ग) उस क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी के कितने क्वार्टरों में बिजली लग चुकी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) १९३९–४२ में ।

(ख) उन्हें दुमंजिले क्वार्टर बनाने की सुकरता के साथ ही साथ टूटी हुई छतों को दुबारा बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था । यह निर्णय किया गया है कि छत दुबारा बनाई जायें । अब वह कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, और छत दुबारा बनने के बाद शीघ्र ही उन क्वार्टरों में बिजली लगा दी जायेगी ।

(ग) ७२७ ।

दिल्ली के शरणार्थी रेहड़ीवाले

†१२. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वासुदेवन् नायर ।

†क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के शरणार्थी रेहड़ीवालों ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की है कि उनके पुनर्वास के बारे में कोई व्यवस्था की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी, हां ; दुकानों या छतदार शेडों की व्यवस्था के लिये प्रार्थना की है ।

(ख) राज्य सरकार के परामर्श से इस प्रार्थना पर विचार किया गया है, परन्तु इसे स्वीकार न किया जा सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रमेश नगर कोलोनी

†१३. **श्री रंगा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस घटना की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें, जैसा कि समाचार पत्रों में रिपोर्ट आई है, ६ अक्तूबर, १९५७ में रमेश नगर कोलोनी के निवासियों ने निर्माण, आवास और संभरण मंत्री की मोटर कार के सामने धरना दे दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) धरना देने वाले लोगों की शिकायतें, जो कि गाड़ीवान थे, स्थानीय नगरपालिका के विरुद्ध हैं, परन्तु उनकी शिकायतों को ठीक प्रकार से जाना नहीं जा सका, क्योंकि गाड़ीवानों की हुल्लड़बाजी के कारण वहां पर उपद्रव सा मच गया था । सरकार की प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

अफगानिस्तान में भारतीय चलचित्र

१४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अफगानिस्तान में भारतीय चलचित्र अत्यन्त लोकप्रिय हो रहे हैं और उनकी मांग बढ़ रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री देसाई) : भारतीय फिल्मों के निर्यात पर नियंत्रण न होने के कारण इनके निर्यात सम्बन्धी आंकड़ें देशानुसार नहीं रखे जाते थे। जनवरी १९५७ से इन्हें देशानुसार रखने की कोशिश की गई है । जनवरी से जून १९५७ तक की छमाही में ३·३५ लाख रु० के भारतीय फिल्म अफगानिस्तान को भेजे गये । विस्तृत जानकारी के अभाव में यह बताना कठिन है कि भारतीय फिल्म अफगानिस्तान में कितने लोकप्रिय हो रहे हैं अथवा उनकी मांग बढ़ रही है या नहीं ।

खादी की बिक्री

*†१५. **पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त से ३० सितम्बर, १९५७ के बीच विशेष रियायत की अवधि में विभिन्न प्रदर्शनालयों तथा खादी विक्रय डिपोओं में कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत की खादी बिकी; और

(ख) दो आने प्रति रुपया दी गई रियायत की राशि कहां से पूरी की गई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री देसाई)** : (क) अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उस अवधि में ९,०८,४११ रुपये की खादी बिकी थी । जहां तक बिकने वाली खादी की मात्रा का सम्बन्ध है, औसत रूप से एक वर्ग गज़ खादी की कीमत २ रुपये लगाई जाती है । इस आधार पर लगभग ४,५४,२०६ वर्ग गज़ खादी बिकी थी । यह जानकारी अभी पूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक सभी केन्द्रों से सूचना नही आई है । उपलब्ध होते ही सम्पूर्ण जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जहां तक सीधे ही खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित प्रदर्शनालयों तथा खादी विक्रय डिपोओं का सम्बन्ध है, खादी में दी गई विशेष रियायत उनके लाभ और हानि के खाते में से पूरी की जायेगी। जहां तक अन्य विभिन्न प्रमाणित संस्थाओं द्वारा संचालित अन्य विक्रय अभिकरणों का सम्बन्ध है, खादी में दी जाने वाली विशेष रियायत उनके अपने हिसाब में से पूरी की जायेगी ।

विदेशी व्यापार बोर्ड

†१६. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के विकास के लिये स्थापित किये गये विदेशी व्यापार बोर्ड ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की विशेष विशेष बातें क्या हैं, और उन सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी, नहीं। विदेशी व्यापार बोर्ड से किसी प्रकार के प्रतिवेदन की अपेक्षा नहीं है। इसका मुख्य काम यही है कि वह समय समय पर अपने देश के निर्यात संवर्द्धन प्रयत्नों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की नीति तथा योजना तैयार करे ।

प्लाईवुड उद्योग

†१७. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९५७ में दिल्ली में प्लाईवुड के सार्थों के सम्मेलन द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ख) उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

औद्योगिक विवाद अधिनियम

†१८. **श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात से उत्पन्न होने वाली अनियमितता की ओर आकृष्ट किया गया है कि खान नियम संख्या ७२, ७३ और ७४ के अधीन नियुक्त किये गये कल्याण-पदाधिकारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किये गये जाने वाले कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं, जब कि उन्हें उन सम्बन्धित खान-सार्थों के वेतन प्राप्त कर्मचारियों के समान भी काम करना पड़ता है और ऐसी दशा में उन्हें उसी सार्थ और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के बीच होने वाले विवादों में समझौता पदाधिकारियों के रूप में समझौता कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को खान कार्मिक संघों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार इस अनियमितता को दूर करने के लिये उक्त नियमों में कोई संशोधन करने का विचार रखती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** :(क) जी, नहीं। खान नियमों के अधीन नियुक्त किये गये कल्याण-पदाधिकारी समझौता-पदाधिकारियों के रूप में काम नहीं कर रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

त्रिपुरा में चाय-उत्पादन

†१९. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में चाय का उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है ;

(ख) १९५३, १९५४, १९५५ और १९५६ के वर्षों में चाय का कितना कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ग) क्या यह सच है कि चाय बागान जांच आयोग के अनुसार त्रिपुरा के चाय बागान के स्वामी वित्त की कमी के कारण भूमि के अभ्यंश के ५० प्रतिशत से अधिक भूमि में चाय का उत्पादन न कर सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)**:(क) त्रिपुरा में चाय का उत्पादन १९५३ की तुलना में बढ़ गया है ।

(ख)

१९५३	१९५४	१९५५	१९५६
	(१००० पौंडों में)		
३,८००	४५४४	४६५८	४१७४ (लगभग)

(ग) चाय बागान जांच आयोग ने चाय उद्योग सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में विशेष रूप से ऐसी कोई बात नहीं कही है ।

आयात लाइसेंस

†२०. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि जुलाई-सितम्बर, १९५७ में आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसरण में अत्यावश्यक पण्यों के लिये कितने और कितनी कीमत के आयात लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : जुलाई-सितम्बर, १९५७ में (२८-९-१९५७ तक) १,२६,३६ लाख रुपये की कीमत के १७,४०३ आयात लाइसेंस दिये गये थे ।

†मूल अंग्रेजी में

हाथकरघा बुनकरों के लिये बस्तियां

†२१. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २१ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा बुनकरों के लिये राज्यवार कितनी तथा कहां-कहां आवास बस्तियां मंजूर की गई हैं ; और

(ख) इन बस्तियों में से प्रत्येक के लिये कितनी कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

कागज़ बनाना

†२२. **श्री तिम्मय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ जलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मंड्या (मैसूर) में किस सार्थ को गन्ने की खोई से कागज़ तैयार करने के लिये फैक्टरी प्रारम्भ करने का लाइसेंस दिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई)** : मैसर्ज़ बेदी एण्ड को (प्राइवेट) लिमिटड, नागपुर को ।

गोआ में भारतीय राजनीतिक कैदी

†२३. **श्री जाधव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में इस समय कितने भारतीय राजनीतिक कैदी हैं ; और

(ख) उन्हें कितने कितने वर्ष का दण्ड दिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :

(क) सात ।

		वर्ष
(ख)	१. श्री मोहन लसमन रानाडे	२६
	२. श्रीमती सुधा जोशी	१०
	३. श्री गुरुनाथ अस्नोतिकर . .	६
	४. श्री गोविन्द मपुकाकर अलियास गोविन्द केशव पाटनकर . .	४
	५. श्री मनोहर फतेरपेरकर .	४
	६. श्री मधूसूदन गन्टक .	७
	७. श्री गंगाधर आर० मंजरेकर	७

बर्मा की नागरिकता

†२४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** ३० मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस समय से कितने भारतीयों को बर्मा में नागरिकता दी जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आज तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ३१ मार्च, १९५७ तक कुल ६२४६ भारतीयों को बर्मा में नागरिकता प्रदान की जा चुकी है ।

माण्डले में तिलक स्मारक हाल

†२५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** ३१ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लोकमान्य तिलक के स्मारक के रूप में माण्डले जेल में एक कक्षा-व-भाषण हॉल (क्लास-कम-लैक्चर हॉल) बनाने पर आने वाले खर्च के ब्योरेवार प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, हां । आशा है कि उसका निर्माण इस मास प्रारम्भ हो जायेगा ।

बालोपयोगी चलचित्र समिति

†२६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १७ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालोपयोगी चलचित्र समिति द्वारा बच्चों के लिये कौन कौन सी फिल्म तैयार की गई है ; और

(ख) सरकार द्वारा उस संस्था को चालू वर्ष में कितनी राशि दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) "स्काउट कैम्प" नामक एक रूपक चलचित्र तैयार किया जा रहा है ।

(ख) १,०८,४०० रुपये ।

द्वितीय अखिल भारतीय कृषि श्रमिक सम्बन्धी जांच

†२७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १० सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जांच के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां तो जांच की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जांच में मुख्य रूप से कृषि मजदूरों की संख्या, उनका संघटन, अर्जन क्षमता, मजूरी, रोजगारी, अल्प रोजगारी, बेरोजगारी, परिवार की आय, खर्च, तथा उनके ऋण आदि सम्मिलित हैं ।

भारत का राज्य व्यापार निगम

†२८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड को कितना लाभ हुआ था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त अवधि में निगम द्वारा कुल कितना खर्च किया गया था ; और

(ग) ३१ अक्तूबर, १९५७ तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरारजी देसाई) : (क) और (ख). आशा है कि निगम का वार्षिक प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा और उसकी एक प्रति लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) एक करोड़ रुपये ।

विदेशों में भारतीय राजदूतालय

†२९. सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में फ्रांस, जर्मनी, कनाडा तथा वाशिंगटन में भारतीय राजदूतालयों के कार्यालयों पर कितना खर्च हुआ है ; और

(ख) क्या उस वर्ष का खर्च पूर्ववर्ती वर्ष के खर्च की अपेक्षा बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों में से १९५५–५६ और १९५६–५७ में किये गये खर्चों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	१९५५–५६	१९५६–५७	(—) बचत (+) अधिकता
	रुपये	रुपये	रुपये
फ्रांस . .	१२,०९,८०४	११,८४,७३७	(—)२५,०६७
जर्मनी (बान) .	८,१६,०६८	८,८४,७०४	(+)६८,६३६
बर्लिन . .	—	१,४१,४६९	(+)१,४१,४६९
कनाडा .	७,४२,०२६	७,९५,३०९	(+)५३,२८३
वाशिंगटन .	२६,८२,३१८	२८,३१,९४९	(+)१,४९,६३१

जर्मनी, कनाडा तथा वाशिंगटन में खर्च बढ़ जाने के निम्नलिखित कारण हैं :—

जर्मनी

(१) बर्लिन स्थित भारतीय सैनिक मिशन को पहले जर्मन नियंत्रण मिशन द्वारा वेतन दिया जाता था । जून, १९५६ से यह सुविधा वापिस ले ली गई है और उस मिशन को एक नियमित वाणिज्य दूतावास बना दिया गया है और उस पर आने वाला सारा खर्च भारतीय राजस्व में से पूरा किया जाता है । बॉन में महामात्यालय के लिये अतिरिक्त आवास स्थान किराये पर लिये जाने के कारण अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा है और डाक और तारों पर भी खर्च बढ़ गया है ।

कनाडा

(२) ओटावा की ओर से न्यूयार्क, वाशिंगटन और सान फ्रांसिस्को को भेजे जाने वाले तारों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण खर्च बढ़ गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

वाशिंगटन

(३) डाक-टिकटों तथा तारों पर खर्च में वृद्धि और पिछले साल प्रतिरक्षा सेवा 'विंग' द्वारा समुद्री तारों पर असैनिक प्राक्कलनों के अन्तगत किये गये खर्च की राशि का खाते में समायोजन।

पंचायती रेडियो सेट

†३०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि ग्राम्य क्षेत्रों के लिये सामुदायिक श्रवण योजना* के अधीन पंजाब राज्य में अभी तक कुल कितने पंचायती रेडियो सेट वितरित किये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** पंजाब सरकार ने (पेप्सू सहित) सामुदायिक श्रवण योजना के अधीन ३१–३–१९५७ तक ३,६१० पंचायती रेडियो सेट संभरित किये हैं।

दिल्ली का काम दिलाऊ दफ्तर

†३१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ और १९५६-५७ में दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तर में कितने व्यक्तियों ने नाम रजिस्टर कराया था ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अभी तक कोई भी काम नहीं दिलाया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** (क)

१९५५–५६	—	१,००,८८५
९५६–५७	—	९४,६५०
कुल		१,९५,५३५

(ख) कुल पंजीबद्ध व्यक्तियों में से १,७१,९४५ व्यक्तियों को काम न दिलाया जा सका.

पंजाब के ग्रामों में गृह-निर्माण की व्यवस्था

३२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब के ग्रामों में गृह-निर्माण की व्यवस्था के लिये कुछ राशि आवंटित की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** सम्पूर्ण योजना काल के लिये ग्रामों के गृह-निर्माणओं परियोजना के लिये अभी तक राज्यवार धन आवंटन नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Community Listening Scheme.

श्री सारंगधर दास तथा श्री आर० एस० शर्मा का निधन

†अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री सारंगधर दास तथा श्री आर० एस० शर्मा की मृत्यु के बारे में सूचित करना है। श्री सारंगधर दास अस्थायी संसद्, भारत की संविधान सभा तथा प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। उनकी मृत्यु १९ सितम्बर, १९५७ को कटक में हुई। श्री आर० एस० शर्मा पुरानी केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे। उनकी मृत्यु तंजोर जिले में उनके गांव में हुई।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर शोक प्रकट करते हैं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं।

सदस्यगण शोक प्रकट करने के हेतु एक मिनट मौन खड़े रहें।

इसके पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे।

स्थगन प्रस्ताव

बड़ानगर में रेल दुर्घटना

†अध्यक्ष महोदय : मुझे कई स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें मिली हैं। उनमें से अधिकांश या लगभग सभी राज्यों के विषयों के सम्बन्ध में हैं। प्रथम स्थगन प्रस्ताव १० नवम्बर, १९५७ को बड़ानगर में हुई रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में है।

†श्री तंगामणि (मदुरै): इसके अलावा ८ नवम्बर को उत्तर पूर्व रेलवे पर कानपुर से ८० मील की दूरी पर एक और दुर्घटना हुई है। यह दोनों दुर्घटनायें बड़ी गम्भीर हैं।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री चाहें तो दोनों के बारे में वक्तव्य दे सकते हैं।

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मेरे पास उसी दुर्घटना के बारे में सूचना है जिसके बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। १०-११-५७ को २०-१० बजे जब एस० १९६ डाउन डकुनी-सियालदा लोकल गाड़ी बड़ानगर रोड स्टेशन पर खड़ी थी उसी समय ३३० डाउन क्युल-हावड़ा सवारी गाड़ी, जो सियालदा हो कर भेजी जा रही थी क्योंकि हावड़ा में पुनर्निर्माण का कुछ काम हो रहा है, एस० १९६ डाउन गाड़ी के पिछले भाग से टकरा गई जिसके परिणामस्वरूप डकुनी पेसेंजर गाड़ी का ४ पहियों वाला सामान का एक डिब्बा और ४ पहियों वाला एक वन्डर डिब्बा नष्ट हो गया। उस गाड़ी के एक टी० टी० ई० को गम्भीर चोट आई। ३३० डाउन के ब्रेक्समैन को भी साधारण चोट आई। डकुनी लोकल गाड़ी के दो यात्रियों को भी चोट आई। बी० आर० सिंह अस्पताल, सियालदा और लिलुआ अस्पताल से तुरन्त सहायता की गाड़ियां पहुचाई गईं और घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया गया। सरकारी रेलवे इन्स्पेक्टर आज यानी ११-११-५७ को जांच कर रहा है। उसकी जांच समाप्त होने पर दुर्घटना के कारण का पता लगेगा।

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—पर्व) क्या उस घायल टी० टी० ई० को क्षतिपूर्ति मिलेगी ?

श्री जगजीवन राम : कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन उसे जो क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिये वह मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फिरोज गांधी** (रायबरेली) : हम देखते हैं कि माननीय मंत्री हमेशा कह देते हैं कि दुर्घटना की जांच की जा रही है और उसका प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया जायेगा। पर ये प्रतिवेदन कभी भी सभा पटल पर नहीं रखे जाते। क्या माननीय मंत्री ऐसा कोई कदम उठाने जा रहे हैं कि एक या दो महीने बाद प्रतिवेदन अवश्य उपलब्ध हो जाया करें ? पिछले सत्र में मैंने एक प्रश्न की सूचना दी थी जिसमें एक बड़ी दुर्घटना के लिये जानकारी मांगी गई थी। उसके बारे में भी यही जवाब मिला था।

†**श्री जगजीवन राम** : गत बार तो मैंने यह कहा था कि जब सरकारी निरीक्षक का प्रतिवेदन उपलब्ध हो जायेगा तो संचार मंत्रालय उसे सभा पटल पर रखेगा। पर हमें बताया गया है कि ऐसे प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में कुछ वैधानिक कठिनाइयां हैं। मैं समझता हूं कि इन कठिनाइयों के बारे में माननीय संचार मंत्री उचित समय पर कुछ बतायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी छोटी मोटी दुर्घटनाओं के प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे जा सकते। साधरण दुर्घटनाओं के संबंध में तो माननीय मंत्री सभा में वक्तव्य दे सकते हैं और गंभीर दुर्घटनाओं के संबंध में यदि वह ठीक समझें या माननीय सदस्य ऐसा चाहें तो प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जा सकता है।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं आप के सुझाव से सहमत हूं कि गंभीर दुर्घटनाओं के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की प्रतीक्षा न कर के सभा में एक वक्तव्य दे दिया जाय और यदि सभा का सत्र न चल रहा हो तो, सत्र के आरंभ होते ही एक वक्तव्य सभा में दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये व्यक्तव्य को ध्यान में रख कर मैं इस स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं दे सकता।

उत्तर प्रदेश और बिहार आदि में अनेक क्षेत्रों में सूखे की कथति स्थित तथा भुखमरी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सूखे की स्थिति तथा भुखमरी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिसमें मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि खाद्य स्थिति के संबंध में एक वाद विवाद होने वाला है जिसमें माननीय सदस्य सभी प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकेंगे और माननीय मंत्री उनका उत्तर देंगे।

रामनाथपुरम् जिले में दंगे

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे रामनाथपुरम् के दंगे के बारे में श्री कामले का स्थगन प्रस्ताव मिला है। यह विधि और व्यवस्था का प्रश्न है अतः राज्य सरकार से सम्बद्ध है। परन्तु इससे हरिजनों आदि का संबंध है और हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों आदि के कल्याण के बारे में हम उत्तरदायी हैं इसलिये यह प्रश्न है कि इस प्रस्ताव को गृहीत किया जाये या नहीं। मुझे इस पर विचार करने का समय नहीं मिला। खैर इस संबंध में अनेक प्रश्न दिये गये हैं, हमें देखना चाहिए कि उनका क्या उत्तर मिलता है। माननीय मंत्री के क्या विचार हैं?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : इन प्रश्नों के उत्तर के लिये मद्रास सरकार को जब हमने लिखा तो उन्होंने यह कहा है कि यह मामला पूर्णतया उनके क्षेत्राधिकार में है और लोक सभा से उसका कोई संबंध नहीं है। अतः इस संबंध में आप चाहें वह निर्णय करें। मैं प्रश्नों का उत्तर तथा मांगी गयी जानकारी अवश्य दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्रि० कु० चौधरी :(वराहामपुर) : रामनाथपुरम् के दंगे का मामला महत्वपूर्ण है। अतः यदि इस सभा में इस पर पूर्ण चर्चा हो तो अधिक अच्छा हो।

†अध्यक्ष महोदय : वैसे तो यह राज्य का मामला हो सकता है फिर भी मैं देखूंगा कि क्या हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। इस समय मैं कोई विनिर्णय नहीं दे सकता। मैं मामले पर विचार करूंगा। माननीय मंत्री से भी परामर्श लूंगा और तब निर्णय करूंगा।

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : क्या राज्य को यह अधिकार है कि जब किसी प्रश्न के बारे में उनसे कुछ पूछा जाये तो वह यह कह दें कि यह राज्य का विषय है और उस पर सूचना देनें से इन्कार कर दें। यह एकविशेषाधिकार का प्रश्न है जिसका निर्णय किया जाना चाहिए। यह बड़ा गंभीर मामला है।

†पंडित गो० ब० पन्त : राज्य सरकार ने उत्तर देने से इन्कार नहीं किया बल्कि उत्तर के साथ ही राज्य सरकार ने हमें लिखा कि :

"अभी हाल में हुए रामनाथपुरम् के दंगों के बारे में लोक-सभा में पूछे जाने वाले प्रश्न... सार्वजनिक व्यवस्था एक ऐसा विषय है जिस पर संघ का कार्यकारिणी प्राधिकार नहीं है। अतः लोक सभा में ऐसे प्रश्नों का उठाया जाना संवैधानिक दृष्टि से अनुचित है।"

राज्य सरकार ने तो सिर्फ यही कहा कि यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का है। अतः यदि इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आप आदेश देंगे कि प्रश्नों का उत्तर दिया जाय और उस पर चर्चा की जाये तो आप का आदेश सभी को मान्य होगा। हमें वैधानिक दृष्टिकोण पर विचार करना है। हमारी राय में यद्यपि वैधानिक दृष्टि से यह मामला हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है फिर भी हमारी सभा एक उत्तरदायी सभा के रूप में इस विषय पर विचार कर सकती है।

†अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर मैं अभी निर्णय नहीं देता। यह एक महत्वपूर्ण तथा नाजुक मामला है। विधि और व्यवस्था का विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। हम इस पर यहां चर्चा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह भी है कि वहां पर राज्य विधान सभा है उसमें वहां के प्रतिनिधि हैं जो उस पर चर्चा करेंगे। मैं मानता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और माननीय सदस्य इस बारे में वादविवाद चाहते हैं। परन्तु इस मामले में सावधानी की आवश्यकता है। मैं सभी पहलुओं पर विचार करूंगा।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जब अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि वह मामले पर विचार करेंगे तो आगे तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ सदस्य समझते हैं कि यदि कोई केन्द्रीय मंत्री या सरकार का कोई व्यक्ति वहां जाता है तो यह राज्य के कामों में हस्तक्षेप करना है। यह बड़ी अजीब सी बात है—केन्द्रीय मंत्री फिर क्या आसमान में रहेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर आगे चर्चा नहीं होने दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा दोष सिद्धि

†अध्यक्ष महोदय : मुझे लोक-सभा को सूचित करना है कि मुझे गौहाटी के डिप्टी कमिश्नर से दिनांक ८ नवम्बर, १९५७ का निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है :

"लोक-सभा के सदस्य श्री हेम बरुआ को आज गौहाटी की पुलिस ने न्यायाधीश की अदालत में अन्य लोगों के साथ अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और तेल-शोधन कारखाने के बारे में प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उनके खिलाफ कार्यवाही की गई और उन्हें भारतीय दंड सहिता की धारा ४४८ के अन्तर्गत न्यायालय के उठने तक की कैद की सजा दी गई।"

स्थगन प्रस्ताव—जारी

पुनर्वास मंत्री सम्मेलन में पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य

†श्री विमल घोष (बैरकपुर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

†अध्यक्ष महोदय : किस विषय के संबंध में ?

†श्री विमल घोष : पुनर्वास मंत्री के वक्तव्य के बारे में।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर कल विचार करूंगा। यदि मैं उसे गृहीत कर लूंगा तो उसको पेश करने की अनुमति दूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

कोयले वाले क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) नियमों में संशोधन

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं कोयला वाले क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत कोयले वाले क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ सितम्बर, १९५७ की अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ३१४/५७]

भारत का रिज़र्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद १२३(२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा ३१ अक्तूबर, १९५७ को प्रख्यापित भारत का रिज़र्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (१९५७ की संख्या ६) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० ३१५/५७]

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली खाद्य अपमिश्रण रोक नियम

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम १९५४ की धारा २४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत १२ सितम्बर, १९५७ की दिल्ली प्रशासन अधिसूचना संख्या एफ० ३२(४७)/५५ एम० टी० एंड सी० ई० में प्रकाशित दिल्ली खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५६ की एक प्रति सभाप-टल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी० ३१६/५७]

चाय नियमों में संशोधन

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चाय नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ सितम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २९७४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० ३१७/५७]

रबड़ नियमों में संशोधन

†श्री कानूनगो : मैं रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ सितम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २९०४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० ३१८/५७]

समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र में संशोधन

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३०३८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० ३१९/५७]

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमों में संशोधन

श्री ब० रा० भगत : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) एस० आर० ओ० संख्या २९६६, दिनांक २१ सितम्बर, १९५७।

(२) एस० आर० ओ० संख्या ३२१८, दिनांक १२ अक्तूबर, १९५७।

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० ३२०/५७]

व्यापार-संस्थायें जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम की धारा ५६-क के अन्तर्गत छूट दी गई

†श्री ब० रा० भगत : मैं वित्त विधेयक १९५३ पर १८ अप्रैल, १९५३ को हुई चर्चा के दौरान दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में जिन व्यापार संस्थाओं को भारतीय आय-कर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

अधिनियम, १९२२ की धारा ५६-क के अन्तर्गत १९५६-५७ में छूट दी गई है उनकी एक सूची सभा-पटल पर रखता हूं । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]

औद्योगिक वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†श्री ब० रा० भगत : मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत ३० जून, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के औद्योगिक वित्त निगम के संचालक मण्डल के नवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति उक्त वर्ष के लिये निगम की आस्तियों और दायित्व तथा लाभ-हानि के लेखे के विवरण सहित सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिए संख्या एल० टी० ३२२/५७]

समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचनायें

†श्री ब० रा० भगत : मैं समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक २६ अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या २७१८ ।

(२) दिनांक २६ अगस्त, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या २७१९ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (डाइक्रोमेट्स) नियम, १९५७ दिये हुए हैं ।

(३) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (प्लास्टिक का सामान) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३१ अगस्त, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या २७८२ ।

(४) दिनांक १३ सितम्बर, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या २९४० ।

(५) दिनांक १३ सितम्बर, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या २९४१ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (कार्बन पेपर) नियम १९५७ दिये हुए हैं ।

(६) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नकली रेशम) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ सितम्बर, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या २९४६ ।

(७) दिनांक ११ अक्तूबर, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या ३२७३ ।

(८) दिनांक ११ अक्तूबर, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या ३२७४ जिसमें सीमा शुल्क प्रत्याहृत (खांसी का शर्बत) नियम, १९५७ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिए संख्या एल० टी० ३२३/५७]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचनायें

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की दिनांक ८ जून, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३४६ को रद्द करने वाली दिनांक १४ सितम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २९१४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिए संख्या एल० टी० ३२४/५७]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश

†सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या ४७-क और ४७-ख तथा निदेश संख्या ६५(२) के संशोधन की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिए संख्या एल० टी० ३२६/५७]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा १४ सितम्बर, १९५७ की अपनी बैठक में पारित किये गये औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक, १९५७ की एक प्रति संलग्न की है ।

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक, १९५७ को, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं २ सितम्बर, १९५७ को लोक सभा को दी गयी सूचना के बाद गत सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित ग्यारह विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

१. रेलवे यात्री किराया विधेयक, १९५७
२. वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७
३. धन कर विधेयक, १९५७
४. व्यय कर विधेयक, १९५७
५. न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९५७
६. धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक, १९५७
७. वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक, १९५७
८. सूती वस्त्र (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक, १९५७
९. भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, १९५७
१०. बीमा (संशोधन) विधेयक, १९५७
११. निरसन और संशोधन विधेयक, १९५७

---

†मूल अंग्रेजी में

[सचिव]

मैं २ सितम्बर, १९५७ को लोक सभा को दी गयी सूचना के बाद पिछले सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की, राज्य सभा के सचिव द्वारा यथाविधि प्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

१. रेलवे संरक्षण बल विधेयक, १९५७
२. अत्यावश्यक पण्य (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९५७
३. विधान परिषद विधेयक, १९५७
४. अन्तर्राज्यीय निगम विधेयक, १९५७
५. विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९५७

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन*

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मैं दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, १९५७ संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

दिल्ली विकास विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मैं दिल्ली विकास विधेयक, १९५७ संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

नौसेना विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन*

†श्री सें० वें० रामस्वामी (सैलम) : मैं नौसैना विधेयक, १९५७ संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक और दिल्ली विकास विधेयक

संयुक्त समितियों के सामने दिये गये साक्ष्य सभा-पटल पर रखे गये

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मैं दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, १९५७ और दिल्ली विकास विधेयक, १९५७ संबंधी संयुक्त समितियों के सामने दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

तारांकित प्रश्न संख्या ११३० के उत्तर की शुद्धि

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : श्रीमान्, २४ अगस्त, १९५७ को तारांकित प्रश्न संख्या ११३० के, जो विभिन्न राज्यों में लगाये गये सुधार-कर की औसत दरों के बारे में था, उत्तर में मैं ने एक विवरण सभा-पटल पर रखा था और आन्ध्र तथा उड़ीसा राज्य के विधेयकों के आधार

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, तारीख ११-११-५७ में प्रकाशित ।

पर, अधिनियमों के आधार पर नहीं, मैं ने स्थिति बताई थी। पर अब अधिनियमों के आधार पर इन दोनों राज्यों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

आन्ध्र : आन्ध्र अधिनियम के अनुसार सुधार-कर की वृद्धि का आधार भूमि के मूल्य की वृद्धि होगा जो कि निर्माण तिथि से उस के पूर्व होने की तिथि के दौरान उस के बढ़े हुए मूल्य के आधे से अधिक नहीं होगा।

उड़ीसा : उड़ीसा अधिनियम के अनुसार सुधार-कर का आधार प्रत्येक श्रेणी की भूमि के कुल उत्पादन की वार्षिक वृद्धि होगा। प्रत्येक श्रेणी की भूमि का पूंजी मूल्य इस कुल उत्पादन का १० गुना बढ़ा हुआ समझा जायेगा और पूंजी मूल्य की वृद्धि तथा भूमि को सुविधानुसार सिंचाई सुविधा का उठाने योग्य बनाने में जो व्यय होगा उस के अन्तर का आधा सुधार-कर लगाया जायेगा। सुधार-कर की प्रति एकड़ दर तथा इस कर द्वारा एकत्रित की जाने वाली सम्पूर्ण राशि का उड़ीसा में अभी हिसाब नहीं लगाया गया है।

अपराधी परिवीक्षा विधेयक*

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधियों को परिवीक्षा पर या उचित चेतावनी देने के बाद उन्हें रिहा करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अपराधियों को परिवीक्षा पर या उचित चेतावनी देने के बाद उन्हें रिहा करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**पंडित गो० ब० पंत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** (बरहामपुर) : औद्योगिक वित्त निगम संशोधन विधेयक पर आज चर्चा होने वाली है पर चूंकि औद्योगिक वित्त निगम का प्रतिवेदन हमें आज ही मिला है अतः यदि इस विधेयक की चर्चा को स्थागित कर दिया जाय तो अच्छा हो ताकि हम लोगों को इस प्रतिवेदन के अध्ययन का मौका मिल जाये।

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक के लिये, जिससे सिर्फ दो खण्ड है और एक भी संशोधन नहीं है, ४ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। पर औद्योगिक वित्त निगम संशोधन विधेयक में १४ खण्ड हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखा जायेगा।

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय अधिनियम १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, तारीख ११-११-५७ में प्रकाशित।

[श्री आबिद अली]

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि त्रावन कोर-कोचीन बैंकिंग जांच आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये निर्णय को प्रभावी बनाया जाये। इस आयोग की स्थापना उस आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में की गई थी, जिस की नियुक्ति भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य की अर्थ-व्यवस्था के संबंध में उस राज्य में समाविष्ट सभी बैंकों की वित्तीय स्थिति की परीक्षा करने और उन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और निबन्धनों के बारे में सिफारिशें करने के लिये की गई थी।

भारत सरकार ने मार्च १९५७ में आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में अपने निर्णय की घोषणा कर दी थी। उस ने बैंक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा निबन्धनों से संबंधित लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं। उस राज्य में कुल १६० बैंक हैं, जिन में से १७ बैंकों की शाखायें राज्य से बाहर भी हैं और इसलिये उन पर बैंक पंचाट लागू होता है। शेष बैंकों पर पंचाट लागू नहीं होता। आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि जिन भी बैंकों पर पंचाट लागू नहीं होता, उन बैंकों को क्षेत्र ४ में गठित उनकी शाखाओं के सम्बन्ध में, अर्थात् ३०,०० से कम जनसंख्या वाले नगरों में गठित उन की शाखाओं के सम्बन्ध में, पंचाट से जो विमुक्ति दी गई है उसे वापिस ले लिया जाये। आयोग ने यह भी कहा है कि इन बैंकों के सम्बन्ध में पंचाट कार्यान्वित करने के लिये, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अनुसार, उचित प्राधिकारी राज्य सरकार ही है। इसीलिये, भारत सरकार ने इन सिफारिशों को उचित कार्यवाही के लिये राज्य सरकार के पास भेज दिया है। जहांतक हमें जानकारी है, पंचाट के अन्तर्गत आने वाले इन बैंकों को छोड़ कर सरकारी विधान की प्रत्याशा में अन्य सभी उन बैंकों के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बना दिया गया है जिनपर कि पंचाट लागू होता है। इन तीन बैंकों में से एक बैंक ने आश्वासन दिया है कि वह ८ नवम्बर, १९५७ तक पंचाट को कार्यान्वित कर देगा। हमने अपने समझौता अधिकारी से कहा है कि वह शेष दो बैंकों, अर्थात्, साउथ इंडिया बैंक और कैथालिक सीरियन बैंक से भी इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का अनुरोध करे। जो भी हो इन दो बैंकों ने समझौता अधिकारी को सूचित किया है कि वे विधान बनने से पहले इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं।

इस विधेयक के अधिनियम के रूप में पारित होते ही, वे दो बैंक भी इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर देंगे। विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों के हिसाब में जितना भी बकाया निकलता है उसे अदा किया जाये।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को सभा की स्वीकृति के लिये रखता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†श्री प्रभात कार (हुगली) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, लेकिन सरकार ने भूतलक्षी प्रभाव की तिथि को १-४-५४ से बदल कर १-१-५५ क्यों कर दिया है?

त्रावनकोर-कोचीन बैंकिंग जांच आयोग की नियुक्ति का एक उद्देश्य यह भी था कि औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत आने वाले बैंकों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और निबन्धनों की जांच करके उन के बारे में सिफारिशें करें।

आयोग को बैंकिंग व्यवसाय को और अधिक दृढ़ आधार पर लाने के सम्बन्ध में भी सिफारिशें करनी थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

आयोग ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य की बैंकिंग व्यवस्था की ब्यौरेवार जांच करने के बाद ही इन बैंकों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा निबन्धनों को नियमित करने के लिये भूतलक्षी प्रभाव की तिथि १-४-५४ निश्चित की थी ।

आयोग को पूरी शक्ति प्रदान की गई थी और उसने पूरे प्रश्न की ब्यौरेवार परीक्षा भी की थी, लेकिन सरकार ने उस के द्वारा निश्चित तिथि को बदल दिया है। यह सर्वथा अनुचित है। सरकार सदा कर्मचारियों के विरुद्ध ही हस्तक्षेप करती है ।

इस विधेयक को नवम्बर, १९५७ में सभा में पेश किया गया है और इस का भूतलक्षी प्रभाव १-५-५५ से होगा । इस काल में मालिकों ने पंचाट की कई व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया है। सरकार ने पंचाट को वास्तव में १-४-५४ से प्रभावी बनाने के लिये उन मदों को भी विधेयक में समाविष्ट करने के लिये क्या किया है ? सरकार को मालिकों द्वारा किये गये पंचाट के उल्लंघनों को ठीक करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये ।

आयोग ने जुलाई, १९५६ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था और सरकार अब नवम्बर, १९५७ में उसे विधेयक के रूप में रख रही है। इस बीच में मालिकों ने कई कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है, और कई अन्य कर्मचारियों पर ज्यादतियां की गई हैं। सरकार ने कर्मचारियों के संरक्षण के लिये क्या किया है ?

इस के अतिरिक्त, राज्यों के पुनर्गठन के दौरान में कई बैंक राज्य बैंक बन गये हैं, और ऐसे तीन बैंकों की सूचना सरकार को दी भी जा चुकी है ये तीनों बैंक पंचाट के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। और इसलिये, इन तीनों बैंकों के कर्मचारियों को पंचाट में निर्देशित सेवा की शर्तों का लाभ मिलना चाहिये। परन्तु, इस विधेयक में उस की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है ।

आयोग ने बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य के १६९ बैंकों के कर्मचारियों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में बड़ी ब्यौरेवार सिफारिशें की थीं, लेकिन सरकार ने उन को भी नहीं माना है ।

गजेन्द्र गाडकर पंचाट ने भी भूतलक्षी प्रभाव की तिथि १-४-५४ ही निश्चित की थी। उसी की सिफारिश के अनुसरण में आयोग की नियुक्ति हुई थी। आयोग ने भी १-४-५४ की तिथि की ही सिफारिश की थी। लेकिन, सरकार ने कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा करके, उसे बदल कर १-१-५५ कर दिया है। इन नौ महीनों की उपलब्धियां कर्मचारियों के लिये बड़ा महत्व रखती हैं। इसलिये श्रम मंत्री को इस तिथि को बदलना नहीं चाहिये, अन्यथा कर्मचारी यही सोचेंगे कि सरकार सदा मालिकों का ही पक्षपात करती है ; सरकार को आयोग की सभी सिफारिशें मान लेनी चाहियें ।

यही मेरा श्रम मंत्री से अनुरोध है ।

†डा० क० ब० मेननः (बडागरा): मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन की बैंकिंग व्यवस्था जैसी इतनी बड़ी समस्या के प्रति उचित गम्भीरता नहीं दिखाई है और एक इतना छोटा सा संशोधन प्रस्तुत किया है ।

सरकार ने जनता और कर्मचारियों के निरन्तर प्रचार के बाद १९५२ में बैंकिंग उद्योग के विचाराधीन विवादों की जांच के लिये एक शास्त्री आयोग नियुक्त किया था । उस आयोग की

†मूल अंग्रेजी में

[डा० क० ब० मेनन]

सिफारिशें संतोषप्रद नहीं थीं और उन को श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया था, जिसने उन सिफारिशों में कुछ संशोधन किये थे। सरकार ने १९५४ में उस न्यायाधिकरण की कुछ सिफारिशें मान ली थीं, लेकिन साथ ही एक आदेश भी निकाला था कि वे सिफारिशें ३०,००० से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगी। उस आदेश के विरुद्ध प्रचार होने पर, फिर पूरा मसला बैंकिंग जांच आयोग को सौंपा गया था, जिसका प्रतिवेदन १९५५ में सरकार को मिल गया था।

सरकार का वह आदेश बड़ा ही अवांछनीय था। इसलिये कि कर्मचारियों का मजूरी-ढ़ांचा और उन की सेवा की शर्तें जनसंख्या पर निर्भर नहीं रहतीं। उन का आधार तो मुख्यतया मूल्य-ढांचे पर ही रहता है। यह तो बैंकों के कर्मचारियों में विभेद करना हुआ। यह उन के साथ अन्याय है।

सरकार के उस आदेश के अनुसार तो वे सिफारिशें त्रावनकोर-कोचीन राज्य के १६१ बैंकों में से कुल १७ पर ही लागू होती हैं। शेष १४४ बैंकों के कर्मचारियों को पंचाट की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल सकता। यह सर्वथा अनुचित है।

दूसरी चीज यह है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बैंकों ने उसके क्षेत्रों के विकास में उस प्रकार हाथ नहीं बटाया है जैसी कि बैंकों से आशा की जाती है। यह कहना गलत है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बैंक केवल भूमि की जमानत पर ही ऋण देते हैं। वे छोटे और मझौले पैमाने के वाणिज्यिक और व्यवसायिक सौदे भी करते हैं।

खेद की बात तो यह है कि इन बैंकों ने उद्योगों के विकास में कोई अधिक हाथ नहीं बटाया है। उन्होंन नारियल जटा और काजू उद्योगों को उचित सहायता नहीं दी है। १७ बैंकों को छोड़ कर, अन्य सभी बैंक आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर नहीं हैं। इसी दशा में, सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह जनहित के विरुद्ध पड़ने वाले ऐसे बैंकों को बन्द कर दे।

इन बैंकों के कर्मचारियों की दशा भी बड़ी खराब है। श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने ६५ रुपये की न्यूनतम मजूरी की सिफारिश की थी। लेकिन इन बैंकों में केवल १५ या २५ रुपये ही दिये जाते हैं। क्लर्कों का वेतन २५ रुपये से ४० रुपये तक ही है। यह इसीलिये कि उन को श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण की सिफारिशों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

इन में से कई बैंकों में तो मंहगाई भत्ता दिया ही नहीं जाता, और दिया भी जाता है तो ८ रुपये प्रति मास। इस से उन कर्मचारियों की विपन्न दशा का अनुमान लगाया जा सकता है।

इन बैंकों में, और उन १७ बैंकों में से भी कई बैंकों में, काम का दिन सुबह नौ बजे से शाम के सात बजे तक रहता है। शेष १४४ बैंकों में काम के घंटों, मंहगाई भत्ते, छट्टियों, आदि के लिये कोई नियम भा नहीं है। ये अधिकांश बैंक पारिवारिक व्यवसायिक संस्थाओं के रूप में ही चलाये जाते हैं।

ये बैंक अस्वास्थ्यप्रद बस्तियों में बने हैं, और उन के कमरे भी बड़े गन्दे और अंधेरे रहते हैं। केरल राज्य के ये बैंक ऐसी ही परिस्थितियों में चलते हैं। केवल वेतन-वृद्धि से केरल के बैंकिंग उद्योग की समस्या नहीं सुलझेगी। पूरी समस्या का हल तभी हो सकता है जब कि समूचे बैंकिंग उद्योग को सरकार अपने अधिकार में ले ले।

मुझ त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बैंकों की कुरी निधि और चिट निधि के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि उन के काम करने का तरीका बड़ा गलत है। यदि ऋण लेने वाला, कुरी निधि की एक भी किस्त अदा न कर सके, तो उस की पहले की सभी अदायगियां बैंक जब्त

कर लेते हैं। निर्दोष और असहाय जनता इन का शिकार बनती है। सरकार को कुरी और चिट निधि की समूची व्यवस्था की छानबीन करानी चाहिये। उन के विनियमन और नियंत्रण की बड़ी आवश्यकता है।

राज्य के वित्तीय और बैंकिंग ढांचे में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और उसका हल तभी हो सकता है जब कि सारे राज्य के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

†श्री नारायणन कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम्) : हमें बहुत दिनों से इस विधान की प्रत्याशा थी। इस विधान को देखने से भारत सरकार की श्रम नीति की कुछ आधारभूत बात का पता चलता है।

सरकार ने बैंकिंग उद्योग के विवादों में अन्य किसी भी उद्योग के विवादों से अधिक निर्णायक रूप में हाथ बंटाया है। भारत सरकार ने छः वर्ष पहले एक बैंकिंग विवाद के सिलसिले में एक अर्द्ध-न्यायिक आयोग नियुक्त किया था। उस आयोग ने पूरी बैंकिंग व्यवस्था की बड़ी गहराई से छानबीन की थी।

आयोग ने सिफारिश की थी कि सभी बैंकिंग कर्मचारियों की सेवा की परिस्थितियों में एकरूपता लाई जाये। इस पर बैंक मालिकों ने बड़ी आपत्ति की थी। इस पर सरकार ने बैंक मालिकों की ओर से हस्तक्षेप किया था। आयोग की सिफारिशों के बावजूद, सरकार ने मालिकों के साथ पक्षपात किया था।

उन सिफारिशों की व्यवस्थाओं से त्रावनकोर-कोचीन के बैंक मालिकों को पूरी छूट दे दी गई थी। उस समय तर्क यह दिया गया था कि त्रावनकोर-कोचीन के बैंक पंचाट आयोग द्वारा निर्धारित वेतन-क्रमों को अदा करने में असमर्थ हैं। बाद में जो आयोग नियुक्त किया गया था, उसने भी यही सिफारिश की थी कि कुछ बैंकों को पंचाट के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करना ही चाहिये। अब श्रम मंत्री कहते हैं कि सरकार ने उन बैंकों से अनुरोध किया है कि वे द्वितीय आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करें, लेकिन बैंक मालिक उस से इन्कार कर रहे हैं।

बैंक मालिकों ने सरकार को यही उत्तर दिया है कि वे पंचाट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं हैं और सरकार चाहे तो विधान बना दे। उसी के फलस्वरूप, यह विधेयक हमारे सामने आया है। लेकिन इस विधेयक में भी सरकार ने, आयोग द्वारा दिये गये तर्कों को स्वीकार कर लेने के बाद भी, द्वितीय आयोग की सिफारिशों में परिवर्तन कर दिया है। सरकार ने भूतलक्षी प्रभाव की तिथि १-४-५४ के बदले १-१-५६ कर दी है। पता नहीं इस का क्या कारण है। बैंकों की अदायगी की सामर्थ्य के आधार पर, न्यायिक न्यायाधिकरणों की सिफारिशों को इस प्रकार बदलना उचित नहीं है।

इस से पता चलता है कि सरकार की श्रम नीति यही है कि वह न्यायाधिकरणों के प्रतिवेदनों को अधिक महत्व नहीं देती। सरकार बैंक मालिकों की धमकियों के सामने चुप रहती है। दूसरी ओर जब बैंक कर्मचारी पंचाट की सिफारिशों को कार्यान्वित कराने की न्यायपूर्ण मांग करते हैं तो सरकार उस की उपेक्षा कर देती है। गत साढ़े तीन वर्षों से सैंकड़ों बैंक विवाद विचाराधीन पड़े हैं। उनमें समझौते न होने पर, सरकार का कर्तव्य है कि वह उन को न्यायाधिकरणों को सौंपे। लेकिन कर्मचारियों के प्रार्थनापत्र श्रम मंत्रालय में पड़े रहते हैं।

सरकार न्यायाधिकरण नियुक्त करने से इन्कार कर देती है। मूल अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार को समझौते न होने पर विवादों को प्रादेशिक न्यायाधिकरणों को सौंपना ही चाहिये। लेकिन, सरकार ने एक भी प्रादेशिक न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं की है। विवादों की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन कुट्टि मैनन

संख्या बढ़ ी जा रही है, और इसीलिये कर्मचारियों में असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। सरकार उनकी नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है ।

विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र म सरकार ने इन विवादों के निबटारे के लिये एक भी न्यायाधिकरण नियुक्त नहीं किया है। आशा है कि इस विधेयक की चर्चा के समय श्रम मंत्रालय इस पर विचार करेगा, और विवादों के निबटारे के लिये न्यायाधिकरण नियुक्त करेगा । इस से बैंकिंग उद्योग के तमाम झगड़ों से बचा जा सकेगा ।

अब विधेयक के पूरे आधार को लीजिये। आयोग ने मूलत: यही कहा था कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य की समूची बैंकिंग व्यवस्था में कोई बड़ी गम्भीर गलती है । यह ठीक नहीं है । आज तो समूचे भारत के बैंकिंग उद्योग में गड़बड़ी है, त्रावनकोर-कोचीन राज्य की बैंकिंग व्यवस्था में अलग से कोई बिल्कुल नई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा तो यही होता कि आयोग ने समूचे देश की बैंकिंग व्यवस्था की गड़बड़ी की छानबीन करके उनकी मूल गलती, या उन के दोष बताये होते । उन को ऐसे समय में दूर भी किया जा सकता था। मैं तो कहता हूं कि यदि सरकार समूचे देश की बैंकिंग व्यवस्था का और अच्छा नियंत्रण तथा निदेशन करती, तो देश की अर्थव्यवस्था पर उस का नियंत्रण और भी अधिक प्रभावी रहता ।

हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग केवल इसी लिये नहीं कर रहे हैं कि बैंक मालिक अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देने से इन्कार कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण की मांग हम इसलिये करते हैं कि उन के नियंत्रण के सम्बन्ध में सरकार जब तब अपनी असामर्थ्य प्रकट करती रहती है । भारत के बैंक देश की समूची पूंजी संचित कर लेते हैं, और फिर सरकार की इच्छानुसार देश के हित में कार्य करने से इन्कार कर देते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना और हमारी समूची अर्थ व्यवस्था के हित में यही है कि सरकार इन बैंकों पर नियंत्रण रखने का तरीका निकाले । भारत के रक्षित बैंक के प्रतिबन्धों के बावजूद, कई बैंक अपनी अनुचित कार्यवाहियां बन्द नहीं कर रहे हैं।

इसीलिये, मैं कहता हूं कि हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था की त्रुटियों को दूर करने और उन्हें अधिक दृढ़ आधार पर रखने के लिये आवश्यक है कि बैंकिंग ढांचे का राष्ट्रीयकरण किया जाये ।

बैंकिंग कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को शासित करने वाला पहले का बैंक पंचाट अब पुराना और निरर्थक हो चुका है । कलकत्ता की बैंक हड़ताल के समय.....

†**श्री आबिद अली** : कलकत्ता की हड़ताल या वहां के कर्मचारियों से इस विधेयक का कोई सम्बन्ध नहीं है । इस विधेयक का क्षेत्र अत्यन्त ही सीमित है । यह विधेयक त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र के उल्लिखित बैंकों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही है । मैं ने अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि इस प्रकार मूल विषय को छोड़ कर कलकत्ता का जिक्र करना संगत नहीं है ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : यदि मैं अभी उस का उल्लेख न करूं, तो फिर कभी उस की चर्चा ही नहीं कर सकूंगा । यह विधेयक मूल पंचाट का ही प्रतिफल है ।

कलकत्ता हड़ताल का मुख्य कारण यही था कि मूल पंचाट की व्यवस्थायें अपर्याप्त थीं । अब एक नये सिरे से बढ़ते हुए मूल्यों के अनुसार मंहगाई भत्ते का परिमाण निश्चित करना चाहिये ।

---

† मूल अंग्रेजी में

संशोधन विधेयक

यह विधेयक भी इतना अपर्याप्त है कि सरकार को मूल्यों की वृद्धि रोकने के लिये कुछ करना ही पड़ेगा। तभी मूल सिफारिशों में दी गई उपलब्धियां पर्याप्त सिद्ध हो सकेंगी ।

†**सभापति महोदय** : मैं ने अभी तक इसलिये हस्तक्षेप नहीं किया था कि विधेयक की चर्चा के समय उस से संबंधित परिस्थितियों का उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन, माननीय सदस्य को यह भी अनुभव करना चाहिये कि वर्तमान विधेयक की चर्चा के क्षेत्र में समूचे बैंकिंग व्यवसाय पर ब्यौरेवार चर्चा नहीं की जा सकती। माननीय सदस्य कई बार विषयांतरित हो चुके हैं। उन्हें विधेयक के विषय तक ही सीमित रहना चाहिये ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन**: मेरे कहने का आशय यही है कि सरकार ने इस विधेयक में सेवा की जिन शर्तों को समाविष्ट किया है, वे अपर्याप्त हैं, पुरानी पड़ चुकी हैं, क्योंकि मूल पंचाट की सिफारिशें बहुत पहले की गई थीं और उन को अब १९५७ में कार्यान्वित किया जा रहा है।

तीन-चार वर्ष पूर्व की गई सिफारिशें आज पर्याप्त नहीं हो सकतीं। सरकार ने ही उन की कार्यान्विति में इतना विलम्ब किया है। कलकत्ता और त्रावनकोर-कोचीन के विवाद इसे सिद्ध करते हैं। सरकार को इस पर एक नये सिरे से विचार करना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मूल पंचाट की कार्यान्विति की त्रुटियां दूर की जायें। निर्वाह की लागत बढ़ने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इस पर नये सिरे से विचार किया जाये। भविष्य में भी निर्वाह लागत बढ़ने पर इस प्रश्न को न्यायाधिकरण में पेश किया जायेगा। इसलिये सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिये जिस से कि निर्वाह-लागत की वृद्धि स्वयं ही वेतन में समायोजित होती जाये। जिन मामलों को अभी तक न्यायाधिकरणों को नहीं सौंपा गया है उन को यथाशीघ्र सौंपा जाये ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं माननीय मंत्री से केवल एक दो प्रश्न ही पूछना चाहता हूं ।

माननीय मंत्री ने इस का कोई भी कारण नहीं बताया है कि कर्मचारियों को उपलब्धियां देने की भूतलक्षी प्रभाव की तिथि को १-४-५४ से बदल कर १-१-५५ क्यों कर दिया गया है।

इतनी अधिक शक्ति से सम्पन्न आयोग की सिफारिश में सरकार ने अकारण ही परिवर्तन क्यों कर दिया है ? मैं जानता हूं कि पंचाट में परिवर्तन करने की शक्ति, सरकार के पास है, लेकिन उस उस का कारण भी तो स्पष्ट करना चाहिये। ऐसे मामलों में नियम यही है कि सरकार पचाट की व्यवस्थाओं को ही यथासंभव प्रभावी बनाती है। माननीय मंत्री को इस का कारण बताना चाहिये ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मुझे भी आशा थी कि माननीय मंत्री तिथि में परिवर्तन करने का कारण स्पष्ट करेंगे ।

मैं प्रश्न का केवल एक ही पहलू लेता हूं। हमें हर नयी संविधि का प्रस्ताव करते समय यह सामान्य सिद्धान्त ध्यान में रखना चाहिये कि उस का प्रभाव भूतलक्षी न हो। सामान्य जनता किसी भी विधि से भूतलक्षी प्रभाव की आशा नहीं रखती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

बहुधा कहा जाता है कि विधि में परिवर्त्तन करते समय उसे भूतलक्षी बनाना चाहिये। यह अविवेकपूर्ण है। हमें सिद्धान्त यही बनाना चाहिये कि राष्ट्रपति की अनुमति मिलने की तिथि से ही प्रत्येक नई विधि प्रभावी होगी। इस में तो आयोग ने ही भूतलक्षी प्रभाव की सिफारिश की थी। लेकिन इसे भी जितना कम भतलक्षी प्रभाव प्रदान किया जाये, उतना ही अच्छा होगा। इसलिये, मैं सरकार के संशोधन का समर्थन करता हूं कि इसे १ जनवरी, १९५५ से ही भूतलक्षी बनाया जाये।

†**श्री आबिद अली** : मैं ने यह आशा की थी कि यह छोटा और सरल विधेयक, लोक-सभा के शरत्कालीन सत्र के पहिले दिन बिना किसी विवाद के पारित हो जायेगा। मेरे इस प्रकार सोचने का यह कारण था कि इसे कार्यावलि में प्रथम स्थान दिया गया था। किन्तु विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इस बैंक विवाद से सम्बन्धित पिछले वर्षों में हुई सभी बातें कहीं। उन में से अधिकांश बिल्कुल असंगत थीं। यहां तथा राज्य सभा में भी ऐसे खंडों पर संशोधन प्रस्तुत नहीं किये गये थे जिन पर आपत्ति की गई थी। उन्हों ने कुछ भी कहा वह बहुत औचित्यपूर्ण भी नहीं है।

मैं पंडित भार्गव द्वारा पूछे गये प्रश्न को लेता हूं। यह मध्यस्थ निर्णय या न्याय निर्णयन नहीं था। भारत सरकार द्वारा एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी। सरकार ने केवल उक्त परिवर्तन को छोड़ कर जिस पर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने आपत्ति की है समिति की सारी सिफारिशें स्वीकार कर लीं। यह परिवर्तन भूतलक्ष तिथि से बकाया वेतन देने के सम्बन्ध में था। यह परिवर्तन साउथ इंडिया बैंक और कैथोलिक सीरियन बैंक के सम्बन्ध में किया गया था। इस के प्रयुक्त होने की तारीख अप्रैल ५४ के स्थान पर जनवरी, १९५५ कर दी गई थी।

इससे सिद्ध हो जाता है कि हम आयोग की सिफारिशों को सच्चाई से क्रियान्वित करना चाहते थे। इस परिवर्तन के करने के कई ठोस कारण थे। हमें इन बैंकों की आर्थिक दशा पर भी विचार करना था तथा यह भी देखना था कि कहीं हमारी कार्यवाही का कोई खराब नतीजा न निकले। हमें उद्योग तथा उस में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में ऐसा करना पड़ा। यह परिवर्तन इसी कारण किया गया।

सरकार की सामान्य नीति इन न्यायनिर्णयनों, मध्यस्थ निर्णयों और आयोगों की सिफारिशों को स्वीकार करने की है। अत्यावश्यक होने पर ही हम उन में हस्तक्षेप करते हैं।

बंगाल के माननीय सदस्य ने दो बैंकों के राज्य बैंक बनने के सम्बन्ध में कहा है। हमें इस समय तक इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। यदि वे बैंक केन्द्रीय उद्योग व्यवस्था के अन्तर्गत आने के अधिकारी ह तो उन्हें हमें लिखना चाहिये। उस पर उचित विचार किया जायेगा। यदि तत्सम्बन्धी विवरण प्राप्त हो चुके हैं तो उन पर विचार किया जायेगा। अन्यथा उन विवरणों के प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

विलम्ब होने तथा पदच्युति या नौकरी से हटाये जान के कारण कर्मचारियों को होने वाली मुसीबतों के आरोप लगाये गये। यह विधेयक केवल उपलब्धियों और बकाया वेतन इत्यादि से सम्बन्ध रखता है सेवा की शर्तें इस के अन्तर्गत नहीं आती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी शिकायतें हमारे पास प्रस्तुत कर सकते हैं। और उन पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होता है।

†**श्री प्रभात कार** : पंचाट में केवल उपलब्धियों और वेतन के सम्बन्ध में ही चर्चा नहीं की गई है अपितु उस में सेवा की शर्तें, कर्मचारियों के वर्गीकरण, सेवाओं की समाप्ति इत्यादि का भी जिक्र है। इन उपबन्धों को विधेयक से बिल्कुल हटा दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी म

विधेयक

†**श्री आबिद अली** : मैं इस से सहमत नहीं हूं। इस विधेयक के पारित होने और विधि बनने के उपरान्त इस के अन्तर्गत उपलब्धियां लाग् होंगी। जहां तक पदच्युति और नौकरी से हटाने इत्यादि का सम्बन्ध है ये बातें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन ही प्रशासित होंगी।

†**श्री प्रभात कार** : यह बात गलत है। वस्तुतः कर्मचारियों को पंचाट के क्षेत्र से पृथक रखा जा रहा है पंचाट के अन्तर्गत केवल उपलब्धियां ही नहीं आती हैं अपितु सेवा की शर्तें भी शामिल हैं। इस विधेयक का उद्देश्य कर्मचारियों को पंचाट के क्षेत्र के अन्तर्गत लाना है। लेकिन इस के अन्तर्गत इन लाभों को नहीं रखा गया है।

†**श्री आबिद अली** : इस विशेष सिफारिश के सम्बन्ध में मैं केवल यह कह सकता हूं कि उपरोक्त परिवर्तन के अलावा हम ने कोई परिवर्तन नहीं किया। केरल के माननीय सदस्य ने कहा है कि मंहगाई भत्ता केवल ८ रुपये है। वस्तुतः यह संभव भी नहीं है कि उपलब्धियों के निर्धारित होने के कारण कोई बैंक केवल ८ रुपये मंहगाई भत्ता देगा। उन्हों ने काम के घंटे, मंहगाई भत्ते के बारे में शिकायतें कीं और कहा कि विशेषतः त्रावनकोर-कोचीन में वे अस्वास्थकर स्थानों में अवस्थित हैं। उन का विचार है कि वहां कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य वास्तविकता का विचार किये बिना ही आलोचना करने लगते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि दक्षिण के लिये कोई न्यायधिकरण नहीं है। हमारे न्यायाधिकरण दक्षिण जाते हैं। दक्षिण में विवादों की इतनी संख्या नहीं होती कि एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण की आवश्यकता हो। न्यायाधिकरण बम्बई में स्थित है और ज्योंही कुछ मामले जमा हो जाते हैं न्यायाधीश स्वयं ही दक्षिण जाकर उन मामलों पर विचार करते हैं। आशय यह है कि न्यायाधिकरण को कर्मचारियों के स्थान के यथासंभव निकट जाना चाहिये जिस से यात्रा व्यय तथा अन्य परेशानियां न हों। हमारी यही नीति रही है और इसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। इसलिये यह शिकायत न्यायोचित नहीं है।

दक्षिण के सम्बन्ध में यह शिकायत कि मामलों को न्यायनिर्णयन या निर्वचन के लिये नहीं भजा गया सही नहीं है। ऐसे कई मामले हमारे ध्यान में आये जिन को न्यायनिर्णयन या निर्वचन के लिये भजना उचित था। मेरे पास कुछ ऐसे मामले यहां पर हैं। इसलिये मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्यों को ऐसी झूठी सच्ची बातें कहां से मिल जाती हैं और वे उन्हें बार बार दुहराते हैं जैसे यहां किसी को सच्ची स्थिति का पता ही न हो। अच्छा हो यदि माननीय सदस्य लोक-सभा में भाषण देने के पूर्व इन बातों के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत सत्यापन कर लिया करें।

इस विधेयक की सीमा बहुत संकुचित है तथापि कलकत्ता हड़ताल का भी जिक्र किया गया। कलकत्ता की हड़ताल कर्मचारियों के फलस्वरूप हुई थी। उन्हें विश्वास था कि हड़ताल से उन की अभिलाषित मांगें पूरी हो जायेंगी। वस्तुतः यह बात पंचाट के अन्तर्गत आ गई है और कई अवसरों पर बता भी दी गई है यदि वे यह अनुभव करते हैं कि सीधी कार्यवाही करने पर उन की मांगें पूरी हो जायेंगी तो यदि तदुपरान्त वे मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उन्हें हमें दोष नहीं देना चाहिये। उन्हों ने ३१ रोज हड़ताल की यदि वे चाहते तो ८१ दिन और हड़ताल कर सकते थे हम ने उस में कोई हस्तक्षप नहीं किया लेकिन जब उन्हों ने यह अनुभव किया कि स्वयं कर्मचारी यह चाहते हैं कि संघ के नेता हड़ताल समाप्त करने का निश्चय करें तब उन्हों ने सरकार से हस्तक्षेप करने को कहा। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने एक बैठक बुलाई और उन को बहुत सहायता दी वस्तुतः उन की सहायता से उन्हें समुचित लाभ हुआ ऐसी स्थिति में जब कि हड़ताल टूट रही थी पश्चिम बंगाल के प्रधान मंत्री पश्चिम

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक

[श्री आबिद अली]

बंगाल की सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक सम्पर्क व्यवस्था ने उन की बड़ी सहायता की और उन्हें पुनः कलकत्ता के बैंकों में स्थान मिल गया। इस के लिये उन्हें उन का कृतज्ञ होना चाहिये। लेकिन वे यहां आकर इसकी आलोचना करें यह नितान्त अनुचित है।

इन शब्दों के साथ में सभा से संशोधक विधेयक पारित करने की प्रार्थना करूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को विशेषतः मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यह कहना कि सदस्यों को ये झूठी सच्ची बातें कहां से प्राप्त हुईं, अनुचित है इस से चर्चा का स्तर गिरता है।

†**श्री आबिद अली** : मैं इस के लिये क्षमा चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय अधिनियम १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री नारायणन् कुट्टि मेनन ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। लेकिन वे अनुपस्थित हैं। उन के उपस्थित रहने पर भी यह संशोधन विलम्ब से आने के कारण अग्राह्य हो जाता। अतः प्रश्न यह है :

"कि खंड २, खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २, खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री आबिद अली** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्रभात कार** : मैं श्रम मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक में १-१-५५ के प्रस्तावों को लागू किया जायेगा। लेकिन यह नवम्बर, १९५७ को पारित हो रहा है। इस अवधि के बीच ऐसे कई मामले हुए हैं जहां बैंक के मालिकों ने कर्मचारियों पर अन्याय किया है या कुछ वेतन बचाने के लिये उन्हें हटा दिया है अतः मैं उन से निवेदन करता हूं कि यदि ऐसे मामले उन के ध्यान में लाये जायें तो वे उन पर उपयुक्त कार्यवाही करें तथा कर्मचारियों को केवल इस कारण दंड न मिले क्यों कि यह विधेयक नवम्बर, १९५७ में पारित हो रहा है।

†**श्री आबिद अली** : वस्तुतः उद्देश्य यही है। विधेयक के अनुसार कर्मचारियों को बकाया वेतन दिया जायेगा। यदि कहीं कर्मचारियों पर अन्याय हुआ है तो उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : माननीय मंत्री ने हमें केवल इतना ही बताया है कि आर्थिक कार में ये ये परिवर्तन किये गये हैं। तथापि उन्हों ने यथार्थ संख्या नहीं बताई है। इसी के अभाव में मैं एक संशोधन भी प्रस्तुत न कर सका। माननीय सदस्य यदि चाहें तो इस समय भी सभा को कुछ जानकारी दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री आबिद अली** : मैं माननीय सदस्य को अपेक्षित जानकारी दे दूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** (बरहामपुर) : औद्योगिक वित्त निगम का प्रतिवेदन आज ही पटल पर रखा गया है । इसकी प्रतियां भी सदस्यों को उपलब्ध नहीं की गई हैं । इसलिये बिना इसका अध्ययन किये हमारे लिये चर्चा में भाग लेना बहुत कठिन है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे यह ज्ञात हुआ है कि इस प्रतिवेदन तथा इस चर्चा में कोई सम्बन्ध नहीं है तथा यह प्रतिवेदन सदस्यों को जानकारी देने के हेतु नहीं रखा गया है । अपितु यह एक वार्षिक प्रतिवेदन है जो कि नियमानुसार पटल पर रखा गया है ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : इस प्रतिवेदन में निगम के कार्यों के सम्बन्ध में बताया गया है और जब तक हमें नवीनतम जानकारी ज्ञात न हो हम अपनी बात को प्रभावशाली रूप से नहीं कह सकते हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : निगम को कुछ विशेष शक्तियां दी जाने वाली हैं जब तक हम प्रतिवेदन का अध्ययन न करें तब तक हमारे लिये यह पता लगाना कठिन है कि वे शक्तियां निगम को दी जानी चाहिये अथवा नहीं ।

†**वित्त उपमंत्री** (**श्री ब० रा० भगत**) : वस्तुतः यह प्रतिवेदन २७ सितम्बर की एक बैठक में स्वीकृत हुआ था । हमने इस प्रतिवेदन को यथासंभव शीघ्र पटल पर रखा है । यह एक संयोग ही है क्योंकि यह विधेयक सभा के सम्मुख पिछले ३ ½ महीनों से है । समयाभाव के कारण यह विधेयक पिछले सत्र में पारित नहीं हो सका था । अन्यथा यह प्रश्न ही उत्पन्न न होता । पटल पर रखे गये प्रतिवेदन और चर्चा में कोई सम्बन्ध नहीं है । संशोधक विधेयक के उपबंधों का निगम के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है भले ही आप अपनी बात की पुष्टि के लिये उसके कार्य का जिक्र करें । इसलिये मेरा निवेदन है कि चर्चा स्थगित न की जाय ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि संशोधन पिछले अनुभव के परिणामस्वरूप किये गये हैं । यह अनुभव पिछले वर्ष का हो सकता है जिसका प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया है । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि विधेयक के उपबंधों का इस प्रतिवेदन से कई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री वें० प० नायर** : प्रतिवेदन के पृष्ठ ४ में यह भी कहा गया है कि निगम को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है तथापि पुस्तकालय में मुझे वह प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं हुआ ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** (बम्बई नगर—मध्य) : मेरे विचार से इस विधेयक को कल १ बजे तक ८ घंटे के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इससे सारा कार्यक्रम बिगड़ जायेगा और अन्य सदस्य इस बात पर आपत्ति कर सकते हैं कि उन्हें यह आशा नहीं कि अगला विधेयक इतने शीघ्र लिया जायेगा इसलिये वे तैयार नहीं हैं ।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : कुछ खंडों पर चर्चा के लिये प्रतिवेदन को देखना आवश्यक होगा पहिला विदेशी विनिमय का निगम के कार्यों में क्या स्थान है दूसरा वे अब ऋण देने के लिये प्रतिभूति का उपबन्ध हटाना चाहते हैं । अतः हम जानना चाहते हैं कि पहिले ऋणों के सम्बन्ध में क्या हुआ इसके लिये प्रतिवेदन का अध्ययन करना आवश्यक होगा ।

†**श्री ब० रा० भगत** : वस्तुतः यह एक संयोग है । औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यह प्रतिवेदन आज सभा पटल पर रखा गया है । जबकि यह विधेयक ३ $^{1}/_{2}$ माह पहिले पुरस्थापित हो चुका है कोई आकस्मिक कार्य नहीं किया गया है । यदि यह विधेयक पिछले सत्र में ही लिया जाता तो यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से इसे स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिवेदन का विधेयक के उपबन्धों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । केवल खंड ११ की चर्चा के समय इसका निर्देश करना होगा । अतः मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को इसी समय ले लिया जाय ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

सभा को यह ज्ञात है कि औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना, औद्योगिक वित्त अधिनियम जो १९४८ में पारित हुआ था, के द्वारा हुई थी । इसका प्रयोजन भारत के औद्योगिक सार्थों को दीर्घकालीन और मध्यम कालीन ऋण देने का कार्य करना है । इसके पूर्व इस अधिनियम में १९४९, १९५२ और १९५४ में भी संशोधन हो चुके हैं । पिछले संशोधन मुख्यतः औद्योगिक वित्त निगम जांच आयोग की सिफारिशों तथा प्रक्रिया सम्बन्धी बातों से सम्बन्धित थे ।

पिछले वर्षों में देश के औद्योगिक कार्यों में बहुत विकास हुआ है । जिसके फलस्वरूप औद्योगिक सार्थों द्वारा निगम से वित्तीय सहायता लेने के कार्य में बहुत वृद्धि हुई है । निगम द्वारा औद्योगिक सार्थों और सहकारी समितियों से उधार लेने के आवेदन पत्रों की संख्या में वृद्धि से दीर्घकालीन ऋण देने के सम्बन्ध में इस संस्था की लोकप्रियता का पता चलता है। जून, १९५७ तक निगम २५९ मामलों में लगभग ५५.१२ करोड़ रुपये के ऋण स्वीकार कर चुका है केवल पिछले दो वर्षों में २७ करोड़ रुपये का ऋण देना स्वीकार किया गया । इनमें से १५१ ऐसे उपक्रम थे जिनकी स्थापना १५ अगस्त, १९५७ के पश्चात् हुई थी । निगम के द्वारा औद्योगिक सार्थों को वस्तुतः २६.५१ करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं । केवल पिछले वर्ष १० करोड़ रुपये का ऋण दिया गया जब कि उसके पूर्व वर्ष में केवल २ करोड़ रुपये दिये गये थे ।

इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन वित्त निगम १९४८ में इस प्रकार के परिवर्तन करना है कि वह औद्योगिक सार्थों द्वारा विदेशों से आयात की गई सामग्री के लिये आस्थगित

---

†मूल अंग्रेजी में

भुगतान की प्रत्याभूति दे सके, उसकी ऋण लेने की शक्ति में वृद्धि हो और तथा वह विनिमय सम्बन्धी परिवर्तनों से होने वाले हानि और लाभ को अपने ऋण दाताओं पर डाल सके जो इस समय केन्द्रीय सरकार को सहना होता है । इस अवसर पर अन्य छोटे मोटे परिवर्तन भी किये गये हैं जो अनुभव से आवश्यक समझे गये हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में औद्योगीकरण की गति बढ़ने से अधिक पूंजीगत माल के आयात की आवश्यकता होगी । देश में विदेशी विनिमय की स्थिति कठिन होने से सरकार के लिये औद्योगिक सार्थों द्वारा विदेशों से खरीदे गये तमाम पूंजीगत माल के लिये विदेशी विनिमय का तत्काल प्रबन्ध करना सम्भव नहीं होगा । हम उन्हें अपने आयात के लिये आस्थगित भुगतान करने के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं । विदेशों के निर्यात-कर्त्ता आस्थगित भुगतान लेने के लिये राजी हैं लेकिन वे किसी सरकारी या अर्द्ध-सरकारी संस्था की प्रत्याभूति चाहते हैं । इसलिये व्यापारिक क्षेत्रों ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि औद्योगिक वित्त निगम को औद्योगिक सार्थों की ओर से प्रत्याभूति करने की अनुमति दी जाय । वर्तमान समय में औद्योगिक वित्त निगम ऐसी प्रत्याभूति नहीं दे सकता है इसलिये उक्त प्रयोजन के लिये अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ।

औद्योगिक वित्त निगम की धारा २१ में निगम को यह अधिकार दिया गया है कि वह जनता, रक्षित बैंक, केन्द्रीय सरकार से प्रदत्त पूंजी तथा रक्षित कोष का पांच गुना कर्ज ले सकता है । निगम की वर्तमान प्रदत्त पूंजी ५ करोड़ और रक्षित धन साढ़े पांच लाख रुपये है । इसलिये निगम २५.२८ करोड़ रुपये से अधिक ऋण नहीं ले सकता है । निगम इस समय तक केन्द्रीय सरकार, रक्षित बैंक तथा जनता से २१.३१ करोड़ रुपये ऋण ले चुका है जिसमें से केवल केन्द्रीय सरकार से ही १० करोड़ ऋण लिया गया है । जब तक निगम की ऋण लेने की शक्ति न बढ़ाई जाय वह अधिक उधार नहीं दे सकता है । निगम का कार्य पर्याप्त बढ़ गया है और तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है । इसलिये इसे इस योग्य बनाना है कि वह अधिक धन प्राप्त कर सके । यह या तो प्रदत्त पूंजी बढ़ा कर हो सकता है या ऋण लेने की राशि को पांच गुने से अधिक बढ़ा कर हो सकता है । निगम में इस समय केन्द्रीय सरकार, रक्षित बैंक, जीवन बीमा निगम, अनुसूचित बैंक, बीमा समवायें, तथा सहकारी बैंकों की अंश पूंजी लगी हुई है । वर्तमान अंश पूंजी पर २ ½ प्रतिशत वार्षिक लाभांश की प्रत्याभूति है । केवल ३० जून १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष को छोड़ कर अपने लाभांश दायित्व को पूरा करने के लिये निगम को केन्द्रीय सरकार से राजकीय सहायता मांगनी पड़ी है । लेकिन ३० जून १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में निगम अपने लाभांश देने के दायित्व को पूरा कर सका है आगामी वर्ष के लिये भी उसे कोई सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं होगी ।

मुद्रा बाजार की वर्तमान अवस्था में निगम के लिये राजकीय सहायता लेकर प्रत्याभूति की न्यूनतम राशि में वृद्धि किये बिना, अतिरिक्त अंशपूंजी प्राप्त करना बहुत कठिन है । इसलिये अंशपूंजी में वृद्धि करना वांछनीय नहीं समझा गया । अपितु ऋण लेने की राशि को पांच से बढ़ा कर दस गुना कर दिया गया है । यह अत्याधिक नहीं है । कृषि उत्पाद (विकास और भांडागार) निगम, अधिनियम, १९५६ की धारा ३७ के अधीन भांडागार निगम द्वारा ऋण लेने की राशि भी इतनी ही है ।

अधिनियम की धारा २७(४) के अधीन विदेशी मुद्रा उधार लेने अथवा उसके भुगतान क सम्बन्ध में, मुद्रा की दरों में उतार चढ़ाव क कारण जो हानि अथवा लाभ

[श्री ब० रा० भगत]

निगम को होगा वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा उसको यथा स्थिति दिया जाएगा । इस उपबंध के अधीन विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव से पैदा होने वाला सब जोखिम केन्द्रीय सरकार को वहन करना होगा । यह अनुभव किया गया है कि अगले कुछ वर्षों में विदेशी मुद्रा से बड़े पैमाने पर जो कारोबार होगा उस का ध्यान रखते हुए केन्द्रीय सरकार अथवा औद्योगक वित्त निगम से यह खतरा सहन करने के लिए नहीं कहना चाहिये । वस्तुतः यह अधिक उचित है कि जिन औद्योगिक समवायों के लिए विदेशी मुद्रा का लेन देन होगा, वही इन खतरों को सहन करें । वे उस विशेष प्रबंध अथवा योजना का आश्रय ले कर इन खतरों से अपने आप को बचा सकते हैं जो सरकार इस प्रयोजन के लिए बनाएगी ।

अन्य जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने हैं अब मैं उन्हें लूंगा । गत वर्ष राज्य वित्त निगम अधिनियम, १९५१ में जो संशोधन किया गया था उसी आधार पर इस अधिनियम की धारा २(ग) में "माल तैयार करना" शब्दावली की व्याख्या जोड़ी जा रही है जिससे बहुत से उद्योग औद्योगिक वित्त निगम से ऋण सम्बन्धी सहायता ले सकेंगे ।

अधिनियम की धारा २३ की उप-धारा (२) में इस दृष्टि से संशोधन किया जा रहा है ताकि निगम विशेषतः उन नये उद्योगों को ऋण दे सके जो पर्याप्त प्रतिभूतियां नहीं दे सकते परन्तु राष्ट्रीय बचत के विचार से जो प्रोत्साहन के पात्र हैं ।

हम राज्य वित्त निगम अधिनियम १९५१ के उपबन्ध के आधार पर अधिनियम की धारा १७ में यह उपबंध शामिल कर रहे हैं कि यदि रक्षित बैंक या केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट संचालक निगम के संचालक मंडल की बैठक में न जा सके तो वे किसी व्यक्ति को भेज सकें ।

इसी प्रकार अधिनियम की धारा २२ द्वारा निगम को केवल लोगों से निक्षेप लेने का अधिकार दिया गया है । क्योंकि वर्तमान उपबंध से इस बात पर संदेह होता है कि निगम राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों आदि से निक्षेप ले सकता है अथवा नहीं । अतः इस में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

कुछ और संशोधन भी हैं परन्तु वे साधारण से हैं और प्रारूप की दृष्टि से हैं ।

इन शब्दों के साथ में सभा से सिफारिश करता हूं कि वह विधेयक पर विचार करें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं ने माननीय उपमंत्री के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना, परन्तु मैं इन संशोधनों को उचित नहीं समझता ।

यह विधेयक इस विचार से लाया गया है कि देश में शीघ्र औद्योगिकरण के लिए औद्योगिक वित्त निगम एक अच्छा अभिकरण हो सके । परन्तु सच तो यह है कि इसके संसाधन बहुत कम हैं और इस पर बोझ बहुत अधिक डाला गया है ।

इस विधेयक द्वारा कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं । एक तो यह कि निगम आस्थगित भुगतानों के संबंध में प्रत्याभूति दे सकेगा, दूसरे यह कि वह अपनी पूंजी और रक्षित निधि से दस गुनी राशि तक उधार ले सकेगा इसके बाद वे औद्योगिक प्रार्थी

---

†मूल अंग्रेजी में

भी इस से उधार ले सकेंगे जो प्रतिभूति नहीं दे सकते । इसके अलावा, विदेशी दरों के उतार चढ़ाव का खतरा जो पहले सरकार वहन करती थी अब उद्योगों को सहना होगा ।

दोषी समवायों को हाथ में ले लेने के उपबंध तो हैं परन्तु उस से खतरा कम नहीं होता और इस विधेयक से तो निगम के कार्य में सट्टेबाजी भी पैदा हो रही है ।

सरकार की यह नीति है कि आस्थगित भुगतान १९६१ के पश्चात् आरम्भ किये जाएं । मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस संबंध में निगम जो प्रत्याभूतियां देगा उसकी ठीक प्रक्रिया क्या होगी । क्या उद्योगपति को प्रत्याभूति के बदले में नगद रुपया देना होगा अथवा अंश या अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति देनी होगी और निगम आंशिक प्रत्याभूति देगा अथवा सारी और क्या प्रत्याभूति के पश्चात् संविदा आयात कर्ता, निर्यात कर्ता और निगम तीनों के बीच होगी ?

जो यह उपबंध किया जा रहा है कि निगम अपनी पूंजी से दस गुना अधिक ऋण ले सकेगा यह अच्छा है क्योंकि धन का अभाव निगम के कार्य में बड़ी अड़चन है । इस से निगम को स्थायी बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। परन्तु मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि पूंजी से दस गुना तक उधार लेने की सीमा क्यों रखी गई है ।

विदेशी मुद्रा की दरों में जो उतार चढ़ाव होता है उस के बारे में सरकार ने अब यह क्यों सोचा है कि उद्योग उसे वहन करे ? क्या यह समझती है कि अब खतरा अधिक है ? हम आस्थगित भुगतान का आश्रय इसीलिए तो ले रहे हैं कि सरकार रुपये को अन्य मुद्राओं में बदल नहीं सकती और विदेशी मुद्रा की कमी है । यह अपराध क्या उद्योगपति का है ?

उद्योगपति द्वारा नगद रुपया जमा करवाने पर सरकार को तुरंत उसे स्टर्लिंग अथवा डालर में बदलना पड़ता है । अतः विदेशी निर्यातकर्ताओं से आस्थगित भुगतान की जो सुविधा मांगी जा रही है उस का लाभ सरकार को ही होगा । उस से सम्बन्धित खतरा भी सरकार को ही सहन करना चाहिये । एक व्यक्ति विदेश से मशीन मंगाने के लिए आज राजकोष में रुपया जमा करवाने के लिए तैयार है । सरकार उसे अभी विदेशी मुद्रा में नहीं बदल सकती । पांच वर्ष पश्चात् उसका भुगतान होगा तो भला वह उद्योगपति क्यों ५ वर्ष पश्चात् मुद्रा के उतार चढ़ाव की हानि को सहन करे ?

मैं नहीं समझ सका कि जो उद्योग प्रतिभूति नहीं दे सकते उन्हें क्यों इस अनुमान पर ऋण दिया जाएगा कि उससे राष्ट्रीय बचत होने वाली है । इस उपबन्ध का प्रयोग इस प्रकार होगा कि यदि समवाय ने ५० लाख रुपये की मशीनें मंगवाईं और बीजक एक करोड़ रुपये का बनवा लिया तो निगम एक करोड़ रुपये तक ऋण की प्रत्याभूति देगा और उस समवाय के ठप्प हो जाने पर वित्त निगम को केवल ५० लाख की मशीन ही मिलेगी । माननीय मंत्री बताएं कि विधेयक में ऐसी बातें किस प्रकार उचित हैं ।

माननीय मंत्री के कथनानुसार अभी बहुत से प्रार्थना पत्र हैं । तो क्या वे प्रतिभूति देने वालों को न दे कर के प्रतिभूतिहीन समवायों को ऋण सुविधा देना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि एक औद्योगिक वित्त निगम को एक अभिकरण नहीं बना देना चाहिये क्योंकि इस से उसे हानि होगी ।

†**श्री श्री० अ० डांगे :** मैं इस विधेयक के बहुत महत्वपूर्ण खंड का विरोध करता हूं जिसका सम्बन्ध विदेशी मुद्रा से है । उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि क्योंकि सरकार पूंजीगत वस्तुओं के बड़े पैमाने पर आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं दे सकती अतः विदेशी निर्यातकर्ता सरकार अथवा अर्द्धस्थायी संस्थाओं की प्रत्याभूति पर आस्थगित भुगतान के लिए तैयार हैं । इस स्थिति में सरकार यह संशोधन करना चाहती है कि गैर सरकारी निर्माता सरकार से विदेशी मुद्रा का ऋण ले सकते हैं । इस संशोधन से नीति सम्बन्धी प्रश्न पैदा होते हैं जिन पर संभवतः इस प्रकार के विधेयक के अन्तर्गत चर्चा नहीं की जा सकती ।

हम जानते हैं कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति बहुत कठिन है । परन्तु हम पता नहीं कि हमारे मंत्रियों की इस प्रयोजन के लिए विदेश यात्रा से इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है अथवा नहीं । एक बात अवश्य स्पष्ट हो गई है कि पश्चिमी देश पंचवर्षीय योजना में सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिए तो कुछ देने के लिए तैयार नहीं जबकि वे गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को मुद्रा देने के लिए तैयार हैं। तब वे लोग जिन्हें सरकार पर विश्वास नहीं सरकार से प्रत्याभूति क्यों मांगते हैं ? क्या यह तथ्य है कि पश्चिमी देशों ने टाटा आयरन एंड स्टील कं० को ऋण दिया है और एक उद्योगपति को लगभग १५ लाख डालर का ऋण मिला है ? वे सरकार की बजाए गैर-सरकारी उद्योगपति पर विश्वास करते हैं । उन्हें हमारी सरकार की सरकारी उद्योग क्षेत्र निर्माण की नीति पर विश्वास नहीं है परन्तु यदि गैर-सरकारी उद्योगपति का कार्य ठप्प हो जाए तो उस स्थिति में हानि के लिए इस सरकार की प्रत्याभूति चाहते हैं । यह बड़ी अजीब बात है ।

यह संशोधन निराशाजनक है । यदि गैर-सरकारी उद्योगपति अपने उद्योग के विकास के लिए विदेशी मुद्रा का ऋण ले सकते हैं तो उस के भुगतान की जुम्मेवारी भी उन्हीं की होनी चाहिये । ऐसा क्यों हो कि लाभ तो गैर-सरकारी उद्योगपति लें और खतरा औद्योगिक वित्त निगम को सहन करना पड़े । यह राष्ट्र विरोधी नीति और पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के सर्वथा विरुद्ध है । विदेशी मुद्रा देने वाले यदि पूंजीपतियों को पैसा देते हैं तो उन्हें लाभ और हानि दोनों के लिये तैयार होना चाहिये ।

भारत सरकर अपनी सारी नीति को ही बदलने के लिए तैयार दिखाई देती है और खतरा मोल ले कर सारी विदेशी मुद्रा गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में लगा देना चाहती है यही इस संशोधन की स्थिति है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभा इस मूल परिवर्तन को मानने के लिए तैयार है ? मेरा सुझाव है कि यदि आप किसी समवाय के लिए प्रत्याभूति देना आवयक समझते हैं तो कृपा करके उसके लिये एक परन्तुक का उपबंध कीजिये जो इस प्रकार हो कि :

"परन्तु केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई प्रत्याभूति नहीं दी जाएगी ।"

इसी प्रकार यह भी उपबन्ध हो :

"परन्तु ऐसी अनुमति देते हुए सरकार यह देखेगी कि विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सरकारी उद्योग की आवश्यकता पहले पूरी हो गई है या नहीं ।"

पंचवर्षीय योजना में हमारी यही नीति है कि पहले हम सरकारी उद्योग क्षेत्र की योजनाओं को पूरा करेंगे । हम गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में बाधा नहीं डालते परन्तु सरकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग क्षेत्र को हानि पहुंचा कर उस की सहायता नहीं कर सकते । परन्तु इस संशोधन से सरकारी उद्योग क्षेत्र को हानि ही पहुंचेगी । मैं सरकारी उद्योग क्षेत्र के प्रति इस उपेक्षा भाव का विरोध करता हूं । अमरीका, इंग्लैंड, और जर्मनी भारत की नीति को बदल कर गैर-सरकारी उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, अतः यह संशोधन लाया गया है और मैं इस का विरोध करता हूं ।

†**श्री मुरारका (झुंझुनु)** : इस विधेयक में विदेशी मुद्रा के लिए प्रत्याभूति का जहां तक उपबंध है वहां तक मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

मेरे पूर्व वक्ता ने ठीक ही कहा है कि सर्वप्रथम सरकारी उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखना चाहिये । परन्तु इस संशोधन विधेयक द्वारा सरकारी उद्योग क्षेत्र के अंश में से कुछ लिया नहीं जा रहा है । इसके विपरीत इससे सरकारी क्षेत्र को परोक्ष रूप से सहायता ही मिलेगी ।

इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि विदेशी मुद्रा की तंगी के कारण आप पूजींगत वस्तुओं के लिए तुरंत भुगतान नहीं कर सकत अत आप तिन चार या सात वर्षों में किश्तों में भुगतान कर सकेंगे । विदेशी निर्यातकर्ता वस्तुतः आपको ऋण देते है । भले ही आप के पास धन हो और आप निश्चित कालावधि के पश्चात् भुगतान करना चाहते हों, परन्तु यदि उस समय विदेशी मुद्रा न हुई तो विदेशी निर्यातकर्ता को कोई लाभ नहीं होगा । अतः वे सरकार की प्रत्याभूति चाहते हैं । इस संशोधन का यही लाभ होगा कि आप कुछ वर्ष के लिए उस विदेशी मुद्रा को जो विदेशी नियतिकर्ता को दी जानी थी सरकारी उद्योग क्षेत्र में प्रतियोग कर सकेंगे ।

मैं इस परन्तुक के उपबन्ध की आवश्यकता नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्याभूति न दी जाए । आप कतिपय राशि तक का अधिकार निगम को दें अर्थात् १० या ५ लाख या ५० लाख के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता न हो । मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूं कि यदि इन सब बातों के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा गया तो बहुत अधिक समय लगेगा ।

अब मैं निगम की आलोचना के रूप में कुछ बातें कहूंगा । ९ वर्ष पूर्व इस की स्थापना हुई थी । इस की प्रदत्त पूंजी ५ करोड़ रुपये है और ऋण देने की दर ७ प्रतिश है । इसके अतिरिक्त इस के पास कई निधियां हैं जिनमें कुछ बिना ऋण की और कुछ कम ऋण की हैं । आश्चर्य की बात है कि इस निगम में २२,२५,००० रुपये की राशि ऐसे ऋणों में दिखाई गई है जिन के भुगतान का कुछ पता नहीं । अब तक ५० लाख रुपये की राशि बट्टे-खाते डाल दी गई है । बैंकों में भी जहां इतना सख्त नियंत्रण नहीं होता इतनी हानि नहीं होती । प्रतिवेदन में अपराधी समवायों क नाम तक नहीं दिये गये हैं । यह भी आलोचना का विषय कि निगम गत कुछ वर्षों से कम से कम समवायों को अधिकाधिक ऋण दे रही है ।

प्रतिवेदन के परिशिष्ट में केन्द्रीय सरकार ने यह निदेश दिया है कि औद्योगिक वित्त निगम ऐसे समवायों के विषय में वित्त मंत्रालय को लिखेगी जो घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले दल के अधिकार और नियंत्रण में हो और जिस का ऋण एक करोड़ से बढ़ गया

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

हो । ऐसे एक समवाय को ४ ½ करोड़ रुपये दिये गये हैं । यह समवाय ऐसा है कि सरकार उस के प्रबंध से संतुष्ट भी नहीं हैं । ऐसे सरकारी निगमों के हम ही अंशधारी हैं और हम यह स्पष्टीकरण तथा जानकारी मांग सकते हैं ।

हमें निगम को अधिक राशि उधार लेने का अधिकार तो देना चाहिये परन्तु यह भी देखना चाहिये कि भूतकाल में उस ने धन का क्या उपयोग किया है । संदिग्ध ऋणों के अतिरिक्त प्रार्थनापत्रों को रद्द करने और मंजूर करने की प्रक्रिया जानने की आवश्यकता है ।

आप ने आज प्रातः इस प्रतिवेदन पर विचार करने की इसलिए अनुमति नहीं दी थी कि इस का विधेयक से सम्बन्ध नहीं परन्तु विधेयक का सीधा सम्बंध निगम से है और निगम की पूरी जानकारी इस प्रतिवेदन से मिल सकती है ।

समवाय अधिनियम में यह उपबंध है कि जिस संचालक की आयु ६०, या ६५ वर्ष की हो जाए वह संचालक नहीं रहना चाहिये । इस विधेयक के संशोधन से उक्त उपबंध रद्द हो रहा है । जो उपबंध अन्य समवायों के लिए श्रेष्ठ हैं वह इस निगम के लिए श्रेष्ठ क्यों नहीं ।

बिधेयक के प्रभारी मंत्री से मेरा निवेदन ह कि मैं ने जो थोड़ी बातें कहीं हैं उन पर विचार किया जाए और एक ही उद्योग समूह अथवा एक ही प्रबन्ध में काम करने वाले समवायों को इतने बड़े ऋण न दिये जाएं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे सामने जो बिल आया है, बेहतर होता कि सरकार इस को सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में भेज देती, जहां इस पर अच्छी तरह से गौर होता और फिर इसको पास किया जाता। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन (औद्योगिक वित्त निगम) का मामला पहली दफा इस हाउस के सामने नहीं आया है, बल्कि बहुत दफा आ चुका है और इस सिलसिले में गुहा साहब की कार्यवाहियां हाउस को याद होंगी । एक कमेटी मुकर्रर की गई थी और उस ने इस मामले को देख कर, इस पर गौर कर के, रिपोर्ट पेश की और फिर उस को हाउस में पेश किया गया । जहां तक इस उसूल का ताल्लुक है कि एक खास रकम से ज्यादा रकम गवर्नमेंट की इजाजत के बिना किसी कम्पनी को न दी जाय, मुझे याद है कि एक नहीं, कई मेम्बर साहबान ने बार बार इस हाउस में अर्ज की कि यह इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन (औद्योगिक वित्त निगम) गरीब लोगों के इस्तेमाल में भी आनी चाहिए, काटेज इंडस्ट्रीज और दूसरी छोटी इंडस्ट्रीज में इसका रुपया इस्तेमाल होना चाहिए । मैं ने यह रिपोर्ट जो आज पेश की गई है नहीं देखी है और मुझे अफसोस है कि बिना उस को देखे आज हम सब बहस कर रहे हैं । बेहतर होता कि गवर्नमेंट इस को चन्द रोज पहले सर्कुलेट (परिचालित) करती और फिर इस मामले पर बहस की जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और इस लिए गवर्नमेंट ही इस नुक्ताचीनी के लिए जिम्मेदार है कि बिना पूरी तरह गौरो-खोज किए गवर्नमेंट इस को यहां पर ले आई है ।

श्री मुरारका ने बिल की दफा ११ की तरफ तवज्जह दिलाई है । इस हाउस में जब भी इस किस्म का बिल आए, जो कि प्राइवेट कम्पनीज (गैर-सरकारी समवाय) के मुताल्लिक हो, जिस के जरिये कुछ प्रोसिजरल चेंजिज (प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तन) की जानी

हों, तो यह निहायत जरूरी है कि ऐसा करने के पीछे जो कोई खास वजूहात हों, उन को यहां पर रखा जाए ।

मैं इस बात का सख्त मुखालिफ हूं कि गवर्नमेंट जो बातें प्राइवेट कम्पनीज पर आयद करना चाहती है, उन को वह अपनी कम्पनीज, कार्पोरेशन्ज या दूसरी संस्थाओं पर आयद नहीं करना चाहती है । अभी यह शिकायत की गई कि गवर्नमेंट की कार्पोरेशन (निगम) वगैरह पर पब्लिक का और इस हाउस का काफी कंट्रोल नहीं है । यह शिकायत नई नहीं है, पुरानी है और यह शिकायत दुरुस्त है । हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर साहब, श्री सी० डी० देशमुख ने साफ लफ्जों में कहा था कि हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट कार्पोरेशन्ज और दूसरी ऐसी संस्थाओं पर इस हाउस का कंट्रोल हो । मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट ने इस तरफ कितनी तरक्की की है, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि जहां तक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन का सवाल है, उस के मुताल्लिक इस हाउस में बहुत दफा ऐसी सख्त तनकीद (आलोचना) की गई है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इस रिपोर्ट को इस हाउस में एवेलेबल (उपलब्ध) करे, ताकि उस पर अच्छी तरह से बहस की जा सके । जैसा कि मैं ने अभी अर्ज किया है जब गवर्नमेंट ऐसी प्रोसीजरल तब्दीलियां करना चाहे, तो उस को चाहिए कि वह इस हाउस को यह एक्सप्लेनेशन (स्पष्टीकरण) दे कि ये तब्दीलियां क्यों वाजिब हैं । लेकिन आनरेबल फाइनेंस मनिस्टर साहब ने इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा । अगर गवर्नमेंट कोई चेंज करना चाहती है, तो उस का यह फर्ज है कि वह मेम्बर साहबान को वे वजूहात बताए, जिन की बिना पर वह तब्दीली जरूरी है ? यही मुनासिब तरीका है । लेकिन अगर गवर्नमेंट यह डिक्टेटोरियल एटीच्यूड (तानाशाही प्रवृत्ति) अपनाए कि चूंकि गवर्नमेंट यह चेंज करना चाहती है, इसलिए यह हाउस उस को मान ले, तो वह नामुनासिब है और हम उससे मुत्तिफिक नहीं हैं । हाउस अपने अख्तियारात को मारगेज नहीं करना चाहता है । जब तक इस के मुताल्लिक वजूहात हम को नहीं बताई जायेंगी, हम मुतमैयन नहीं होंगे ।

डांगे साहब की तकरीर मैं ने बड़े शौक और बड़ी तवज्जह के साथ सुनी, लेकिन उससे मुझे पर वह असर न हुआ, जो कि वह हाउस पर डालना चाहते थे । इस की वजह यह नहीं है कि जो रीजनिंग उन्होंने दी, उस को मैं वुक्कत (महत्व) नहीं देता, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सिर्फ एक बात पर ही जोर दिया गया और दूसरी बातों की तरफ तवज्जह नहीं दी गई । उन की तकरीर का जो लुब्बे-लबाब, है उनकी जो रीजनिंग है, अगर उस को मौजूदा हालात की रौशनी में देखा जाये, तो हम पर उस का इतना असर नहीं होता है और डांगे साहब मुझे माफ फरमायेंगे, मैं भी उससे मुतासिर नहीं हुआ हूं ।

डांगे साहब ने कहा कि दूसरे मुल्क हम को कर्ज नहीं देना चाहते हैं लेकिन वे प्राइवेट सैक्टर (गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र) में यकीन रखते हैं और गवर्नमेंट से गारण्टी ले कर वे प्राइवेट सैक्टर को रुपया देना चाहते हैं । मुझे इस पर क्रिटिसिज्म (आलोचना) करने की जरूरत नहीं है । उन की राय दुरुस्त हो सकती है । गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, किस गर्ज से करती हैं, मुझे इस में दखल देने की जरूरत नहीं है । शायद वे गवर्नमेंट्स हिन्दुस्तान के पब्लिक सैक्टर (सरकारी उद्योग क्षेत्र) की तरक्की नहीं देखना चाहती हैं । शायद वे इस सवाल को पोलीटिकल नुक्ता-ए-नजर से देखती हैं । वे क्या करती हैं, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता हूं और न ही मैं उनको खास रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर कर सकता हूं । हमारे मुल्क के सामन फारेन एक्सचज (विदशी मुद्रा) की जो डिफिकल्टीज (कठिनाइयां) हैं, मैं चाहता हूं कि दूसरे मुल्क उस में हमारी मदद करें और वह मदद भी ऐसी न हो,

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जैसे कि किसी भिखारी को कुछ दे दिया । हम जानते हैं कि दुनिया के सारे मुल्कों ने मौके-ब-मौके दूसरों से मदद ली है । यह कोई शर्म की बात नहीं है । सब मुल्कों में ऐसे ही तरक्की हुई है । कहीं पर शिपलोड्ज गए और कहीं पर कम गए, लेकिन मदद सब को मिली । मैं इस बात को नहीं समझा हूं कि जो कोर्स--जो रास्ता--इस बिल में दिया गया है, उस को मानने से हमारी पालिसी में किस तरह से चेंज हो जायगा और हम को क्यों यह नहीं माना चाहिए । जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह प्राइवेट और पब्लिक, दोनों सैक्टर्ज की तरक्की चाहती है और यह बात वह बहुत दफा कह चुकी है । उस ने कहा है कि देश को इंडस्ट्रियलाइज (औद्योगीकरण) करने के लिए दोनों सैक्टर्ज की तरक्की करना जरूरी है क्योंकि देश का भला दोनों से हो सकता है । हम चाहते हैं कि अव्वल हमारे पब्लिक सैक्टर में तरक्की हो और प्राइवेट सैक्टर में भी तरक्की हो, लेकिन हम यह जरूर नहीं चाहते कि पब्लिक सैक्टर के एक्सपेंस पर प्राईवेट सैक्टर की तरक्की हो या प्राईवेट लोग फायदा उठायें और पब्लिक सैक्टर में नुक्सान हो । गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी में दोनों सैक्टर्ज के प्राविजन्स को डिफाइन कर दिया है । बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जिन में प्राइवेटर सैक्टर पब्लिक सैक्टर के कम्पीटीशन में नहीं आ सकता और उनका आपस में कानफिलक्ट नहीं है । अगर प्राईवेट सैक्टर को फायदा होगा, तो पब्लिक सैक्टर को नुक्सान होगा, यह सोचना ठीक नहीं है ।

दूसरे मुल्क प्राईवेट सैक्टर को कर्ज देना चाहते हैं, और इस गवर्नमेंट की गारण्टी चाहते हैं । अगर यह दुरुस्त है तो मानना होगा कि इस तरह प्राईवेट सैक्टर को कर्ज मिल जायगा और गवर्नमेंट को इस कर्ज के लिए फारेन एक्सचेंज नहीं देना पड़ेगा । लेकिन इस हद तक, जिस हद तक गवर्नमेंट को फारेन एक्सचेंज दूसरे मुल्कों को नहीं भेजना पड़ेगा, वह फारेन एक्सचेंज इस मुल्क के कामों में आयगा और दूसरे मुल्क जो क्रेडिट देंगे, गवर्नमेंट को फायदा होगा । भरूचा साहब ने फरमाया कि गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि वह फारेन एक्सचेंज मुहैया करे । गवर्नमेंट की जो डिफिकल्टीज हैं, हम उस में शरीक हैं--वे हमारी डिफिकल्टीज हैं । जहां तक प्राइवेट सैक्टर का ताल्लुक है, अगर उस के पास कैपिटल हो तो गवर्नमेंट को फारेन एक्सचेंज प्रोवाइड करना चाहिए । जिन के पास रुपया है और उन को फारेन एक्सचेंज नहीं मिलता है, तो इस में प्राईवेट सैक्टर का क्या कसूर है । अगर गवर्नमेंट नैशनल इन्ट्रेस्ट को देख कर कोई गारण्टी करती है, तो क्या गुनाह करती है । दफा ६ में लिखा है कि सिर्फ उन्हीं सूरतों में, जिन में ऐपरूवल ऑफ दी सैंट्रल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार की अनुमति) होगी, यह गारण्टी दी जा सकेगी । यह सेफगार्ड रखा गया है, इसलिए कोई लाप-साइडिड (एक पक्षीय) तरक्की होने का अन्देश नहीं है । गवर्नमेंट जिस को नैशनल इंट्रेस्ट (राष्ट्रीय हित) में समझेगी, उस सूरत में इजाजत देगी । डांगे साहब ने फरमाया कि इस में यह लिखा जाये कि एपरूवल उस सूरत में दी जायगी, जब कि पब्लिक सैक्टर की पूरी सैटिसफैक्शन हो जायगी कि उस का नुक्सान नहीं होता है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात तो इस में पहले से ही मौजूद है। अगर कोई मुझ से एपरूवल मांगे, तो मैं उसी सूरत में दूंगा, जब मैं यह देखूंगा कि नैशनल इन्ट्रेस्ट में है और पब्लिक सैक्टर को इससे नुक्सान नहीं पहुंचता है । गवर्मेंमेंट इस बात की इजाजत कभी नहीं देगी कि पब्लिक सैक्टर के एक्सपेंस पर प्राईवेट सैक्टर को फायदा पहुंचाया जाये ।

श्री श्री० अ० डांगे : ऐसा किया है आज तक । कामर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखिए ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अगर आप किसी खास चीज का जिक्र करते तो आपको उसका जवाब मिल जाता । लेकिन आपका जो क्रिटिसिज्म है उसका जवाब तो इसके अन्दर मौजूद है । यहां पर जो गवर्नमेंट की एप्रूवल की बात रखी गई है उसका क्या मतलब है। दूसरा क्रिटिसिज्म आपका यह है कि गवर्नमेंट ने गलतियां की हैं । इसके बारे में मैं यह नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने गलतियां नहीं की हैं । उसने गलतियां की होंगी । मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर इस बारे में वकालत नहीं करना चाहता । लेकिन मैं यह जानता हूं कि जो प्राविजन इसके अन्दर रखा गया है वह फूलप्रूफ है । अगर गवर्नमेंट ने किसी किस्म की गलती की है वह उसका जवाब देगी ।

अब मैं दफा ८ की तरफ आता हूं । इस दफा का जो राशनेल है उसको मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं । मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसको मुझे समझाये । अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट परसन को फारेन एक्सचेंज नहीं देती है तो उसका जो नुकसान आज तक हुआ करता था उसको गवर्नमेंट ही भुगता करती थी लेकिन आज इस नुकसान को गवर्नमेंट दूसरों पर डालने जा रही है । इस चीज को मैं नहीं समझ पाया हूं । आज हमारे यहां प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर हैं । जहां तक पब्लिक सैक्टर का ताल्लुक है मैं इसके हक में रहा हूं और आज भी हूं । मैं यह समझता हूं कि जब तक पब्लिक सैक्टर इम्प्रूव नहीं करेगी, हमारी कोई चीज भी इम्प्रूव नहीं कर सकती । लेकिन इसमें मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं पाता कि गवर्नमेंट के फेल की वजह से, गवर्नमेंट के काम की वजह से अगर किसी को फारेन एक्सचेंज नहीं मिलता है जबकि उसके पास रुपया है, उसके पास एसेट्स (आस्तियां) हैं, उसका खमियाजा दूसरों को भुगतने के लिए मजबूर किया जाए । यह गवर्नमेंट किसी की तुफ्त में गारेंटी करने नहीं जा रही है । गवर्नमेंट उसकी सिक्योरिटी लेगी, उसके बाद कुछ पैसा लेगी और इसमें यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आन सच टर्म्स एंड कंडिशंस (इन शर्तों पर) गवर्नमेंट गारेंटी देगी । आप जानते ही हैं कि बैंक्स कैसे गारेंटी करते हैं । गवर्नमेंट तो एक मुआहिदा करेगी । गवर्नमेंट उसी सूरत में गारेंटी करती है जब वह देख लेती है कि जो एसेट्स हैं वे सिक्योर हैं, वह इतना पैसा उसको देगा, उसको इतना फायदा होगा । आज हम देखते हैं कि चार चार बरस की डेफेर्ड पेमेंट्स की जाती हैं । अगर इन डेफर्ड पेमेंट्स (आस्थगित भुगतान) को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि किस कद्र हैवी रेट आफ इंटिरेस्ट चार्ज किया जाता है । यह इतना फायदा ज्यादा होता है कि प्राइवेट सैक्टर की जान निकाल देता है। डेफर्ड पेमेंट्स जिन टर्म्स के ऊपर होती हैं वे अनकांशनेबल हैं । यह तभी होता है जब फारेन मैनुफैक्चरर्स यह देखते हैं कि हम फौरन फारेन एक्सचेंज दे नहीं सकते हैं । जब फारेन एक्सचेंज गवर्नमेंट ने देना है और फिर कोई फ्लक्चुएशंश हो जाते हैं जिन पर प्राइवेट सेक्टर वालों का कोई कंट्रोल नहीं है तो सवाल पैदा होता है कि रिस्क कौन ले । गवर्नमेंट का अगर इसमें कोई कसूर न हो तब तो दूसरी बात है । उस सूरत में यह प्राइवेट सैक्टर का फर्ज है कि वह पेमेंट करे । अगर गवर्नमेंट का इससे कोई वास्ता नहीं है कि वह फारेन एक्सचेंज दे तो यह बात सही है कि इसका जो लास होगा उसे प्राइवेट सैक्टर को ही बर्दाश्त करना होगा । लेकिन गवर्नमेंट डेफर्ड पेमेंट्स कराती है और ये जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं ये गवर्नमेंट की पालिसी से ही निकली हैं । गवर्नमेंट ने ही उन डेफर्ड पेमेंट्स की तरकीब निकाली है और मैं समझता हूं कि यह सही तरकीब भी है । लेकिन एक आदमी अगर फैक्टरी लगाना चाहता है और वह फैक्ट्री लगा नहीं सकता है जब तक कि डेफर्ड पेमेंट्स न हों तो गवर्नमेंट उसको कहती है कि अगर फ्लक्चुएशंस (उतार चढ़ाव) हुई तो तुम्हारी फैक्ट्री बिक जाएगी, इसके अन्दर तो मुझे कोई सही चीज मालूम नहीं देती। आज तक इस किस्म के रिस्क को गवर्नमेंट बर्दाश्त करती रही है और अब वह इसे

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

दूसरों पर डालने जा रही है, यह क्यों और किस वजह से किया जा रहा है यह मेरी समझ में नहीं आया है । गारेंटी गवर्नमेंट को मर्जी से ही दी जा सकती है, उसके बिना नहीं दी जा सकती । कोई यह नहीं कह सकता कि आपको गारेंटी देनी ही होगी क्योंकि फारेन एक्सचेंज इसके बिना नहीं मिलती है । यह गारंटी गवर्नमेंट की मर्जी से, उसके साथ कांट्रेक्ट करके, उसके फेल की वजह से, उसकी एप्रूवल से ही दी जाएगी । जब यह बात है तो प्राइवेट सैक्टर वालों का क्या कसूर है कि आप उनको मजबूर करें कि जितनी भी उसकी फ्लक्चुएशन होगी, जिसमें कि उनका कोई हाथ नहीं है, जिस को कि वे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वे इसके जिम्मेदार हों । मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट अगर इसके बारे में कोई और रीजनिंग दे तो ही मैं कनविंस हो सकूंगा, वर्ना नहीं ।

अब सवाल यह पैदा होता है कि गवर्नमेंट गारेंटी दे या न दे । हमारे डांगे साहब ने तो गारेंटी देने के बरखिलाफ ही कहा है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गोकि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन की पुरानी हिस्ट्री को देखकर मुझ को तो यह लगता है कि पता नहीं कि गवर्नमेंट कहां तक जाएगी और कहां तक नहीं जाएगी । पिछले दो सालों का हाल मिनिस्टर साहब ने बताया है और कहा है कि अब दस करोड़ की इनवेस्टमेंट है और इस मर्तबा सवा दो परसेंट मुनाफा देने जा रहे हैं, उससे तो कुछ तसल्ली होती है और ऐसा महसूस होता है कि शायद इसने कार्नर टर्न कर लिया है । लेकिन जहां तक पिछले चन्द सालों की हीस्ट्री का ताल्लुक है उससे तो यही पता चलता है कि बड़ी बेरहमी के साथ रुपया जाया किया गया है । जितने भी डाउटफुल डैटस हैं उनको अगर हम देखें तो मुझे डर लगता है कि अब जो अख्त्यार हम गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं उनको ठीक तरह से अम्ल में लाया जाएगा या नहीं । हम पता नहीं कि जिन के हाथ में हम यह ताकत देते हैं वे उनका ठीक तरह इस्तेमाल करेंगे या नहीं । मैं तो हमेशा डरता रहता हूं कि गवर्नमेंट को जहां तक बिजिनेस का सवाल है, बिजिनेस करना नहीं आता । जो भी बिजिनेस गवर्नमेंट के हाथ में है उसमें किसी के अन्दर भी हमने फायदा नहीं देखा है । मझे डर है कि गारेंटी के मामले में गवर्नमेंट कहीं ऐसे केसिज में न फंस जाए कि लेने के देने पड़ जायें । मझे पता नहीं कि कौन सी टर्म्स एंड कंडिशंस गवर्नमेंट ने रखी है । मैं चाहता हूं कि गारेंटी उसी सूरत में दी जाए जिस में कि पब्लिक रुपये के जाया होने की सम्भावना न हो ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बिल को हमें सिलक्ट कमेटी में भेजना चाहिये था । वहां पर सारी बातें खुलती और पता चलता कि गवर्नमेंट क्या चाहती है और क्या नहीं । बदकिस्मती से इतने जरूरी बिल यहां पर रखे जाते हैं और हम से यह चाहा जाता है कि हम इनको तीन घंटे के अन्दर पास करदें । पता नहीं क्यों इतनी जल्दी की जाती है । मैं चाहता हूं कि हर एक मामले में जिस के अन्दर किसी प्रिन्सिपल (सिद्धांत) का सवाल आता हो, सिलैक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए । वहां पर उस मामले को खूब अच्छी तरह से थ्रेश आउट किया जाना चाहिए । श्री डांगे ने कुछ एक बातों का जिक्र किया है । उनकी दलीलों में कितना वजन है, इसको हो सकता है कि मैं न समझा होऊं और उनका मैं जवाब न दे सका हूं । हो सकता है कि उनकी दलीलों का सिलैक्ट कमेटी में कुछ असर पड़ता और उन पर उचित विचार किया जाता । अगर इस बिल को वहां पर रखा जाता है तो वहां पर इसके सारे प्रांस एंड कांस पर विचार हो सकता है और यह देखा जा सकता है कि आया यह ठीक है

या गलत है। यहां पर एक मिनट में इस तरह से ऐसे बिलों का फैसला हो जाता है जैसे इनका कुछ महत्व ही नहीं। करोड़ों और अरबों रुपये जहां पर इनवाल्व्ड हों उसका तीन घंटे के अन्दर फैसला कर देने से दिली दुख होता है। अगर इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता तो कोई गजब नहीं हो जाता।

इन अलफ़ाज के साथ मैं एक बार फिर यह दौहराना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट पुरानी हिस्ट्री को रिपीट न करे और पब्लिक मनी का ठीक ठीक सेफगार्ड करे और जहां तक रिस्क का ताल्लुक है, मैं अब तक नहीं समझा कि गवर्नमेन्ट इसकी जिम्मेदारी क्यों दूसरों पर डालती है। इसके बारे में गवर्नमेंट अगर कोई बेहतर रीजनिंग बतायेगी तो सोचा जा सकता है।

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–पूर्व) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोटी छोटी बातों की मुझे विशेष चिन्ता नहीं। तीन प्रमुख बातें जिनका विधेयक द्वारा संशोधन किया जा रहा है, वह हैं निगम द्वारा आस्थगित शोधनों की प्रत्याभूति, दूसरा उधार लेने के अधिकारों की वृद्धि तथा व्याप्ति और तीसरा समुचित जमानतों के न होने पर भी अथवा राज्य और केन्द्रीय सरकारों की प्रत्याभूति पर निगम को ऋण देने का अधिकार। इन प्रश्नों पर औद्योगिक वित्त निगम के पिछले कार्य के आधार पर ही विचार किया जा सकता है। हमने यह सोचना है कि ये जो नये अधिकार दिये जा रहे हैं इनसे कितनी सफलता प्राप्त होगी या क्या हानि होने की सम्भावना है।

यदि निगम समुचित ढंग से कार्य करता तो यह देश की भारी सेवा कर सकता था। यद्यपि हमारा मत यह है कि देश के औद्योगिक विकास में गैर-सरकारी क्षेत्रों का प्रोत्साहन जितना हो सके कम किया जाना चाहिये। इसे देश के आवश्यक उद्योगों को ऋण दिये जाने में प्राथमिकता देने की नीति का ठीक ढंग से नियंत्रण करना चाहिये था। यह नीति बिना भेद भाव के चलनी चाहिये थी। परन्तु निगम पर तो कुछ पूंजीपतियों के एक गुट ने कब्जा कर रखा है और वे उसे अपने लाभ के लिये प्रयोग करते रहते हैं।

हमें निगम की पुरानी धांधली का पता है और हमें यह भी ज्ञात है कि निगम को इससे कितनी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। यहां तक कि ५० लाख रुपया तो बट्टे खाते में डाल दिया गया।

जैसा कि मुरारका जी ने कहा है कि निगम की प्रवृत्ति बड़े पूंजीपतियों को बड़े बड़े ऋण देने की ही रही है। और इस प्रकार एकाधिकार की भावना को निगम द्वारा प्रोत्साहित किया जाता रहा है। इस प्रकार निगम का प्रयोग देश के औद्योगिक विकास के लिये नहीं होता रहा। केवल कुछ पूंजीपति उस धन से व्यक्तिगत लाभ उठाते रहे हैं। इन हालात में कोई आश्चर्य नहीं कि नये अधिकारों से भी सफलता प्राप्त न हो। 'सोडपुर ग्लास वर्क्स' और दूसरी कई व्यापारिक संस्थाओं को वित्तीय आधार पर नहीं प्रत्युत और कारणों से भारी कर्जे दिये गये। इसलिये अब क्या आशा की जा सकती है। और यह बात उस अनुभव के आधार पर कही जा रही है जो कि निगम के विगत कार्य और उसके अधिकारियों के व्यवहार से ज्ञात होता रहा है।

इस स्थिति में क्या हमें उन्हें और अधिक ऋण लेने के अधिकार देने चाहिये? क्या हमें उन्हें यह अधिकार दे देने चाहिये कि बिना समुचित जमानत के सहायता की मंजूरी दे दी जाय? हमें इन अधिकारों को शनैः शनैः बढ़ाना चाहिये। संस्था की सफलता के साथ साथ इनकी वृद्धि करनी चाहिये। ५०, ५५ करोड़ अथवा अधिक ऋण लेने के अधिकारों के विस्तार की आवश्यकता दिखाई नहीं देती जब कि निगम के कार्य से यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि मामला खतरे से खाली नहीं और किसी समय भी गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री साधन गुप्त]

अपर्याप्त जमानतों के संबंध में बात यह है कि निगम ऋण मंजूर करने में एक विशेष गुट का पक्षपात करता रहा है। और हमें यह अब भी भय है कि यही नीति चलती रहेगी और अपर्याप्त जमानत लिये बिना उन उद्योगों को सहायता मिलेगी जिनके पीछे बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ होगा। और कई बार इस प्रकार के ऋण के लिये ये लोग राज्य सरकार की प्रत्याभूति प्राप्त करने में भी सफल हो जाते हैं। मेरे पास इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। इसीलिये तो हमें भय है कि बड़े उद्योगपति ही इन उपबन्धों का लाभ उठायेंगे। देश के हित में जिन छोटे उद्योगपतियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये, वे मुंह ही देखते रह जायेंगे। यह समाजवादी सिद्धांत के भी विरूद्ध बात है। इसलिये इस प्रकार के उपबन्ध को विधेयक में सम्मिलित करने को मैं ठीक नहीं समझता।

अब मैं अपने अनुभव के आधार पर जमानत की बात करता हूं। विचार यह है कि औद्योगिक वित्त निगम आस्थगित शोधनों की जमानत देगा। और यह भुगतान वे पूंजीपति करेंगे जो कि मशीनरी के आयात के लिये विदेशी निर्यातकों से संबंध स्थापित कर चुके होंगे। इस पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यह मशीनरी योजना की दृष्टि से आवश्यक होगी? क्योंकि हमें अपनी विदेशी विनिमय की कमी का भी ध्यान रखना है। इसलिये प्रश्न यह है कि निगम प्रत्येक संबद्ध पूंजीपति को हर बात की प्रत्याभूति प्रदान कर दिया करेगा?

दूसरी चिन्ता की बात यह है कि इससे औद्योगिक वित्त निगम की कठिनाई भी बढ़ जायेगी। कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने वाले उपबन्ध से इसका रक्षण हो जाता है। परन्तु उसमें भी कठिनाई यह है कि सब कुछ जानते हुये भी केन्द्रीय सरकार निगम के अधिकारियों की भूलों पर पर्दा डालने का काम आरम्भ कर देती है। इसलिये आशा नहीं कि उपरोक्त उपबन्ध से कोई लाभ हो सकेगा। यह हो सकता है कि इसे अधिकारियों के कुकर्मों को छिपाने के काम में लाया जाय। इन कारणों से हम विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते और जब तक इसमें यथोचित संशोधन नहीं होंगे अपना विरोध जारी रखेंगे।

†श्री त्रि० कु० चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न आस्थगित शोधनों का नहीं है। उसके संबंध में तो सरकार की यह निश्चित नीति है कि मशीन इत्यादि के आयात के संबंध में आस्थगित शोधनों को प्रोत्साहन देना ही होगा। प्रश्न तो यह है कि क्या औद्योगिक वित्त निगम जैसे निकाय को अपने तथा दूसरे देशों के निजी व्यवहारों में प्रत्याभूति देने का कार्य करना उचित है। मेरे विचार में इस औद्योगिक वित्त निगम की स्थिति एक औद्योगिक बैंक की सी है। इसलिये बैंकिंग के सिद्धांतों के अनुसार उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिये। इसलिये सरकार को सोचना चाहिये कि क्या औद्योगिक वित्त निगम जैसे निकाय को आस्थगित शोधनों की प्रत्याभूति का काम करना चाहिये या नहीं? इस कार्य के लिये जैसा कि श्री मुरारका ने सुझाव दिया है अलग से एक निकाय क्यों नहीं बना लिया जाता जिसका नाम आस्थगित शोधन प्रत्याभूति निगम हो।

निगम के ऋण लेने के अधिकारों को बढ़ाने का जहां तक प्रश्न है उसके लिये हमें यह देखना होगा कि इस संबंध में निगम ने कैसा कार्य किया है। हमें विस्तार से उसका प्रतिवेदन पढ़ने का समय नहीं मिल सका।

[श्री मोहम्मद इमाम पीठासीन हुए]

परन्तु जो कुछ भी हमारी जानकारी है वह इसके पक्ष में नहीं जाती। निगम ने इस प्रकार के समवायों को सहायता दी है जो कि किसी भी अवस्था में इस योग्य नहीं थे। और कई समवाय तो विदेशी समवायों के अभिकर्ता थे। समझ में नहीं आता कि इतनी आलोचना, जांच और

†मूल अंग्रेजी में

शोर करने के बावजूद, यह अवस्था अभी क्यों जारी है ? यह कहा जा रहा है कि यह ऋण बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं और देश के औद्योगिक विकास के हित में निगम के ऋण लेने के अधिकारों की वृत्ति होनी चाहिये ।

मेरे विचार में यह जनता के धन को नष्ट करने वाली बात है। और इसका अन्त होना चाहिये। इस कारण मैं इन संशोधनों वाले खंडों का विरोध करता हूं।

†श्री हरि इन्द्र माथुर (पाली) : सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य औद्योगिक वित्त निगम के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में पहला वाक्य ही यही है कि द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हो रहे तीव्र औद्योगीकरण के कारण औद्योगिक निकायों द्वारा मशीनरी इत्यादि का आयात बड़ा आवश्यक हो रहा है।

इस देश में, इस सदन के बाहर मजहब के नाम पर सब कुछ किया जा सकता है और इस सदन में द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना के नाम से सब कुछ किया जा सकता है। इस मतलब के लिये निगम को कुछ अधिकार दिये जाने चाहिये ताकि निजी क्षेत्रों से औद्योगीकरण को आगे बढ़ाया जाय। गैर-सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी विनिमय संबंधी कठिनाइयां दूर की जायें। परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र औद्योगीकरण के उन लक्ष्यों से बहुत आगे निकल गया है जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित किये गये थे। और इसी कारण हमारी विदेशी विनिमय संबंधी कठिनाइयां खड़ी हुई हैं। विकास परिषद् की पिछली बार जब बैठक राजधानी में हुई, तो इस मामले पर चर्चा हुई थी। गैर-सरकारी क्षेत्र के विनियोग का लक्ष्य योजना के अन्तर्गत ७२० करोड़ रखा गया था परन्तु यह अब तक ८५० करोड़ है।

यह जानकारी राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति तक पहुंचा दी गयी है। और मजे की बात यह है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस विनियोग के पूर्ण हो जाने की संभावना है। यदि यह सत्य है तो विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। मैं गैर-सरकारी क्षेत्रों का विरोधी नहीं, मैं देश की अर्थ व्यवस्था में उसका संभावित स्थान मानता हूं। और मैं उन्हें सभी प्रकार की सहायता देने का पक्षपाती हूं। परन्तु यदि निजी क्षेत्र योजना को हानि पहुंचाये तो मैं अवश्य इसका विरोध करूंगा। जो कुछ हालात हैं उससे यही विश्वास करना पड़ता है कि हमारी विदेशी विनिमय की कठिनाइयों का उत्तरदायित्व गैर-सरकारी क्षेत्रों पर ही है। सरकार का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र समुचित व्यवहार नहीं कर रहे। हमें यह देखना है कि उनका व्यवहार कैसा रहा है। और जो कुछ आज तक हमारे समक्ष आ चुका है, उससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि औद्योगिक वित्त निगम ने न तो अच्छा कार्य ही किया है और न ही उसका व्यवहार ही अच्छा रहा है।

हमने अपने भारत संघ से सात सौ रियासतों को समाप्त किया है, परन्तु इन निगमों के रूप में हमने कई स्वतंत्र रियासतें खड़ी कर ली हैं और उनका व्यवहार अति शोचनीय रहा है। हमने औद्योगिक वित्त निगम की सभी प्रकार से सहायता की है। परन्तु उसका और गैर-सरकारी क्षेत्रों का व्यवहार योजना को हानि पहुंचाने वाला ही रहा है। इसलिये अब इसका समर्थन करना बड़ा कठिन हो रहा है। परन्तु इस सब के बावजूद यदि इन उपबन्धों को अधिनियमित करना ही है तो सरकार को यह चेतावनी दे देनी चाहिये कि उसे हालात ठीक करने के लिये समुचित पग उठाने चाहिये ताकि इस सदन को अथवा जनता को कुछ सन्तोष हो सके।

मेरे माननीय मित्र श्री मुरारका ने खंड ६ के उपबन्ध के विरुद्ध बड़ी युक्ति युक्त बात कहीं हैं। परन्तु आज के हालात में जबकि विदेशी विनिमय की कठिनाई बहुत अधिक है, यह उपबन्ध बड़ा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र]

आवश्यक है। सरकार को यह देखना पड़ेगा कि किस उद्योग के लिये मशीनरी इत्यादि मंगवाने के लिये विदेशी विनिमय संबंधी सहायता दी जाय। इसका संबंध पंचवर्षीय योजना से होना चाहिये। इसलिये इस उपबन्ध का होना बहुत ही आवश्यक है।

साथ ही मैं श्री डांगे की बात से भी सहमत नहीं हूं कि खतरे तो सब सरकार अपने सरपर लेती रहे और लाभ गैर-सरकारी क्षेत्रों को प्राप्त होते रहें। उनका कहना है कि सरकार को सभी ऋणों की अनुमति दे देनी चाहिये और किसी प्रकार के दायित्वों की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। परन्तु सरकार को सभी वसूल न हो सकने वाले कर्जों की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिये। इसलिये तो यह व्यवस्था की गयी है कि इस संबंध में निर्णय करना सरकार का काम होगा। उन्होंने यह भी विचार देने का प्रयत्न किया है कि सरकार साम्राज्यवादी तथा पूंजीवादी देशों के प्रभावाधीन औद्योगीकरण में गैर-सरकारी क्षेत्रों की सहायता कर रही है। यह हो सकता है कि कई देशों को यह पसन्द न हो कि इस मामले में हमारे यहां सरकारी क्षेत्रों को समुचित प्रोत्साहन मिले और हम निश्चित और सफल औद्योगीकरण की नीति को चला सकें। परन्तु इस बात का संबंध वित्त मंत्री अथवा कुछ अन्य उद्योगपतियों के विदेशी दौरे से बिलकुल नहीं है। वित्त मंत्री के विदेशों के दौरे में प्राप्त अनुभव और जानकारी से इसका कोई संबंध नहीं। यह कहना बिलकुल निराधार है कि हम किसी प्रभाव से अपनी मौलिक नीति में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं।

हमारी नीति वही है, परन्तु हमें कुछ मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी संबंध में हम कहते हैं कि जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संबंध है औद्योगिक वित्त निगम का कार्य ठीक नहीं रहा और गैर-सरकारी क्षेत्र ने भी अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन नहीं किया। हमें विदेशी विनिमय उपलब्ध हो सकता है। इस विधेयक के पारित होने से हमें स्थिति का सिंहावलोकन करना होगा और हमारे मित्र यह नहीं कह सकेंगे कि सरकार के व्यवहार के कारण विदेशी विनिमय प्राप्त नहीं हो सका। सभी औद्योगिक शिष्टमंडलों का यह कहना है कि वित्त मंत्री ने सभी स्थानों पर अच्छा प्रभाव डाला है। सभी हमारी सहायता को तत्पर हैं। और यह सब कुछ सरकार के व्यवहार पर आश्रित होगा। और वह व्यवहार पहले भी ठीक था और अब भी ठीक ही रहेगा। गैर-सरकारी क्षेत्र को सरकार की कठिनाईयों को समझना चाहिये और देश की अर्थ-व्यवस्था के निर्माण में अपनी सहायता प्रदान करनी चाहिये। साथ ही इस संबंध में वित्त निगम, वित्त मंत्री और निजी क्षेत्रों को सदन में यह आश्वासन देना चाहिये कि आगे शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : मैं विधेयक के मुख्य उपबन्धों का विरोधी नहीं हूं। परन्तु मैं औद्योगिक वित्त निगम के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि इसने पीछे ठीक कार्य नहीं किया। परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि आगे के लिये उसे समाप्त ही कर दिया जाय। जो कुछ हुआ उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ और जांच इत्यादि भी हुई, और कुछ सुधार भी किये गये। अब भी यदि कोई दोष रह गये हों तो हमें उसका सुधार कर लेना चाहिये। परन्तु यदि निगम को बनाये रखना है तो उसे अधिकार देने ही चाहिये। एक बात तो उसके पक्ष में जाती ही है उसने सरकार की सहायता लिये बिना प्रत्याभूति ब्याज की अदायगी की है। परन्तु यह बात मैं मानता हूं कि निगम पर जो आलोचना हुई है, उसकी ओर उसे ध्यान देना ही चाहिये।

अब मैं विधेयक के उपबन्धों की ओर आता हूं। आस्थगित शोधन के प्रश्न का संबंध सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र से नहीं है। यह तो सरकार की ही नीति है और यदि वह ऐसा नहीं चाहती

---

†मूल अंग्रेजी में

तो उसे इसके लिये दूसरा रास्ता बताना चाहिये। उन्हें भी तो विदेशी निर्यातकों को जमानत देनी ही होती है। और वे यह जमानत सरकारी अथवा अर्ध सरकारी निकायों की ही पसन्द करते हैं। यदि यह हो जाय तो हमें विधेयक के इस उपबन्ध पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि औद्योगिक निगम को आस्थगित शोधन की प्रत्याभूति के अधिकार प्राप्त हों। परन्तु मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन आस्थगित शोधनों की अदायगी कब होगी ? और जब तक यह अदायगी होगी तब तक १९५९–६० तक अदायगी के लिये हमारे पास काफी विदेशी विनिमय नहीं हो जायेगा। आज तो यह कठिनाई हमारे सामने है, परन्तु हमारे निर्यात बढ़ेंगे। परन्तु सरकार को उस अवस्था में लाइसेंस देने की पुरानी भूल नहीं करनी चाहिये, अन्यथा अवस्था पूर्ववत हो जायेगी। इसी कारण मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आस्थगित शोधनों के भुगतान के आरम्भ होते समय तक हमारी निर्यात आय कितनी हो जायगी ? क्या हम स्थिति का मुकाबला करने के योग्य नहीं हो जायेंगे ?

ऋण लेने का जहां तक संबंध है, निगम २७ करोड़ तक ऋण ले सकता है। यह उसकी पूंजी, रक्षित पूंजी का पांच गुणा है। ३० जून १९५७ तक इसने केवल १७ करोड़ ही लिया है। १० करोड़ अभी बाकी है। इसलिये इस संबंध में इसके अधिकार और बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ?

इस सम्बन्ध में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। निगम के वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख है कि ३० जून १९५७ तक ५५ करोड़ रुपये के ऋण स्वीकार किये गये हैं। ८ करोड़ के ऋण अस्वीकृत रहे। इसलिये बाकी कर्जे ४७ करोड़ के रहे। २७ करोड़ बांटा गया, और २० करोड़ का कोई लाभ न उठाया गया। प्रश्न है कि जब निगम के साधन बहुत कम थे तो उसने ४७ करोड़ का कर्जा कैसे स्वीकृत किया ? इसलिये मेरा कहना है कि जब तक हमें यह मालूम न हो जाय कि निगम को किसी राशि की तुरन्त आवश्यकता है, उसकी अधिकार सीमा की वृद्धि करने की बात समुचित मालूम नहीं होती।

तीसरी बात जिसके संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है, वह यह है कि अधिनियम के अन्तर्गत विनिमय का जोखिम सरकार पर होगा। परन्तु अब इसे बदल कर सम्बद्ध पक्षों पर डाला जा रहा है। क्या विदेश विनिमय और आस्थगित शोधनों के जोखिम भी इसके अन्तर्गत आ जायेंगे ? यदि यही है तो यह निजी पक्षों से न्याय की बात नहीं है। आखिर आस्थगित शोधनों को भी सरकार के कहने पर ही स्वीकार किया गया था। और उस समय निगम को सारी बात का परीक्षण कर लेना चाहिये था कि कर्जा दिया जाना चाहिये कि नहीं। इसलिये अब यह जोखिम सरकार पर ही रहना चाहिये।

अब अन्तिम प्रश्न समुचित जमानत न दे सकने वाले समवायों को ऋण देने का है। चाहिये तो यही कि ऐसे अच्छे समवायों की सहायता की जाये जिनके पास कि धन का अभाव है। परन्तु इस संबंध में निगम कुछ नहीं कर रहा। प्रस्तुत २३ धारा के संशोधन में कहा है कि इस प्रकार के कर्जे तभी स्वीकार होंगे, जबकि उसके मूल और ब्याज की अदायगी की जमानत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, अनुसूचित बैंक अथवा राज्य सहकारी बैंक से प्राप्त कर ली जायेगी। इससे निगम का कोई जोखिम नहीं। निगम को स्वयं देखना चाहिये कि सम्बद्ध समवाय ठीक है अथवा नहीं। परन्तु व्यवस्था यह होनी चाहिये कि इस संबंध में निर्णय स्वयं निगम करे और जोखिम भी उसकी ही हो। बिना जिम्मेदारी के अधिकार देने का क्या उपयोग है ?

†**सभापति महोदय :** माननीय उपमंत्री जी उत्तर देने में कितना समय लेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : १५ या २० मिनट।

†श्री केशव (बंगलौर–नगर) : मैंने अपने से पहले वक्ताओं के भाषण सुने। संभवतया लोग इसे गलत समझ र हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी को इससे कोई हानि न होगी बल्कि उलटे जो सुविधायें उन्हें चाहियें वह मिलेंगो।

आस्थगित भुगतान की जो सुविधा दी जा रही है वह तो इन लोगों की सहायता के लिये ही दी जा रही है। विदेशी निर्यातक सरकार की प्रत्याभूति मांगते हैं। सरकार हठ से कोई चीज नहीं कर रही।

समस्त तर्कों का अध्ययन मैं ध्यान से करता रहा हूं। एक आपत्ति यह की गयी है कि निगम अपर्याप्त प्रतिभूति पर ऋण दे देता है। दूसरे यह कि सरकार ने सुचेता समिति की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आस्थगित भुगतान की प्रत्याभूति उचित नहीं है हमें ठोस बैंकिंग के सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिये। हमें ऋण देने में भेदभाव से काम नहीं लेना चाहिये इत्यादि। किन्तु मैं यह समझता हूं कि हमें इस विधेयक पर यथार्थ रूप से विचार करना चाहिये। इस निगम को गलत कृतियों तथा इस विधेयक के क्षेत्र की बातें अलग अलग हैं। मैं भी नहीं चाहता कि निगम का काम बेढंगा हो। सरकार को चाहिये कि वह गलती करने वालों को दंड दे।

इस कारण हमें यह नहीं करना चाहिये कि निगम की कार्य व्याप्ति की वृद्धि न हो। हम चाहते हैं कि हमारे देश में उद्योग धंधों का प्रसार हो, रोजगार की वृद्धि हो। हमारी अर्थ व्यवस्था भी मिश्रित ढंग की है—तो फिर यह सब बातें कैसे हो सकती हैं जब तक कि हम आवश्यक व्यवस्था उनके लिये न करें। जब विदेशों से आस्थगित भुगतान पर हमें चीजें मिल सकती हैं यदि सरकार उसकी जामन बने तब क्यों हम वह चीजें न लें। यदि हम यह काम नहीं करेंगे तो हमारी उन्नति मन्थर हो जायेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र ने देश के विकास के लिये बहुत कुछ किया है। उनमें त्रुटियां भी हैं। हमें उन दोषों को दूर करना चाहिये और इस क्षेत्र को पूरा सहयोग देकर देश की प्रगति करनी चाहिये।

जहां तक ऋण लेने की शक्ति की वृद्धि का प्रश्न है यह तो अनिवार्य है—इसी अनुभव से तो सरकार ने यह विधेयक यहां रखा है—यह क्षमता ५ प्रतिशत से १० प्रतिशत की जानी है। इस विधेयक द्वारा विदेशी मुद्रा की जोखिम जो आजतक सरकार ही अपने ऊपर लेती थी वितरित हो जाती है। गैर-सरकारी क्षेत्र भी अब जोखिम उठायेगी। इस बात को किसी भी सदस्य को नहीं भूलना चाहिये।

दूसरा उपबन्ध जिससे "माल तैयार करने" की परिभाषा में व्यापकता लाई गयी है वह भी औद्योगिक विकास के लिये श्रेयस्कर है। इसलिये मैं समझता हूं कि हमें इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये।

†श्री वें० प० नायर : मैं यह मानता हूं कि हमें वास्तविक तथा यथार्थ रूप से ही इस विधेयक पर विचार करना चाहिये। हमें निगम का कार्य भी देखना चाहिये।

सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इस निगम के काम पर आज तक अनेकों आपत्तियां हुई हैं। जांच के परिणामस्वरूप पता लगा था कि ऋण देने में निगम ने ठीक ढंग से काम नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

किया। निगम ने अपनी ही कुछ समवायों आदि को रियायत से ऋण दिया। इसके अतिरिक्त पक्षपात के और भी तरीके निकाले गये।

मैंने तो वास्तव में प्रतिवेदन को नहीं पढ़ा किन्तु श्री चौधरी के व्यौरे से ज्ञात होता है कि इस निगम ने ऐसे ऐसे समवायों को ऋण दिये हैं जो ऋण लेने की कोई भी अर्हता नहीं रखते। गत सत्र में 'टिटेनियम प्राडक्टस' समवाय के ऋण के बारे में प्रश्न पूछा गया था किन्तु श्री शाह ने ठीक उत्तर ही नहीं दिया था। केवल यही कुछ नहीं किया गया बल्कि विक्रय का सारा काम भी कुछ ऐसी समवायों के पास सौंपा गया है जिसमें कतिपय बड़े लोगों की रुचि है। 'टिटेनियम प्राडक्टस' के विक्रय का सारा काम टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड सन्ज समवाय को दिया गया ह। इसी प्रकार का एक मामला और भी है।

यदि उस प्रतिवेदन को पढ़ा जाये तो इसी प्रकार की अनेक बातें ज्ञात हो जायेंगी। जिन लोगों की पहुंच थी उन्होंने बहुत लाभ उठाया है।

अब जो सरकार की जमानत का उपबन्ध है यह बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। पहले जब सरकार ने आयात नीति में ढील की थी हमने उन्हें चेतावनी दी थी कि इससे हमें भयंकर विदेशी मुद्रा के संकट का सामना करना होगा लेकिन हमारी बात नहीं मानी गयी।

आज वह मानते हैं कि हमारे सामने संकट है। यदि निगम को प्रत्याभूति देने की असीम शक्ति दी गयी तो उसका परिणाम क्या होगा? यदि आस्थगित भुगतान की अवधि ५ या १० वर्ष की हो तब सारी बात ही खराब हो जायेगी।

मैं गैर-सरकारी क्षेत्र को इस प्रकार सहायता देने के पक्ष में नहीं हूं। इससे क्या लाभ होगा? क्या हमें यह आश्वासन दिया जा रहा है कि यह प्रत्याभूति केवल आयात तक ही सीमित रखी जायेगी।

पता चलता है कि निगम ने कृत्रिम सूत, चीनी के बर्तन तथा चाकू, छुरियां आदि बनाने वाले उद्योगों को भी ऋण दिये हैं—क्या यह चीजें अनिवार्य हैं?

आपने योजना में नियत किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र इतनी पूंजी का विनियोजन करेगा। किन्तु आज क्या स्थिति है? "स्टेटसमैन" के एक संवाद से ज्ञात होता है कि अब तक ८५० करोड़ रुपये का नियोजन हो चुका है जबकि लक्ष्य ७२० करोड का ही था। इन सभी चीजों को सरकार ने ही मंजूर किया है। तो फिर यह कैसे हुआ? इतना रुपया कहां से आ रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात को समझे कि गैर-सरकारी क्षेत्र के पास इतना रुपया कहां से आया। जब इस समय तक ही यह हाल है तो शेष वर्षों में क्या होगा। विदेशी मुद्रा का क्या होगा? जब तक हम यह नहीं जानते कि एक सीमा तक ही निगम ऋणों की प्रत्याभूति आयात के लिये देगा तब तक पिछले अनुभव से हम यही समझेंगे कि फिर वही गड़बड़ हो सकती है। इस प्रकार हम निगम को इतने व्यापक अधिकार किस आधार पर दे सकते हैं। अपने गत अनुभव के आधार पर हम इस उपबन्ध का विरोध करते हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): कुछ लोगों ने निगम की आलोचना की है—क्योंकि इस निगम ने ठीक ढंग से काम नहीं किया। एक समिति ने मामले की जांच भी की तथा उनके प्रतिवेदन पर लोगों ने विचार किया है।

मैं यह समझता हूं कि जो गलतियां निगम ने पहले की उन्हें दोहराने से हमें लाभ नहीं हो सकता। गलतियां होती हैं तथा भविष्य में भी हो सकती हैं—इस प्रकार पिछली गलतियों के आधार पर निगम

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

की निन्दा करना ठीक नहीं प्रतीत होता । हमें निगम के अच्छे कामों की ओर भी देखना चाहिये तभी जाकर हम किसी संतुलित निर्णय पर पहुंच सकते हैं ।

कई लोगों ने इस पर पार्श्विक ढंग से विचार किया है । यहां कोई सरकारी या गैर–सरकारी क्षेत्र की होड़ नहीं लग रही है—हम किसी एक क्षेत्र के गुण दोषों का निरीक्षण नहीं कर रहे । हमारा देश स्वतंत्र लोकतन्त्रात्मक देश है । हमारे देश के जो व्यापारी विदेश गये उन्होंने कोई बुरा काम तो किया नहीं । वह भी देश की भलाई के इच्छक हैं । देश को हानि पहुंचाना वे नहीं चाहते ।

हमारे औद्योगिकरण की कड़ी में गैर-सरकारी क्षेत्र लाभदायक है यह बात मानी जा चुकी है । हमें गैर-सरकारी क्षेत्र को कमजोर बनाने की कोई भी कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ।

माननीय सदस्य ने कहा कि निगम ने निकृष्ठ कार्य किये । उन्हें ऐसा कहने की स्वतंत्रता है किन्तु हमें ऐसा नहीं करना चाहिये । उनमें से कुछ लोग निकम्मे हो सकते हैं किन्तु हमें तो देश का विकास प्रत्येक संभव तरीके से करना है । हमें सब लोगों की सहायता से ही तो द्वितीय योजना को कार्यान्वित करना है ।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक से हमारे विकासकार्यों को और बढ़ावा मिलेगा । मैं निराशा-वादी नहीं हूं ।

कुछ सज्जनों ने आस्थगित भुगतान के बारे में आपत्ति की है । आज की आर्थिक दुनिया में यह सिद्धांत सर्वमान्य है तो फिर इस पर आपत्ति किस लिये हो । आज नये से नये विकास हो रहे हैं, भुगतान के नये नये तरीके निकल रहे हैं । हमें भी नये तरीके अपनाने चाहियें ।

नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिये आस्थगित भुगतान का तरीका इसलिये निकाला गया है जिससे देशों का विकास शीघ्रता से हो सके । इसलिये आस्थगित भुगतान पर आपत्ति करने की आवश्यकता ही क्या है । हमें इस बात से भी भयभीत नहीं होना चाहिये कि इस निगम की क्षमता दुगनी की जा रही है । आप देखे कि योजनाओं में कितना अन्तर है । हमने निगम की उधार लेने की क्षमता में वृद्धि करके उचित कार्यवाही की है । यह कार्यवाही असाधारण ढंग की नहीं बल्कि सर्वथा सामान्य तथा साधारण प्रकार की ही है । निगम ने इतनी अधिक गलतियां नहीं की हैं ठीक काम भी किये हैं ।

हम अपने देश का औद्योगिकरण कर रहे हैं—यद्यपि उस गति से नहीं कर रहे जितना कि यूरोप में हुआ है । हमें प्रसन्नता होनी चाहिये कि अब हम कच्चा माल ही निर्यात नहीं करेंगे । "माल तैयार करने" की नयी परिभाषा इस बात की द्योतक है कि हमारी मनोवृत्ति बदल रही है और हम उद्योगों के विकास में बराबर हिस्सा ले रहे हैं ।

यद्यपि मैं इस विधेयक की सभी मुख्य धाराओं से सहमत हूं तथापि एक बात कहूंगा । खंड ३ में कहा गया है कि स्थानापन्न निदेशक नियुक्त किये जा सकते हैं । मैं इस प्रकार की बातों का विरोध करता हूं । मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की नियुक्तियों से हमें लाभ होगा ।

विश्वविद्यालय के संगठन के अनुभव से मैं यह बात बताना चाहता हूं कि स्थानापन्न नियुक्तियों से नीति तथा प्रगति का वह तारतम्य जारी नहीं रह पाता जो वास्तविक व्यक्ति कर पाते हैं । मौलिक चीज मौलिक ही रहती है—उसके स्थान पर दूसरी चीज का स्थान दूसरा ही रहता है । इस एकमेव उपबन्ध से हमें हानि हो सकती है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक और भी त्रुटि इसमें है जिसे पूरा किया जाना चाहिये। उद्देश्यों तथा कारणों की कंडिका ४ में कहा गया है "ऐसे नये औद्योगिक संस्थापनों को ऋण दिया जा सकेगा जो पर्याप्त जमानत की व्यवस्था नहीं कर सकते किन्तु जिनके लिये प्रोत्साहन आवश्यक है।"

यह एक ऐसी त्रुटि है जिससे पक्षपात इत्यादि की घटनाएं हो सकती हैं। शायद मंत्री महोदय इसकी व्याख्या करें। किन्तु हम किसी खैरायती संस्था का निर्माण नहीं करने जा रहे। एक वित्तीय संस्था का अनुष्ठान कर रहे हैं। इसलिये जो संस्थायें पर्याप्त जमानत नहीं दे सकतीं उन्हें ऋण नहीं दिया जाना चाहिये। उसकी जमानत क्या होगी? मैं तो इस बात को समझ नहीं सका हूं इस कारण माननीय वित्त मंत्री को इसकी व्याख्या करनी चाहिये।

वैसे समस्ततया यह विधेयक देशहित में है। हम सब चाहते हैं कि देश प्रगति करे। गैर-सरकारी क्षेत्र को भी साथ साथ बढ़ना है। हमारा वास्तविक प्रयोजन द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करना है।

†**श्री ब० रा० भगत** : श्रीमान् इस विधेयक पर लगभग १० सदस्य बोल चुके हैं अर्थात् इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। जो समर्थन पूर्ण रूप में या शर्तों के साथ तथा जो आलोचना इस विधेयक पर की गयी है मैं उसके लिये माननीय सदस्यों का आभारी हूं। चर्चा सुनने के बाद मैंने देखा कि तीन प्रकार के तर्क रखे गये हैं—जैसा कि आशा थी आस्थगित भुगतान के विषय पर ही अधिक बातें कहीं गयी हैं।

श्री भरूचा ने आस्थगित भुगतान की व्यवस्था के बारे में कतिपय सन्देह व्यक्त किये क्योंकि उन्हें उस प्रबन्ध के बारे में पूरी जानकारी नहीं है जो कि इस सम्बन्ध में किया जायेगा। अन्तर कितना रहेगा—किस प्रकार से होगा—पक्ष कौन कौन से होंगे—इस प्रकार के विभिन्न सन्देह उनके मन में उठे और उन्होंने सन्देह किया कि निगम अपना वह उत्तरदायित्व वहन नहीं कर सकेगा जिसे इस विधेयक के अधीन उसे दिये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। मैं उनकी स्थिति समझता हूं।

जहां तक आस्थगित भुगतान का सम्बन्ध है यह विधेयक एक व्यवस्थापिका कृत्य करेगा। अभी तो सरकार भी यह ब्यौरा नहीं दे सकती क्योंकि ब्यौरा तो तभी दिया जायेगा जब सरकार के पास यह अधिकार होगा। जहां तक आस्थगित भुगतान का सम्बन्ध है अन्य संस्थायें जैसे रक्षित बैंक आदि भी अपना अनुभव व्यक्त कर सकते हैं। जब तक उन चीजों को समझा न जाय तब तक ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। जानकारी तथा ब्यौरे के अभाव में आस्थगित भुगतान के प्रबन्ध के बारे में सदस्यों ने जो सन्देह व्यक्त किये हैं वह स्वाभाविक ही हैं। मैं समझता हूं कि हमें शक्ति देने की आवश्यकता है। प्रयोगात्मक ढंग से हम देख सकते हैं कि यह सारी योजना एक स्पष्ट औद्योगिक नीति के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी। हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ध्यान रख कर सारी कार्यवाही करनी होगी—हमारा उद्देश्य वही है।

दूसरा विरोध सैद्धान्तिक था जोकि साम्यवादी दल के नेता ने किया। मैं तो केवल उन की स्पर्धा ही कर सकता हूं। उन्हों ने सब बातों का विरोध करना है। वह सरकार की कार्यवाहियों के कट्टर विरोधी हैं। अपने प्रथम अवसर पर ही उन्हों ने इस साधारण से विधेयक को ले कर विदेशी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

मुद्रा के संकट, सरकारी क्षेत्र के नाश तथा योजना की असफलता की बातें कह डालीं । आप को एक बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिये कि औद्योगिक वित्त निगम केवल गैर-सरकारी क्षेत्र को ही धन नहीं देता । इस सभा ने इस संस्था के कार्य में संशोधन कर के इस की त्रुटियां दूर की हैं । हां यह गैर-सरकारी क्षेत्र को भी सहायता देता है ।

मैं उन के सिद्धान्तों का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वह तो कहते हैं कि गैर सरकारी क्षेत्र को समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये । किन्तु यह सभा ऐसी अर्थव्यवस्था को मान चुकी है जिस में सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों को पर्याप्त स्थान मिले । मैं मानता हूं कि आज सरकारी क्षेत्र का प्राधान्य है । माननीय सदस्य चाहें जो भी कहें किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि आज देश की अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर ठोस है । जो कठिनाइयां हमारे मार्ग में आ रही हैं वह स्वाभाविक तथा सहज हैं । कोई भी यह नहीं समझता था कि दूसरी योजना बिना किसी कठिनाई के हल की जा सकेगी । जो आप लोगों को संकट प्रतीत होते हैं यह तो कठिनाइयां हैं जो हमारे मार्ग में आ रही हैं । सारा राष्ट्र इन कठिनाइयों का सामना करने को तैयार है यह साधारण सा विधेयक तो एक प्रतीक मात्र है जोकि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति अर्थात् देश के औद्योगिकरण के लिये कर रहे हैं ।

मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार के विधेयक पर भी युक्तियुक्त आलोचना हो सकती है । यह कहना कि सरकारी क्षेत्र की कीमत पर हम गैर-सरकारी क्षेत्र का विकास होने की आज्ञा देंगे बिल्कुल गलत है । साम्यवादी दल के नेता होने के नाते उन्होंने आलोचना की है कि यह काम केन्द्रीय सरकार की मन्जूरी पर ही होना चाहिये । उन्हें इसी बात का सन्देह था कि केन्द्रीय सरकार स्वत: गैर-सरकारी क्षेत्र के विकास की इच्छुक है इस कारण उन्हें पर्याप्त आजादी मिल सकती है । कोई भी व्यक्ति जो भारतीय अर्थ व्यवस्था को जानता है जो सरकारी आर्थिक तथा औद्योगिक नीतियों से परिचित है वह कभी भी यह नहीं कहेगा कि सरकार सरकारी क्षेत्र की कीमत पर दूसरे क्षेत्र के विकास एवं कल्याण की इच्छुक है । इसलिये केवल वह इस व्यवस्था पर ही सन्देह व्यक्त नहीं कर रहे बल्कि आज की सरकार की सद्भावना तथा उद्देश्यों पर ही सन्देहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं । किन्तु यह बात किसी दूसरे अवसर के ही योग्य है ।

तीसरी बात यह थी कि कतिपय माननीय सदस्य यद्यपि यह समझते हैं कि आस्थगित भुगतानों की योजना ठीक है और इस का समर्थन करते हैं किन्तु उन्हें यह सन्देह है कि इस काम को यह निगम ठीक ढंग से नहीं कर सकेगा । वह गत अनुभव के आधार पर यह बात कहते हैं । मैं इस सम्बन्ध में भी उन के सन्देह को दूर करने की चेष्टा करूंगा ।

मैं श्री घोष के साथ सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि हमारे पिछली गलतियों के लिये अब पछताने से फायदा नहीं होगा । सभा ने निगम के कार्य की जांच करने के लिये एक समिति बनाई —समिति ने मामले की जांच की तथा प्रतिवेदन दिया । सरकार ने तदनुसार संशोधन प्रस्तुत किये जिन्हें सभा ने स्वीकार किया और त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया गया । अब उन बातों को दोबारा कहने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि हम समझते हैं कि निगम पर्याप्त मार्ग तै कर चुका है । गत दो वर्षों के निगम के प्रतिवेदन से आप को प्रतीत होगा कि निगम ने कितनी तरक्की की है तथा देश के औद्योगिक विकास में किस कद्र योगदान दिया है विशेष कर उस अवस्था में जबकि मुद्रा बाजार कड़ा है और मुख्य एवं प्रधान उद्योग भी ऋण कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते किन्तु जो राष्ट्रीय विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं ।

जरूरतमन्द उद्योगों के पास पूंजी पहुंचाने का काम कर के निगम ने एक बड़ी महान् सेवा की है । वह काम किस प्रकार किया गया ? कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बड़े लोगों को ही पूंजी

सहायता दी गई है। मैं तो नहीं जानता कैसे ? मैं केवल गत दो वर्षों के आधार पर ही यह बातें कह रहा हूं। जो नया क्रम चला है उस के बारे में ही कह रहा हूं। यदि आप प्रतिवेदन पढ़ेंगे तो आप को ज्ञात होगा कि यह समस्त कार्य किस प्रकार किया गया है।

सभा की यह इच्छा थी कि यह निगम नये उद्योगों की अधिक सहायता करे और जो उद्योग पहले से ही स्थापित हैं उन की इतनी सहायता की अधिक आवश्यकता नहीं है। निगम ने १७७ समवायों को १७७ ऋण दिये हैं—इन में से १५१ नये समवाय हैं। कुल रकम जो दी गई है वह ३३.८० करोड़ रुपये है। पुराने १०८ समवायों को दिये गये कुल ऋण की राशि २१.३१ करोड़ है।

यदि आप देखेंगे कि किन किन उद्योगों को ऋण दिये गये हैं तो पता लगेगा कि चीनी उद्योग का प्रथम स्थान है। ५५ करोड़ में से १६ करोड़ रुपया इसे दिया गया है। इस उद्योग को दिये जाने वाले ऋण की ६० या ७० प्रतिशत राशि किसानों की सहकारी संस्थाओं को दी गई है। एक सदस्य ने कहा कि निगम ने एक ऐसे उद्योग समूह को ऋण दिया है जिस के मामलात में सरकार ने जांच का आदेश दे रखा है। उन्हें बहुत ज्ञान है। पता नहीं किसी अनजानी सी स्थिति में उन्होंने यह सब बातें कह डालीं। निगम ने जो ऋण दिये उन की प्रत्याभूति सरकार ने दी। कौन से ऋण दिय गये थे ? एक ऋण सीमेंट उद्योग को दिया गया—क्या सीमेंट का विकास हमारे लिये आवश्यक नहीं है। प्रत्येक आदमी यह जानता है कि हमें शीघ्रातिशीघ्र सीमेंट का उत्पादन बढ़ाना चाहिये ताकि इस योजना के अन्तर्गत जो परियोजनायें हैं उन्हें पूरा किया जा सके। इसी प्रकार निगम ने रासायनिक उद्योग की सहायता की। कागज उद्योग की भी सहायता की गई जिसे इस योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पूर्ववर्तिता दी जा चुकी है।

यदि हम देखें तो जानेंगे कि निगम ने यह कार्य सभा की इच्छाओं के अनुसार किये हैं। पहले चाहे कुछ भी गलतियां इस निगम ने की हों किन्तु अब इस ने बड़ा ही अच्छा काम किया है और मैं प्रार्थना करता हूं कि सभासद उस प्रतिवेदन को अवश्य ही देखें। उसे आज सभा-पटल पर रखा जा चुका है क्योंकि आज ही रखा जा सकता भी था। वैसे तो यह प्रतिवेदन सभी समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुका है। १५/२० दिन पहले के सरकारी गजट में यह प्रकाशित हो चुकी है। यदि माननीय सदस्य इस प्रतिवेदन को देखेंगे तो निस्सन्देह इन बातों की सराहना करेंगे।

दूसरी बात उन्हें महान जानकारी वाले सदस्य ने दरों के बारे में कही। उन्हों ने कहा कि निगम जो ब्याज लेता है उन की दरें बहुत ज्यादा होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि निगम अपना रुपया मुफ्त लेता है। मैं तो इन बातों का अर्थ ही नहीं समझा। जो पूंजी निगम के पास है उस का एक भाग इस की अंश पूंजी है जिस पर इसे २½ प्रतिशत लाभांश देना पड़ता है जिस की प्रत्याभूति सरकार ने दी है। इस के अंश मुख्यतया सरकार या रक्षित बैंक के पास हैं। इस के बाद यह निबन्धक लेता है जिस पर इसे ३¼ प्रतिशत देना पड़ता है। यह रक्षित बैंक से ऋण भी लेता है जिन पर ३½ से ४ प्रतिशत तक ब्याज दिया जाता है। पहले पहल निगम ने जो ब्याज लिया उसकी दर ५½ प्रतिशत थी। इस के बाद उसे बढ़ा कर ६, ६½ तथा ७ प्रतिशत कर दिया गया। जो बाजार में दरें चालू हैं यह उन के अनुकूल है। यदि आप इन की तुलना श्रीलंका अथवा अन्य देशों के निगमों से करें तब आप समझेंगे कि दरें ज्यादा नहीं हैं। इन की तुलना की जा सकती है।

इस कारण प्रत्येक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि निगम का कार्य संतोषजनक है और पिछड़े क्षेत्रों में भी इस ने उद्योग विकास का कार्य किया है। इस ने बड़े ही बचत के ढंग पर काम किया है तथा दक्षता से अच्छा काम किया है। आस्थगित भुगतान के प्रबन्ध के बारे में भी

[श्री ब० रा० भगत]

जो सन्देह हैं वह भी उचित नहीं हैं । इस से बड़ा विशेष कार्य होगा । ऋण की बहुत मांग है । जो लोग बाहर से पूंजी मंगाना चाहते हैं या जो संस्थायें बाहर पूंजी भेजना चाहती हैं उन्हें किसी प्रकार की प्रत्याभूति चाहिये जिसे अब निगम कर रहा है । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रत्याभूति का काम अनुसूचित बैंक या वह राज्य सरकारें करें जिन के क्षेत्राधिकार में परियोजनायें स्थित हैं । इसलिये समस्त दृष्टिकोणों से यही बात वांछनीय एवं उचित समझी गई है कि औद्योगिक वित्त निगम ही ऐसे ऋणों की प्रत्याभूति दे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि माननीय मंत्री अभी कुछ समय और लेंगे, इसलिये वह अपना भाषण कल जारी रखें ।

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार): मैं कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, १२ नवम्बर, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सोमवार, ११ नवम्बर, १९५७]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१—२५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१	अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग	१–२
२	नई दिल्ली के प्रेस क्लब की इमारत	२–३
३	राष्ट्रीय विकास परिषद्	३–५
४	कीर्तिनगर बस्ती, दिल्ली	५
२८	कीर्तिनगर बस्ती के निर्माण की आयोजना	५–६
५	नागा पहाड़ियां	६—९
६	कलकत्ते के बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	९–१०
७	चाय का निर्यात	१०—१२
९	नारियल जटा गवेषणा संस्था	१२–१३
१०	बर्मा में भारतीय	१३–१४
११	आणविक परीक्षण	१४
१३	भारत का राज्य व्यापार निगम	१४—१६
१४	कपड़े की मिलें	१६—१८
१५	परम्परागत दस्तकारियां	१८–१९
१७	लौह अयस्क	१९
१८	अम्बरनाथ वूलन मिल्स	१९–२०
१९	त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य	२०–२१
२०	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	२१
२१	टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट, वाशरमेनपेट	२२
२२	राज्य की योजनाओं का पुनः प्रावस्थाभाजन	२२—२४
२३	भारत तथा पाकिस्तान के पावन स्थान	२४
२४	आयात की गई उपभोक्ता वस्तुएं	२५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२५—४४
तारांकित प्रश्न संख्या		
८	रेयन कारखानों में श्रमिक	२५–२६
१२	स्वचालित करघे	२६
१६	अभ्रक श्रमिक	२६

विषय [पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

२५	सीमावर्ती घटना	२६-२७
२६	रेडियो सक्रिय पदार्थों से बचाव	२७
२७	मंगला बांध	२८
२९	श्रीलंका में भारतीय	२८-२९
३०	समाचार-पत्रों के लिये पृष्ठ-मूल्य निर्धारण	२९
३१	पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन	२९-३०
३२	ग्वार की गोंद	३०
३३	गूदा बनाने का कारखाना	३०
३४	आणविक विकिरण	३१
३५	भारत-गोआ सीमा पर बम-विस्फोट	३१
३६	जापान से पूंजीगत वस्तुएं	३१-३२

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१	सीमेंट का आयात	३२
२	गवेषणा कार्यक्रम समिति की स्थायी समिति	३३
३	कीनिया में भारतीय	३३-३४
४	फ़िजी में भारतीय	३४
५	पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा का अतिक्रमण	३४
६	निर्माण-कार्यों में लोहे तथा इस्पात की बचत	३५
७	दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती	३५
८	स्थायी श्रम समिति	३६
९	सूचना मंत्रियों का सम्मेलन	३६
१०	सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	३६-३७
११	दफ्तरियों के क्वार्टर	३७
१२	दिल्ली के शरणार्थी रेहड़ीवाले	३७
१३	रमेशनगर कौलोनी	३८
१४	अफगानिस्तान में भारतीय चलचित्र	३८
१५	खादी की बिक्री	३८-३९
१६	विदेशी व्यापार बोर्ड	३९
१७	प्लाईवुड उद्योग	३९
१८	औद्योगिक विवाद अधिनियम	३९-४०
१९	त्रिपुरा में चाय-उत्पादन	४०
२०	आयात लाइसेंस	४०
२१	हथकरघा बुनकरों के लिये आवास बस्तियां	४१
२२	कागज़ बनाना	४१
२३	गोआ में भारतीय राजनीतिक कैदी	४१
२४	बर्मा की नागरिकता	४१-४२
२५	माण्डले में तिलक स्मारक हाल	४२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२६ बालोपयोगी चलचित्र समिति ४२
२७ द्वितीय अखिल भारतीय कृषि श्रमिक सम्बन्धी जांच . ४२
२८ भारत का राज्य व्यापार निगम . . . ४२-४३
२९ विदेशों में भारतीय राजदूतालय . . ४३-४४
३० पंचायती रेडियो सेट . . . ४४
३१ दिल्ली का काम दिलाऊ दफ्तर . . . ४४
३२ पंजाब के ग्रामों में गृह-निर्माण की व्यवस्था . ४४

निधन सम्बन्धी उल्लेख ४५

अध्यक्ष ने श्री सारंगधर दास, जो पहली लोक-सभा के सदस्य थे और श्री आर० ऐस० शर्मा, जो पुरानी केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे, के निधन का उल्लेख किया।

इस के पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ४५—४८

(१) अध्यक्ष ने निम्न स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी, जिन की सूचना उन के सामने बताये गये सदस्यों द्वारा दी गई थी :—

(१)	बडानगर में रेल दुर्घटना	सर्वश्री स० म० बनर्जी और श्री तंगामणि द्वारा सूचना ।
(२)	उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में सूखे से उत्पन्न स्थिति ।	सर्वश्री वाजपेयी, आसर, प्र० के० देव और शि० ला० सक्सेना द्वारा सूचनायें ।

(२) जिला रामनाथपुरम् में हुए दंगे के बारे में स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में, जिस की सूचना श्री कामले द्वारा दी गई थी, अध्यक्ष ने अपना निर्णय स्थगित रखा ।

(३) दार्जिलिंग में हुए पुनर्वास मंत्री सम्मेलन में पुनर्वास मंत्री द्वारा पूर्वी पाकिस्तान से भविष्य में आने वाले प्रव्रजकों के पुनर्वास के बारे में दिये गये वक्तव्य सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर भी, जिस की सूचना श्री बिमल घोष ने दी थी, अध्यक्ष ने अपना निर्णय १२ नवम्बर, १९५७ तक स्थगित रखा ।

सदस्य की गिरफ्तारी तथा दोषसिद्धि ४८

अध्यक्ष ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें गौहाटी के डिप्टी कमिश्नर से यह तार प्राप्त हुआ है कि लोक-सभा के सदस्य श्री हेम बरुआ

विषय   पृष्ठ

को ८ नवम्बर को गौहाटी की पुलिस ने न्यायाधीश की अदालत में अन्य लोगों के साथ अनधिकृत रूप से प्रवेश करने और तेल शोधन कारखाने के बारे में प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर लिया। बाद में उनके खिलाफ कार्यवाही की गई और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४४८ के अन्तर्गत न्यायालय के उठने तक की कैद की सजा दी गई।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ४८—५१

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) कोयले वाले क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत कोयले वाले क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ सितम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २९१२ की एक प्रति।

(२) संविधान के अनुच्छेद १२३(२)(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा ३१ अक्तूबर, १९५७ को प्रख्यापित भारत का रिज़र्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (१९५७ की संख्या ६) की एक प्रति।

(३) खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत १२ सितम्बर, १९५७ की दिल्ली प्रशासन अधिसूचना संख्या एफ० ३२(४७)/५५–एम० टी० एण्ड सी० ई० में प्रकाशित दिल्ली खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५६ की एक प्रति।

(४) चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत चाय नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ सितम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २९७४ की एक प्रति।

(५) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत रबड़ नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १४ सितम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २९०५ की एक प्रति

(६) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रपत्र, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २८ सितम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३०३८ की एक प्रति।

(७) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ अग्रेतर संशोधन करने वाली निम्न दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २१ सितम्बर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या २९६६

(दो) १२ अक्तूबर, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ३२१८

(८) वित्त विधेयक, १९५३ पर १८ अप्रैल, १९५३ को हुई चर्चा के दौरान दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में जिन व्यापार संस्थाओं को भारतीय आय-कर अधिनियम, १९२२ की धारा ५६-क के अन्तर्गत १९५६-५७ में छूट दी गई है उन की एक सूची

(९) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत ३० जून, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के औद्योगिक वित्त निगम के संचालक मण्डल के नवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, उक्त वर्ष के लिये निगम की आस्तियों और दायित्व तथा लाभ-हानि के लेखे के विवरण सहित

(१०) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २६ अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या २७१८

(दो) दिनांक २६ अगस्त, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या २७१९ जिस में सीमा शुल्क प्रत्याहृत (डाइक्रोमेट्स) नियम, १९५७ दिये हुए हैं

(तीन) सीमाशुल्क प्रत्याहृत (प्लास्टिक का सामान) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ३१ अगस्त, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या २७८२

(चार) दिनांक १३ सितम्बर, १९५७ कीं एस० आर० ओ० संख्या २९४०

(पांच) दिनांक १३ सितम्बर, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या २९४१ जिस में सीमा शुल्क प्रत्याहृत (कार्बन पेपर) नियम १९५७ दिये हुए हैं

विषय पृष्ठ

(छै) सीमा शुल्क प्रत्याहृत (नकली रेशम) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ सितम्बर, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या २९४६

(सात) दिनांक ११ अक्तूबर, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या ३२७३

(आठ) दिनांक ११ अक्तूबर, १९५७ की एस० आर० ओ० संख्या ३२७४ जिस में सीमा शुल्क प्रत्याहृत (खांसी का शर्बत) नियम, १९५७ दिये हुए हैं

(११) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की दिनांक ८ जून, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३४६ को रद्द करने वाली दिनांक १४ सितम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २९१४ की एक प्रति

(१२) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश संख्या ४७-क और ४७-ख तथा निदेश संख्या ६५(२) के संशोधन की एक-एक प्रति

राज्य-सभा से संदेश ५१

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि राज्य-सभा ने १४ सितम्बर, १९५७ की अपनी बैठक में औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है।

राज्य-सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक--सभा पटल पर रखा गया ५१

सचिव ने औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक की, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, एक प्रति सभा पटल पर रखी।

राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर अनुमति ५१--५२

(१) सचिव ने पिछले सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और लोक-सभा को २ सितम्बर, १९५७ को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे :--

(१) रेलवे यात्री किराया विधेयक

(२) वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७

(३) धन-कर विधेयक

(४) व्यय-कर विधेयक

(५) न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक

(६) धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क) विधेयक

(७) वायदे के सौदे (विनियम) संशोधन विधेयक

(८) सूती वस्त्र (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क) विधेयक

(९) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

(१०) बीमा (संशोधन) विधेयक

(११) निरसन और संशोधन विधेयक

(२) सचिव ने पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और लोक-सभा को २ सितम्बर १९५७ को दी गई अन्तिम सूचना के बाद ,राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां, राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में, सभा पटल पर रखीं :—

(१) रेलवे संरक्षण बल विधेयक

(२) अत्यावश्यक पण्य (दूसरा संशोधन) विधेयक

(३) विधान परिषद् विधेयक

(४) अन्तर्राज्यीय निगम विधेयक

(५) विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समितियों के प्रतिवेदन--उपस्थापित ५२

(१) गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने निम्नलिखित विधेयकों सम्बन्धी संयुक्त समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित किये :—

(१) दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, १९५७

(२) दिल्ली विकास विधेयक, १९५७

(२) श्री से० वें० रामस्वामी ने नौ-सेना विधेयक १९५७ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया

विधेयकों पर साक्ष्य--सभा पटल पर रखा गया ५२

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने दिल्ली नगरपालिका निगम, विधेयक, १९५७ और दिल्ली विकास विधेयक, १९५७ सम्बन्धी संयुक्त समितियों के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

विषय	पृष्ठ
योजना उपमंत्री द्वारा वक्तव्य . . .	५२—५३
योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) ने सुधार-कर की दरों के बारे में २४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३० के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।	
विधेयक—पुरःस्थापित . . .	५३
अपराधी परिवीक्षा विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित किया गया	
विधेयक पारित	५३—६३
श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय संशोधन विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित हुआ ।	
विधेयक विचाराधीन	६३—८९
वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	८९
दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	